आईडब्ल्यूएआई के

एक अंतर्देशीय मालवाहक जलयान को किराए पर लेने

के लिए

निविदा

(जलयान में दो डंब बार्ज और एक टग शामिल हैं)

निविदा संख्या. आईडब्ल्यूएआई-230151(13)/1/2019

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अक्तूबर-2024

अस्वीकरण

1. यह निविदा दस्तावेज भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न तो कोई करार है और न ही कोई प्रस्ताव है। इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस निविदा के अनुसार अपनी बोली तैयार करने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

2. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है और इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना आईडब्ल्यूएआई के लिए संभव नहीं है। इस निविदा दस्तावेज में ऐसे कथन शामिल हैं, जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा कार्यों के संबंध में की गई विभिन्न धारणाओं और आकलनों को दर्शाते हैं। ऐसी धारणाएँ, आकलन और कथन प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक होनेवाली सभी जानकारियों को शामिल करने का दावा नहीं करते हैं। प्रत्येक संभावित बोलीदाता को अपनी स्वयं की जाँच और विश्लेषण करते हुए इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जाँच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

3. आईडब्ल्यूएआई का किसी भी कानून (संविदा, अपकृत्य के कानून सहित) के अंतर्गत, इक्विटी, प्रतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा होनेवाले किसी भी हानि, व्यय या क्षति के साथ-साथ इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी चीज के संबंध में उत्पन्न होने या झेली जाने वाली अथवा इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा माने जाने वाले किसी भी मामले, कार्य सौंपे जाने, आईडब्ल्यूएआई या उनके कर्मचारियों, किसी भी सलाहकार या कार्य सौंपने के लिए चयन प्रक्रिया से किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली जानकारी और किसी भी अन्य जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के लिए किसी भी संभावित कंपनी/फर्म/कंसोर्टियम या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं रहेगा। इसके अलावा आईडब्ल्यूएआई किसी भी तरह से ऐसी किसी क्षति का भी उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह आईडब्ल्यूएआई लापरवाही के कारण हो या अन्यथा,फले ही वह इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी कथन पर किसी भी बोलीदाता की निर्भरता से उत्पन्न हुई हो।

4. बोलियाँ प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी देरी के लिए आईडब्ल्यूएआई जिम्मेदार नहीं होगा। इस निविदा दस्तावेज़ के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि आईडब्ल्यूएआई किसी बोलीदाता का चयन करने या सफल बोलीदाता को कार्यों के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है, (जैसा भी मामला हो) और आईडब्ल्यूएआई किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए इस निविदा दस्तावेज़ के जवाब में प्रस्तुत की गई किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आईडब्ल्यूएआई बोली जमा करने वाले सभी लोगों को सूचित करते हुए किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को रोकने या वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

5. यहाँ दी गई जानकारी सांविधिक आवश्यकताओं का संपूर्ण विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण नहीं माना जाना चाहिए। आईडब्ल्यूएआई यहाँ व्यक्त कानून की किसी भी व्याख्या या राय की सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

6. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने/सुधारने/संशोधित करने का अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा दस्तावेज/संशोधित निविदा दस्तावेज में किए जानेवाले ऐसे संशोधन आईडब्ल्यूएआई के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

विषय-सूची

अस्वीकरण ..... **Error! Bookmark not**

खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण सूचना ..... **Error! Bookmark not**

खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी) ..... **Error! Bookmark not**

खंड-III: बोली डेटा शीट ..... **Error! Bookmark not**

खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र 31

प्रपत्र 4क: बोली पत्र 32

प्रपत्र 4ख: पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 34

प्रपत्र 4ग: पावर ऑफ अटॉर्नी ..... **Error! Bookmark not**

प्रपत्र 4घ: बोलीदाता द्वारा घोषणा ..... **Error! Bookmark not**

प्रपत्र 4ङ: बोलीदाता सूचना पत्रक ..... **Error! Bookmark not**

प्रपत्र 4च: बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप ..... **Error! Bookmark not**

प्रपत्र 4छ: कानूनी क्षमता का विवरण 40

प्रपत्र 4ज: जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी 41

प्रपत्र 4झ: संयुक्त बोली करार 43

खंड-V: वित्तीय बोलियां मानक प्रपत्र ..... **Error! Bookmark not**

प्रपत्र वित्तीय-1: वित्तीय बोली प्रस्तुति प्रपत्र 50

प्रपत्र वित्तीय-2क: लागत का सारांश 51

खंड-VI: संदर्भ शर्तें (टीओआर) 52

1. पृष्ठभूमि 53

2. समनुदेशन के लिए कार्य का विस्तृत दायरा ..... **Error! Bookmark not**

खंड-VII: संविदा की शर्तें 59

खंड-VIII: संलग्नक 79

संलग्नक-I सत्यनिष्ठा करार 80

संलग्नक-II: निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र का प्रारूप 86

संलग्नक-III: संविदा प्रपत्र 89

संलग्नक-IV: बैंक खाते का विवरण 90

संलग्नक-V: बैंक प्रमाणन 92

संलग्नक-VI: निविदा दस्तावेज़ की स्वीकृति पत्र 93

संलग्नक-VII: चालू मरम्मत और अनुरक्षण अनुसूची..... 94

संलग्नक-VIII: नियमित अनुरक्षण के लिए लॉग शीट..... 98

संलग्नक-IX: काउंटर सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र का प्रारूप..... **Error! Bookmark not defined.**

संलग्नक-X: ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश..... **Error! Bookmark not**

खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण सूचना

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-13, सेक्टर-1, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

टेलीफ़ोन (0120) 2543931

ईमेल: akbansal@iwai.gov.in

वेबसाइट: https://www.iwai.nic.in और https://eprocure.gov.in/eprocure/app

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

1. प्रस्तावना

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) **"आईडब्ल्यूएआई के एक अंतर्देशीय मालवाहक जलयान को किराये पर लेने"** के लिए, प्रतिष्ठित और पात्र फर्मों से दो लिफाफा प्रणालियों (लिफाफा-I: तकनीकी बोली और लिफाफा-II: वित्तीय बोली) में ऑनलाइन निविदाएं/बोलियां आमंत्रित करता है। (जलयान में दो डंब बार्ज और एक टग शामिल है)

2. महत्वपूर्ण डेटा शीट

(क) इच्छुक पक्ष https://eprocure.gov.in/eprocure/appand या आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट "www.iwai.nic.in" से ऑनलाइन निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और निविदा दस्तावेज की लागत/निविदा शुल्क के रूप में 18% जीएसटी सहित 2,950 रुपये (दो हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र) का भुगतान कर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई कोष में जमा कर सकते हैं। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) या औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को इस संबंध में भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार दस्तावेज जमा करने पर निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत जमा करने से छूट दी गई है।

(ख) इस निविदा प्रक्रिया की कुछ महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

(i)	दस्तावेज़ डाउनलोड आरंभ होने की तिथि	अनुमोदन की दिनांक से 2 दिनों के भीतर
(ii)	बोली प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि	प्रकाशन की दिनांक से 21 दिन तक
(iii)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रकाशन की दिनांक से 28 दिन तक
(iv)	तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि	प्रकाशन की दिनांक के 29वें दिन
(v)	वित्तीय बोली खोलने की तिथि	बाद में सूचित की जाएगी

3. कार्य का संक्षिप्त दायरा

संक्षेप में, नियुक्त चार्टरर/संविदाकार के लिए कार्य-क्षेत्र आईडब्ल्यूएआई के एक (1) अंतर्देशीय मालवाहक जलयान को नाव के रूप में किराए पर लेना होगा, जिसकी प्रारंभिक संविदा अवधि 3 वर्ष

(36 महीने) होगी और संतोषजनक निष्पादन के आधार पर वार्षिक आधार (12 महीने) पर अगले दो वर्षों के लिए इसका विस्तार किया जा सकेगा (कुल अवधि पांच वर्ष (60 महीने) होगी। संदर्भ की विस्तृत शर्तें (टीओआर) इस निविदा दस्तावेज के खंड-VI में वर्णित हैं।

नीचे उल्लिखित जलयान(ओं) का प्रति माह न्यूनतम किराया, जो एनडब्ल्यू-1 (हल्दिया-वाराणसी), एनडब्ल्यू-2 (धुबरी-डिब्रूगढ़) आईबीपी मार्ग सहित, एनडब्ल्यू-16, एनडब्ल्यू-86 और एनडब्ल्यू-97 पर चलने के लिए प्रस्तावित हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्र.सं.	**जलयान का नाम**	**प्रति माह बेअर बोट ड्राई चार्टर किराया शुल्क का प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)**
1.	टीयूजी एमवी त्रिशूल के साथ 2000 (1000X2) टन का डंब बार्ज "डीबी अजय और डीबी दिखू"	भारतीय रु. 6,00,000/-

4. चयन की विधि

सफल बोलीदाता का चयन प्रति माह उच्चतम चार्टर किराया दर उद्धृत करनेवालों तथा इस निविदा दस्तावेज में वर्णित प्रक्रियाओं का अनुपालन करनेवालो में से किया जाएगा।

5. स्पष्टीकरण

निविदा दस्तावेज पर स्पष्टीकरण/प्रश्न, यदि कोई हो, तो उसे निम्नलिखित पते से प्राप्त किया जा सकता है:

निदेशक (यातायात एवं रसद),
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं.: 0120-2543931
फैक्स नं.: 0120-2544009
ई-मेल: akbansal@iwai.gov.in
वेबसाइट: http://www.iwai.nic.in

6. आईडब्ल्यूएआई का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक (यातायात एवं रसद)
आईडब्ल्यूएआई, नोएडा

खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत सरकार (जीओआई) के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। आईडब्ल्यूएआई की स्थापना 1986 में नौवहन और नौवहन के उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए की गई थी। आईडब्ल्यूएआई मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) पर अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के विकास, अनुरक्षण और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।

1.2 अंतर्देशीय जल परिवहन में परिवहन का एक लागत प्रभावी, किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रीका प्रदान करने की क्षमता है। इसे विश्वसनीय फेयरवे पर चलने वाले आधुनिक अंतर्देशीय जलयान(औं) द्वारा उपयोग के लिए विकसित किया जाने पर यह रेल और सड़क अवसंरचना में भीड़भाड़ और निवेश की जरूरतों को कम कर सकता है, तटवर्ती राज्यों में अधिक पूरकता को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और पैमाने की बढ़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के लाभ के लिए समग्र रसद लागत को काफी कम कर सकता है।

2. प्रस्तावना

2.1 नियोक्ता आईटीबी के खंड-II के अंतर्गत धारा 15 और धारा 16 में निर्दिष्ट चयन पद्धति के अनुसार एक फर्म/संगठन ("चार्टर/संविदाकार") का चयन करेगा।

2.2 समनुदेशन/कार्य का नाम खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दिया गया है। समनुदेशन/कार्य का विस्तृत दायरा खंड-VI: संदर्भ शर्तें (टीओआर) में बताया गया है।

2.3 बोलियां प्रस्तुत करने की दिनांक, समय और पता खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दिया गया है।

2.4 अपनी बोलियों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतें बोलीदाता को वहन करनी होंगी।

2.5 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. बोलीदाता पात्रता मानदंड

3.1 बोलीदाताओं का निम्नलिखित पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

बोलीदाताओं को भारत में प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत एक कंपनी, साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म, एक सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय या जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के रूप में किसी मौजूदा समझौते के अंतर्गत या संयुक्त बोली समझौते द्वारा समर्थित ऐसे समझौते में प्रवेश करने के इरादे से पंजीकृत होना चाहिए। नियोक्ता के देश में सरकारी स्वामित्व वाली संस्था बोलीदाता केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे यह साबित कर सकें कि वे (i) वाणिज्यिक कानून के अंतर्गत काम करते हैं और (ii) नियोक्ता की आश्रित एजेंसियां नहीं हैं।

3.2 बोलीदाता को आईटीबी की धारा 16.1 में उल्लिखित समान कार्य अनुभव के अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा। बोलीदाता को पक्ष (पार्टी) के नाम, ऑर्डर मूल्य, कार्य-क्षेत्र/घटकों का विवरण, ऑर्डर में निर्धारित पूर्णता अवधि और वास्तविक पूर्णता अवधि के

विवरण के साथ अपने द्वारा निष्पादित ऑर्डर के मूल्य को इंगित करना होगा। ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए पूर्णता प्रमाणपत्र में आरंभ दिनांक, पूर्णता की दिनांक और बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्य का उल्लेख होना आवश्यक है। यदि कार्य बोलीदाता द्वारा जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में किया गया था, तो इसे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के बीच हिस्सेदारी के दावे को प्रमाणित करने के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम समझौते के साथ कुल संविदा मूल्य के बारे में क्लाइंट प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। यदि कार्य बोलीदाता द्वारा उप-संविदाकार के रूप में किया गया था, तो बोलीदाता को मुख्य संविदाकार द्वारा उसे दिए गए समान पूर्णता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा और वह मुख्य संविदाकार के नियोक्ता/ग्राहक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

3.3 बोलीदाताओं के समान कार्य निष्पादित करने के लिए दावे के लिए केवल कार्य आदेश/कार्य सौंपे जाने का पत्र/कार्य संविदा पत्र की प्रति पर्याप्त नहीं होगी। अर्हता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त धारा 3.2 में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ ग्राहक से उसके लेटर-हेड पर पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.4 बोलीदाता को अर्हता प्राप्त करने के लिए, उसे आईटीबी के खंड 16.1.2 में उल्लिखित अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों के अधिकतम आईटी रिटर्न के लिए संबंधित जलयान(ओं) के काम के कुल मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत का औसत वार्षिक कारोबार किया होना चाहिए।

3.5 बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया हो। हालांकि, इस संबंध में बोलीदाता द्वारा तथ्यों को छिपाना या उनका गैर-अनुपालन करना मौजूदा कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा और यदि बाद में किसी चरण में या संविदा की अवधि के दौरान उसे प्रतिबंधित किए जाने या काली सूची में डाले जाने से संबंधित कोई जानकारी नियोक्ता के संज्ञान में लाई जाती है, तो संविदा की शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई के साथ कार्य आदेश को रद्द या समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में घोषणा प्रपत्र 4क, खंड IV में शामिल की गई है।

3.6 बोलीदाता की मूल कंपनी/सहायक कंपनी/सहयोगी कंपनी में समान कार्य अनुभव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल कंपनी/सहायक कंपनी/सहयोगी कंपनी बोली में भाग लेने वाले जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का हिस्सा न हो।

3.7 बोलीदाता को निम्नलिखित का भी उल्लेख करना होगा:

3.7.1 बोलीदाता के पास कार्यों के सफल निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए तथा उसका वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। बोलीदाता को भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शायी गयी न्यूनतम राशि के लिए शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.7.2 बोलीदाता के पास पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक सकारात्मक निवल संपत्ति होनी चाहिए, जिसे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।

3.7.3 बोलीदाता आयकर निर्धारिती होगा और तदनुसार बोलीदाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों

के लिए दायर आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. बोली-पूर्व बैठक

4.1 बोली-पूर्व बैठक खंड III-बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित दिनांक और समय के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को इसके संबंध में नियोक्ता को लिखित रूप से और ईमेल द्वारा पहले से सूचित किया जाना चाहिए। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए चुने गए प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या प्रति बोलीदाता दो से अधिक नहीं होगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अपने संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्राधिकरण पत्र साथ रखना चाहिए, जो प्रतिनिधियों को संबंधित बोलीदाता की ओर से बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है।

4.2 बोली-पूर्व बैठक के दौरान, बोलीदाता स्पष्टीकरण मांगने और नियोक्ता द्वारा विचार के लिए सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे। नियोक्ता स्पष्टीकरण और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिसे वह अपने विवेक से निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त समझे।

4.3 संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले, जलयानों की वर्तमान स्थिति, सांविधिक प्रमाणपत्रों की स्थिति, गति, जनशक्ति की आवश्यकता, ईंधन की खपत, परिचालन लागत आदि के बारे में निदेशक, आईडब्ल्यूएआई, पी-78, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700043 के कार्यालय से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बोलियाँ प्रस्तुत करने के बाद उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति नहीं मानी जाएगी। साइट विजिट के कारण होने वाला व्यय संबंधित संभावित बोलीदाता को वहन करना होगा

5. स्पष्टीकरण और परिशिष्ट

5.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पहले खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शाए गए दिनों/तारीखों तक दस्तावेज़ के किसी भी खंड पर स्पष्टीकरण पाने का अनुरोध कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए कोई भी अनुरोध लिखित रूप में या खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शाए गए नियोक्ता के पते पर ई-मेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद नियोक्ता द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, तो स्पष्टीकरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता अपने स्पष्टीकरण/प्रश्न प्रपत्र 4च, खंड IV में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

5.2 नियोक्ता आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर प्रकाशित किये जानेवाले किसी भी संशोधन के साथ बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित, लेकिन प्रश्न के स्रोत की पहचान किए बिना) का उत्तर देगा।

5.3 नियोक्ता बोलियों के प्रस्तुतीकरण से पहले किसी भी समय, एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र (संशोधन) जारी करके निविदा दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। दस्तावेज़ में संशोधन/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे https://eprocure.gov.in/eprocure/appand और आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट "www.iwai.nic.in" पर उपलब्ध कराया जाएगा। बोली में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को ऐसे प्रत्येक संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में सूचित और अद्यतित रखा

गया माना जाएगा, जिसे समय-समय पर उपरोक्त वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। बोलीदाताओं को सभी संशोधनों की प्राप्ति की सूचना देनी होगी। यदि पर्याप्त दी गई है। यदि संशोधन पर्याप्त हैं तो नियोक्ता, बोलीदाताओं को संशोधन पर विचार करने का उचित समय देने के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। इस मुद्दे पर घोषणा प्रपत्र 4घ, खंड IV में तैयार की गई है।

6. बोलियों की तैयारी

बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि बोली तैयार करते समय, वे निविदा दस्तावेज में शामिल दस्तावेजों की विस्तार से जांच करें। अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में भौतिक कमियों के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को नीचे उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

6.1 **बयाना जमा राशि (ईएमडी)**

6.1.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के साथ पंजीकृत फर्मों को बोली प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है।

6.1.2 सभी बोलीदाताओं को खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित राशि की बयाना राशि प्रस्तुत करनी होगी। जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के मामले में, बयाना राशि प्रमुख सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, नीचे आईटीबी के खंड 6.9.11 भी देखें।

6.1.3 उल्लिखित राशि की बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई कोष के निम्नलिखित खाते में जमा की जाएगी:

(क) बैंक खाते का नाम:	**आईडब्ल्यूएआई फंड**
(ख) बैंक का नाम और पता:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-15, नया बांस, नोएडा 201301
(ग) बैंक खाता संख्या:	513202050000007
(घ) आईएफएससी:	यूबीआईएन0551325

जिन बोलियों के साथ बयाना राशि नहीं होगी, उन्हें गैर-उत्तरदायी मानकर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6.1.4 बयाना राशि के रूप में जमा की गई राशि पर नियोक्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.1.5 सफल बोलीदाता की बयाना राशि निष्पादन सुरक्षा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

6.1.6 जिन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गई हों, लेकिन वे “सफल बोलीदाता” नहीं चुने जाते है, उनकी बयाना राशि सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने के सात (7) दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।

6.1.7 जो बोलीदाता आईटीबी के खंड 3 और 16 के अनुसार मूल्य बोलियां खोले जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते है, उनकी बयाना राशि मूल्य बोली खोलने के सात दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।

6.1.8 निम्नलिखित स्थितियों में नियोक्ता द्वारा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी:

(i) यदि बोली वैधता अवधि के दौरान बोली वापस ले ली जाती है, जिसमें बोलीदाता द्वारा सहमत कोई विस्तारित अवधि भी शामिल है।

(ii) यदि बोलीदाता मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

(iii) यदि न्यूनतम बोलीदाता बातचीत के दौरान कोई नया मुद्दा और/या नियम एवं शर्तें उठाता है, तो इसे मूल बोली को वापस लेना समझा जाएगा और उस स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

(iv) यदि बोलीदाता इस निविदा के समर्थन में किसी भी दस्तावेज के संबंध में गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

(v) यदि बोलीदाता एलओए प्राप्त होने पर संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।

(vi) यदि बोलीदाता संविदा के निष्पादन के किसी भी चरण में भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में लिप्त पाया जाता है।

(vii) यदि बोलीदाता संविदा की शर्तों के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(viii) यदि बोलीदाता, नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना बोली की किसी शर्त को रद्द करता या वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।

(ix) उपरोक्त (i) से (viii) में निर्धारित अनुसार बयाना राशि जब्त होने की स्थिति में बोलीदाता को कार्य की पुनःनिविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.2 **निविदा दस्तावेज की लागत/निविदा शुल्क**

सभी बोलीदाताओं के लिए खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित अनुसार निविदा दस्तावेज की लागत का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करना आवश्यक है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) या औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को इस संबंध में भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार दस्तावेजों को जमा करने पर निविदा शुल्क जमा करने से छूट दी गई है। इसके अलावा, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के लिए नीचे आईटीबी के खंड 6.9.12 का भी संदर्भ लें। निविदा दस्तावेज की लागत अप्रतिदेय है।

6.3 **बैंक ऋण शोधन क्षमता**

सभी बोलीदाताओं को खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित अनुसार भारत के किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से न्यूनतम राशि के लिए बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के मामले में, बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रमुख सदस्य के नाम पर होना चाहिए। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से एक (01) वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। **यदि बोलीदाता इस मानदंड का पालन नहीं करता है, तो**

उसकी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

6.4 **कर**

बोलीदाताओं को जीएसटी सहित सभी प्रकार के करों की प्रयोज्यता से पूरी तरह परिचित होना चाहिए और बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने की दिनांक पर लागू सभी करों को प्रपत्र वित्तीय-2 के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए। बोलीदाता से जीएसटी को इनपुट जीएसटी क्रेडिट के रूप में वसूला जाएगा। सभी करों का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

6.5 **मुद्रा**

बोलीदाताओं को अपने समनुदेशन/कार्य का मूल्य **भारतीय रुपए** में बताना होगा।

6.6 **भाषा**

बोली और साथ ही बोलीदाताओं और नियोक्ता के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले सभी-संबंधित पत्राचार अंग्रेजी भाषा में और इस निविदा दस्तावेज में संलग्न प्रारूपों के अनुसार ही होंगे। नियोक्ता केवल उन्हीं बोलियों का मूल्यांकन करेगा जो निर्दिष्ट प्रारूपों में प्राप्त हुई हैं और सभी प्रकार से पूर्ण हैं। बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के साथ या बाद में, नियोक्ता के किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होगा और यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज किसी अन्य भाषा में है, तो उसके साथ सभी प्रासंगिक अनुच्छेदों का अंग्रेजी में सटीक अनुवाद संलग्न होना आवश्यक है और ऐसे मामले में, बोली की व्याख्या के सभी प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

6.7 **बोली की वैधता**

खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक यह दर्शाती है कि बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ, प्रस्तुत करने की दिनांक के बाद कितने समय तक वैध रहनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय बोली में चार्टरिंग के लिए उद्धृत राशि अपरिवर्तित रहेगी। यदि आवश्यकता पड़ी, तो नियोक्ता बोलीदाताओं से उनकी बोलियों की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। जो बोलीदाता इस तरह के विस्तार के लिए सहमत होते हैं, उन्हें पुष्टि करनी होगी कि उनकी वित्तीय बोली अपरिवर्तित रहेगी। जो बोलीदाता अपनी बोलियों की वैधता नहीं बढ़ाते हैं, आगे के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.8 **बोलियों की संख्या**

एक बोलीदाता, एकल इकाई या जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के रूप में केवल एक बोली प्रस्तुत कर सकता है।

स्पष्ट किया जाता है कि यह संभव नहीं है कि कोई बोलीदाता का एक जलयान के लिए एकल इकाई के रूप में बोली प्रस्तुत करे और दूसरे जलयान के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाकर भाग ले। हालाँकि, बोलीदाता एकल इकाई के रूप में या जॉइंट

वैंचर/कंसोर्टियम के रूप में कई जलयान(ओं) के लिए निविदा में भाग ले सकता है। बोलीदाता की कई जलयान(ओं) में साझेदारी को खंड IV: प्रपत्र 4घ में प्रमाणित किया जाएगा।

6.9 **जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत बोलियां**

6.9.1 दो या अधिक फर्मों के बीच जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाया जा सकता है तथा यह अधिकतम तीन फर्मों तक सीमित है।

6.9.2 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में प्रमुख सदस्य की साझेदारी का हिस्सा सबसे अधिक होना चाहिए।

6.9.3 यदि बोलीदाता दो सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो दूसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 25% होगा। यदि बोलीदाता तीन सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो दूसरे और तीसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 15% होगा, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों का कुल हिस्सा 100% होगा।

6.9.4 घटक फर्मों के बीच संविदा के लिए एक संयुक्त बोली करार होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उनके बीच कार्य के निष्पादन के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह की जिम्मेदारियों के प्रस्तावित वितरण को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा (खंड IV के प्रपत्र 4झ में प्रारूप के अनुसार)। बोलीदाता को निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:

6.9.4.1 इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा जॉइंट वैंचर समझौते (यदि कोई हो) की एक प्रति

या

6.9.4.2 बोली प्रस्तुत करते समय 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर "संयुक्त बोली समझौते (खंड IV के प्रपत्र 4झ के प्रारूप के अनुसार) के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाने के इरादे" का दस्तावेजी प्रमाण।

जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम समझौते में प्रवेश करने के लिए संयुक्त बोली समझौते में कम से कम निम्नलिखित का शामिल होना आवश्यक है:

- जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम साझेदारों के नाम से अलग स्वतंत्र जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का नाम
- प्रमुख साझेदार का नाम
- ऊपर उल्लिखित खंड 6.9.3 का पालन करने वाले जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्यों की हिस्सेदारी का स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रतिशत।
- सभी साझेदार संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदा के निष्पादन के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6.9.4.3 ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को चयनित बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसे परियोजना सौंपी जाती है, तो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य

संयुक्त रूप से एक अलग कंपनी का गठन करेंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत उसे पंजीकृत करेंगे। इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए गठित अलग कंपनी द्वारा संविदा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6.9.5 प्रमुख साझेदार के प्राधिकरण को जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी साझेदारों/सदस्यों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित, विधिवत् नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।

6.9.6 प्रमुख साझेदार को जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के साझेदारों के लिए या उनकी ओर से, संयुक्त रूप से या अलग-अलग, दायित्व वहन करने तथा निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा तथा संविदा का सम्पूर्ण निष्पादन (भुगतान सहित) केवल प्रमुख साझेदार के माध्यम से किया जाएगा।

6.9.7 किसी भी साझेदार द्वारा संविदा के अपने हिस्से के निष्पादन में चूक की स्थिति में, प्रमुख साझेदार द्वारा या प्रमुख साझेदार के चूककर्ता होने की स्थिति में, शेष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रभारी साझेदार के रूप में नामित साझेदार द्वारा 30 दिनों के भीतर नियोक्ता को इसकी सूचना दी जाएगी। प्रभारी साझेदार उक्त नोटिस के 60 दिनों के भीतर, संविदा के उस हिस्से के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पक्ष को चूककर्ता साझेदार का काम सौंप देगा, जैसाकि बोली के समय परिकल्पित है। उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफलता संविदा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा संविदाकार को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगी। यदि अर्हता को मंजूरी देने वाले संचार में इस प्रकार परिभाषित प्रमुख साझेदार चूक करता है, तो इसे संविदाकार की चूक माना जाएगा और नियोक्ता संविदा की शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई करेगा।

6.9.8 उपर्युक्त उप-खण्ड 6.9.7 में उल्लिखित अनुसार नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पक्ष को चूककर्ता साझेदार की जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति के बावजूद, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी साझेदार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन और/या कार्यों के संतोषजनक समापन के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी बनाए रखेंगे।

6.9.9 प्रस्तुत बोली में आईटीबी के खंड 10.1 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकता के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।

6.9.10 प्रमुख सदस्य के पास जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में कि ऊपर के खंड 6.9.3 में निर्धारित हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसे खंड IV: प्रपत्र 4झ में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तावित जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों को संयुक्त रूप से आईटीबी के खंड 16.1 में निर्धारित समग्र अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा।

6.9.11 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के मामले में, एमएसएमई का लाभ प्राप्त करने के लिए, भाग लेने वाले सभी जॉइंट वैंचर सदस्यों का एमएसएमई अधिनियमों और प्रासंगिक प्रावधानों के

अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है और इसका प्रमाण इस संबंध में भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.9.12 किसी जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को कार्य सौंपे जाने की स्थिति में, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों को संविदा समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

6.10 **सेवा अनुसूची**

बोलीदाता को खंड-VII के खंड 11 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक बारह (12) महीने में दो बार सेक्टरों में अनुसूचित-सेवा करने की लागत को स्वीकार करना चाहिए।

7. हितों का टकराव 7.1 नियोक्ता चाहता है कि चयनित बोलीदाता ("संविदाकार") पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सलाह प्रदान करे और हमेशा नियोक्ता के हितों को सर्वोपरि रखे, अन्य समनुदेशन/कार्य या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करता है।

7.2 पूर्वोक्त की व्यापकता पर बिना किसी सीमा के, नीचे दी गई किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं और उनके किसी भी सहयोगी को हितों के टकराव में माना जाएगा और उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा:

(क) **टकराव पूर्ण संबंध:** किसी परामर्शदाता (उसके कार्मिकों और उप-परामर्शदाता सहित) का नियोक्ता के स्टाफ के किसी सदस्य के साथ व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध होना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (i) समनुदेशन/कार्य के संदर्भ शर्तों की तैयारी (ii) ऐसे समनुदेशन/कार्य के लिए चयन प्रक्रिया या (iii) संविदा के पर्यवेक्षण के किसी भी भाग में शामिल है, उसे तब तक संविदा नहीं दिया जा सकता है जब तक कि इस संबंध से उत्पन्न विवाद को चयन प्रक्रिया और संविदा के निष्पादन के दौरान नियोक्ता को स्वीकार्य तरीके से हल नहीं कर लिया जाता है।

7.3 परामर्शदाता का दायित्व है कि वे वास्तविक या संभावित टकराव की ऐसी किसी भी स्थिति का खुलासा करें जो उनके नियोक्ता के सर्वोत्तम हित की सेवा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, या जिसे उचित रूप से ऐसा प्रभाव माना जा सकता है। ऐसा कोई भी खुलासा तकनीकी प्रस्ताव के मानक रूपों के अनुसार किया जाएगा। यदि संविदाकार उक्त स्थितियों का खुलासा करने में विफल रहता है और यदि नियोक्ता को किसी भी समय ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो बोली प्रक्रिया के दौरान संविदाकार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या समनुदेशन के निष्पादन के दौरान उसके संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

7.4 नियोक्ता की कोई भी एजेंसी या मौजूदा कर्मचारी अपने मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के अंतर्गत संविदाकार के रूप में काम नहीं करेंगे। यदि संविदाकार खुद या उसके किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि को ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, जिसने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आईडब्ल्यूएआई के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का पद संभाला है और ऐसी सेवानिवृत्ति के एक (1) वर्ष के भीतर आईडब्ल्यूएआई या अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना संविदाकार के रूप में या सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के संबंध में या ऐसे संविदाकार के कर्मचारी के

रूप में रोजगार स्वीकार कर लिया है, तो संविदा रद्द किया जा सकता है।

8. बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृती

यह माना जाएगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करके बोलीदाता ने:

8.1 इस निविदा की पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक जांच की है;

8.2 नियोक्ता से सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है;

8.3 प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित सभी मामलों और आवश्यक जानकारी के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;

8.4 उपरोक्त खंड 5.2 और 5.3 के संदर्भ में वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर पोस्ट किए गए किसी भी संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में स्वयं को अद्यतित रखा है;

8.5 यह स्वीकार किया है कि इसमें हितों का टकराव नहीं है; और

8.6 इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए वचन से बाध्य होने पर सहमत है।

9. बोलियों के ई-प्रस्तुतिकरण हेतु दिशानिर्देश

9.1 बोलियां ई-प्रापण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से खंड-VIII के अंतर्गत संलग्नक-X के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10. बोलियां प्रस्तुत करना

(i) निविदा शुल्क के संबंध में मूल पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) और बोली-प्रतिभूति जमा घोषणा और भुगतान उपकरणों की हार्ड कॉपी, बोली समापन दिनांक और समय को या उससे पहले, खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित आईडब्ल्यूएआई के निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (अधिकृत प्रतिनिधि) के कार्यालय में पहुंचाई जानी चाहिए।

(ii) निविदा शुल्क और बयाना राशि के संबंध में मूल पीओए और भुगतान उपकरणों की हार्ड कॉपी के बिना प्रस्तुत की गई ऑनलाइन बोलियां स्वतः ही अयोग्य मानी जाएंगी और बोलियों को खोलने के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) एमएसई पंजीकृत फर्मों के मामले में, दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बयाना राशि और निविदा शुल्क के लिए छूट का दावा पत्र, बोली समापन दिनांक और समय को या उससे पहले, खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित आईडब्ल्यूएआई के निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (अधिकृत प्रतिनिधि) के कार्यालय में पहुंचाया जाना चाहिए।

(iv) आगे बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सभी पृष्ठों को क्रमांकित करें तथा प्रत्येक भाग के आरंभ में अनुक्रमित मदों की पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए विषय-सूची तैयार करें।

सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी और वित्तीय बोलियों की स्कैन की गई प्रति नीचे उल्लिखित क्रम के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलियाँ दो लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

10.1 **लिफाफा-I: तकनीकी बोली**

10.1.1 **भाग-I**

(क) खंड-III में निर्दिष्ट निविदा शुल्क का प्रमाण: बोली आंकड़ा पत्रक या सहायक दस्तावेजों के

साथ छूट का दावा

(ख) खंड-II खंड-6.1 में निर्दिष्ट "बयाना राशि" का प्रमाण या सहायक दस्तावेजों के साथ छूट का दावा

(ग) खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट न्यूनतम राशि के लिए बैंक ऋण शोधन क्षमता का प्रमाण

(घ) खंड VII के संलग्नक-VI के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज की स्वीकृति का पत्र

(ङ) बोली पत्र (खंड IV: प्रपत्र-4क)

(च) बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (खंड IV: प्रपत्र-4घ)

(छ) बोलीदाता द्वारा कानूनी क्षमता का विवरण (खंड IV: प्रपत्र-4छ)

(ज) खंड IV के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी: प्रपत्र-4घ । इस प्रपत्र के साथ अधिकृत प्रतिनिधि के कंपनी पहचान पत्र या सामान्य पहचान पत्र (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र आदि) की प्रति संलग्न होनी चाहिए।

(झ) खंड IV के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पीओए: प्रपत्र 4छ

(ञ) खंड IV के अनुसार संयुक्त बोली करार: प्रपत्र 4झ

(ट) खंड IV के अनुसार बोलीदाता सूचना पत्रक: प्रपत्र 4ङ

(ठ) संगठन की संरचना/स्वामित्व/शेयरधारिता पैटर्न

(ड) बोर्ड का प्रस्ताव, शीर्ष प्रबंधन (बोर्ड के सदस्य) का ब्यौरा, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमुख अधिकारियों का विवरण, संस्था के अंतर्नियम/संगम ज्ञापन

(ढ) कंपनी का पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र

(ण) खंड VIII में संलग्नक-I में दिए गए प्रारूप में सत्यनिष्ठा करार

(त) स्पष्टीकरण/प्रश्नों के उत्तर तथा बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक जारी सभी परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्रों सहित मूल निविदा दस्तावेज, जिस पर बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर लगी हो तथा हस्ताक्षर किए गए हों।

ध्यानार्थ: यदि बोली साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो बोली पर उपरोक्त फर्म के सभी साझेदारों, उनके पूरे नाम और वर्तमान व्यावसायिक पते, या फर्म के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले साझेदार द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ऐसी स्थिति में प्रपत्र 4घ: खंड IV के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए। बोली के साथ साझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति और फर्म के सभी साझेदारों के वर्तमान व्यावसायिक पते भी होने चाहिए।

10.1.2 **भाग - II**

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित तुलन-पत्र

(ख) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

(ग) कंपनी द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर)।

(घ) कंपनी का पैन कार्ड

(ङ) खंड IV: सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित औसत वार्षिक कारोबार के लिए प्रपत्र-4ख

(च) सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निवल मूल्य प्रमाणपत्र

(छ) ई-भुगतान के माध्यम से लेनदेन के लिए, खंड VIII के संलग्नक-IV और V में दिए गए प्रारूप में रद्द किए गए चेक के साथ बैंक खाते का विवरण

10.1.3 **भाग-III**

निम्नलिखित विवरण सहित कंपनी की संपूर्ण प्रोफ़ाइल:

(क) संगठन की पृष्ठभूमि

(ख) एक से अधिक जलयान(ओं) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं को किराये पर लिए जाने वाले जलयान(ओं) की प्राथमिकता के क्रम की सूची देनी होगी।

(ग) पिछले तीन (3) वर्षों में बोलीदाता द्वारा निष्पादित समान कार्य अनुभव के लिए क्लाइंट के लेटर-हेड पर क्लाइंट द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र। प्रस्तुत प्रमाणपत्र आईटीबी (बोलीदाता पात्रता मानदंड) के खंड-3 और आईटीबी के खंड 16.1 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेंगे।

(घ) संभावित उद्गम-गंतव्य (ओ-डी) युग्म के उल्लेख के साथ बेयर बोट पट्टे के आधार पर लिए जाने वाले जलयान के लिए प्रस्तावित बाजार/परिचालन योजना

(ङ) मुकदमों के विवरण की सूची

ध्यान दिया जाना चाहिए कि तकनीकी बोली में शुल्क का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। तकनीकी बोली में शुल्क का कोई भी संदर्भ बोली को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगा और बोली के आगे के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

भाग I, II एवं III के अंतर्गत उल्लिखित सभी प्रस्तुतियाँ, जहां भी लागू हो, सभी जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा अलग-अलग प्रस्तुत की जाएंगी।

10.2 **लिफाफा-II: वित्तीय बोली**

संबंधित जलयान(ओं) के लिए मूल्य/प्रस्ताव उद्धृत करने के लिए इस निविदा के साथ प्रपत्र वित्तीय-2क; और 2ख; के अनुसार खंड-V के अंतर्गत प्रदान किए गये एक्सेल प्रारूप (बीओक्यू XXXXX) में वित्तीय बोली का उपयोग किया जाएगा।

(i) इस मूल्य बोली में किसी भी प्रकार के कोई भी शर्त या नियम शामिल नहीं होंगे।

(ii) शुल्क निर्धारित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

(क) बोलीदाता द्वारा संविदा निष्पादित करने के लिए देय सभी शुल्क, कर जिसमें जीएसटी, रॉयल्टी और अन्य शुल्क शामिल हैं, मूल्य बोली में शामिल किए जाएंगे। **बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें और कीमतें संविदा की पूरी अवधि के लिए तय की जाएंगी और खंड VI: संदर्भ शर्तों के अंतर्गत खंड-2.3 में परिभाषित के अलावा किसी अन्य समायोजन के अधीन नहीं होंगी।** इसके अलावा, सांविधिक करों में किसी भी बदलाव को बोलीदाता द्वारा अंतर कर राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

(ख) बोलीदाता द्वारा कीमतें पूरी तरह से भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। सभी भुगतान भारतीय रुपये में किए जाएंगे।

10.3 चार्टरिंग की कुल अवधि खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

11. बोली प्रस्तुत करने की दिनांक का विस्तार

11.1 बोली प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार 11.1 नियोक्ता एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके और उसे नियोक्ता की वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर अपलोड करके बोलियां प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ा सकता है।

12. विलम्बित प्रस्ताव

12.1 उपर्युक्त खण्ड-11 के अनुसार, निर्दिष्ट बोली प्रस्तुतीकरण दिनांक एवं समय या उसके किसी विस्तार के बाद प्राप्त ऑनलाइन प्रस्तावों पर, नियोक्ता द्वारा मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. नियोक्ता की जिम्मेदारी

13.1 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें और उन्हें बोली जमा करने की अंतिम दिनांक से पहले ही अपनी बोलियां अपलोड कर देनी चाहिए। नियोक्ता बोलीदाता द्वारा बोलियों को ऑनलाइन जमा करने में किसी भी कारण से हुई विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह माना जाएगा कि आईटीबी के खंड-9 के अंतर्गत उल्लिखित बोलियों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया बोलीदाता द्वारा पढ़ और समझ ली गई है। हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि बोलीदाता बोली की हार्ड कॉपी जमा करता है, तो इसे ऑनलाइन बोली जमा करने का विकल्प नहीं माना जाएगा और यदि बोलीदाता किसी कारण से ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने में विफल रहता है, तो बोली की हार्ड कॉपी को मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापस लेना

14.1 प्रस्तुत की गई निविदा को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पहले बोलीदाताओं द्वारा संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस लिया जा सकता है।

बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस नहीं किया जाएगा।

15. बोली खोलने और मूल्यांकन की **प्रक्रिया**

15.1 प्रस्ताव खोले जाने के समय से लेकर संविदा दिए जाने तक, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावों की जांच, मूल्यांकन, रैंकिंग और संविदा देने की सिफारिश में नियोक्ता को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास बोलीदाताओं के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।

15.2 नियोक्ता एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन करेगा, जो मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करेगी।

15.3 ऑनलाइन बोली खोलने का काम दो चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले, प्राप्त सभी ऑनलाइन बोलियों की 'तकनीकी बोली' खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोली जाएगी। जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली उत्तरदायी पाई गई है और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, उनकी 'वित्तीय बोली' को बाद की दिनांक पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना ऐसे बोलीदाताओं को दी जाएगी। यदि बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट दिनांक को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर नियत समय और

स्थान पर खोली जाएँगी। जिन बोलियों के लिए उपरोक्त खंड-14 के अनुसार वापसी की सूचना प्रस्तुत की गई है, उन्हें नहीं खोला जाएगा।

15.4 टीईसी तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन टीओआर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर और आईटीबी के खंड-3 और 16 में निर्दिष्ट पात्रता और मूल्यांकन मानदंड, उप-मानदंड लागू करके करेगा। मूल्यांकन के पहले चरण में, यदि कोई प्रस्ताव दोषपूर्ण पाया जाता है या आईटीबी के खंड-3 और 16 में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उत्तरदायी प्रस्तावों को ही मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

15.4.1 एक बोली को केवल तभी उत्तरदायी माना जाएगा यदि:

(क) यह बोली प्रस्तुत करने की दिनांक और समय तक प्राप्त हो, जिसमें उपरोक्त खंड-11 के अनुसार कोई विस्तार भी शामिल है;

(ख) इसके साथ उपरोक्त खंड 6.1 और 6.2 में निर्दिष्ट बोली-प्रतिभूति जमा घोषणा और निविदा शुल्क संलग्न है;

(ग) यह खंड-IV (तकनीकी प्रस्ताव) और खंड-V (वित्तीय प्रस्ताव) में निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्राप्त हो;

(घ) इसमें कोई शर्त, अर्हता या सुझाव नहीं हो; और

(ङ) यह आईटीबी के खंड 3 और 16.1 में निर्धारित पात्रता और अर्हता मानदंडों को पूरा करती हो।

15.5 बोली की प्रतिक्रियात्मकता का पता लगाने के बाद, प्रत्येक प्रतिक्रियात्मक बोली का मूल्यांकन नीचे दिए गए खंड 16.2 के अनुसार किया जाएगा। बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना तथा बोलीदाताओं की अर्हता में सहायता के लिए, नियोक्ता अपने विवेक से किसी भी बोलीदाता से उसकी बोली पर स्पष्टीकरण मांग सकता है, तथा जवाब देने के लिए उचित समय दे सकता है। हालाँकि, यदि स्पष्टीकरण अप्रासंगिक पाया जाता है तो नियोक्ता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए नियोक्ता का अनुरोध और जवाब लिखित में होगा।

15.6 जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ उत्तरदायी पाई जाती हैं और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, नियोक्ता उन बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियों के खुलने की दिनांक, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा। इस प्रकार सूचित किए गए बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन खोले जाने की बैठक में भाग ले सकते हैं।

15.7 'वित्तीय बोलियों' को ऑनलाइन खोले जाने के समय, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के नाम, बोली की कीमतें, प्रत्येक बोली की कुल राशि तथा अन्य ऐसे विवरण जिन्हें नियोक्ता उचित समझे, उसे नियोक्ता द्वारा घोषित किया जाएगा।

15.8 बोलीदाता यदि आवश्यक समझे तो वित्तीय बोली खोलने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। ऐसे प्रतिनिधि के पास बोलीदाता की ओर से बोली खोले जाने के लिए उपस्थित होने का प्राधिकरण पत्र होना चाहिए।

16. अर्हता मानदंड और बोली का मूल्यांकन

16.1 **न्यूनतम अर्हता मानदंड**

इस निविदा के लिए अर्हता मानदंड और बोली मूल्यांकन अर्हता प्राप्त करने के लिए, बोलीदाता को नीचे आईटीबी के खंड 16.1.1 से 16.1.3 में निर्धारित प्रत्येक अर्हता मानदंड को पूरा करना होगा। किसी भी अर्हता मानदंड को पूरा न करने पर बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी।

16.1.1 **समान कार्य अनुभव के लिए अर्हता मानदंड**

बोलीदाता के पास नदियों, झीलों या बैकवाटर में मालवाहक जलयान(ओं)/बर्जों (स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए) के संचालन, अनुरक्षण और संचालन का अनुभव होना चाहिए या बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, पिछले 7 वर्षों के दौरान 03, 02 और 01 की अनुमानित लागत के 40%, 50% और 80% की लागत के सफलतापूर्वक पूरे किए गए समान कार्यों के परिवहन सेवाओं का अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में अनुभव के प्रमाण के रूप में ग्राहक का पूर्णता प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

16.1.2 **पिछले पांच वर्षों में तीन (3) वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक कारोबार के लिए अर्हता मानदंड**

इस कार्य के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बोलीदाता को संबंधित
जलयान (जलयान(ओं) के लिए कार्य के कुल मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत का औसत वार्षिक कारोबार किया होना चाहिए, तथा पिछले पांच वर्षों में अधिकतम तीन वर्षों का आईटी रिटर्न जमा करना चाहिए।

जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की स्थिति में, सभी पक्षों को मिलाकर औसत वार्षिक कारोबार की अर्हता आवश्यकता को पूरा करना होगा।

16.1.3 यदि कोई बोलीदाता आईटीबी के खंड 3 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के साथ-साथ उपर्युक्त न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली के तकनीकी मूल्यांकन के लिए आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और ऐसी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।

16.2 **अंतिम मूल्यांकन**

16.2.1 बोलीदाता ऊपर निर्धारित पात्रता और अर्हता मानदंडों को पूरा करने पर एक या एक से अधिक (जलयान(ओं) के लिए बोली लगा सकता है। निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए:

(क) एक से अधिक (जलयान(ओं) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं को किराये पर लिए जाने वाले (जलयान(ओं) की प्राथमिकता के क्रम की सूची देनी होगी, जिसे प्रपत्र-4क में दिए गए अनुसार तकनीकी बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) पात्रता और अर्हता मानदंडों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन करते समय, यदि बोलीदाता कम संख्या में (जलयान(ओं) के लिए उत्तरदायी पाया जाता है, तो उसके विकल्पों पर निर्धारित पात्रता के स्तर तक जलयान (जलयान(ओं) की प्राथमिकता के क्रम के आधार पर विचार किया जाएगा।

16.2.2 जो बोली बिना किसी भौतिक विचलन या आरक्षण के निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और विनिर्देशों के अनुरूप हो, वह एक पर्याप्त उत्तरदायी बोली होती है। एक भौतिक विचलन या आरक्षण वह होता है:

(क) जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से कार्य के दायरे, गुणवत्ता या निष्पादन को प्रभावित करता है;

(ख) जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से, निविदा दस्तावेज के साथ असंगत, नियोक्ता के अधिकारों या संविदा के अंतर्गत बोलीदाता के दायित्वों को सीमित करता है; या

(ग) जिसका सुधार अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा जो काफी हद तक उत्तरदायी बोलियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा, यदि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज़ के खंड V के मात्रा के बिल (बीओक्यू) में सूचीबद्ध कार्य की सभी वस्तुओं को करने की पेशकश नहीं की है, तो बोली को काफी हद तक उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।

16.2.3 बोलियों का मूल्यांकन करते समय संविदा के निष्पादन की अवधि में लागू संविदा की शर्तों के मूल्य समायोजन प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुमानित प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

16.2.4 बोलीदाता केवल प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार से ऊपर अपनी सर्वोत्तम दरें पेश करेंगे। प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार से नीचे के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। प्रत्येक जलयान के लिए सबसे अधिक कीमत वाले बोलीदाता को अलग से चुना जाएगा। भले ही बोलीदाता एक से अधिक (जलयान(ओं) के लिए बोली लगाता हो और सभी (जलयान(ओं) के लिए उद्धृत मूल्य का कुल योग सबसे अधिक हो, हालाँकि बोलीदाता का उद्धरण अलग-अलग (जलयान(ओं) के लिए सबसे अधिक नहीं है, फिर भी, ऊपर निर्धारित पद्धति को अपनाया जाएगा और किसी भी जलयान के लिए ऐसे बोलीदाता द्वारा उद्धृत उच्चतम मूल्य (प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार से ऊपर) पर विचार किया जाएगा।

17. संविदा जारी करना

17.1 नियोक्ता चयनित बोलीदाता को एलओए जारी करेगा। वह ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर लिए गए निर्णय के बारे में अन्य सभी बोलीदाताओं को भी सूचित कर सकता है।

17.2 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के लिए, संविदाकार एलओए जारी होने के 45 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी और सुरक्षा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सहित खंड VII में संविदा की शर्तों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

एकल इकाई के मामले में, संविदाकार एलओए जारी होने के 28 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सहित खंड VII में दी गई संविदा की शर्तों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व-शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

17.3 सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर समनुदेशन/कार्य शुरू करेगा।

18. क्षतिपूर्ति

18.1 यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके, बोलीदाता नियोक्ता, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों को अपरिवर्तनीय रूप से, बिना शर्त, पूरी तरह से और अंतिम रूप से किसी भी तरह से संबंधित किसी भी अधिकार के प्रयोग और/या इसके अंतर्गत और/या इसके संबंध में किसी भी दायित्व के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले दावों, हानि, क्षति, लागत, खर्च या देनदारियों के लिए किसी भी और सभी देयताओं से मुक्त करने पर सहमत है और इनकी क्षतिपूर्ति करेगा और इस संबंध में अपने किसी भी और सभी अधिकारों और/या दावों को छोड़ता है, चाहे वे वास्तविक या आकस्मिक हों, चाहे वर्तमान के हों या भविष्य के।

19. धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण

19.1 बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार चयन प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेंगे। इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यदि यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता ने चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ीपूर्ण आचरण, बलपूर्वक आचरण, अवांछनीय आचरण या प्रतिबंधात्मक आचरण (सामूहिक रूप से "निषिद्ध आचरण") में भाग लिया है तो वह नियोक्ता बोलीदाता के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना उसकी बोली को अस्वीकार कर देगा। ऐसी स्थिति में, नियोक्ता, अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निविदा के संबंध में नियोक्ता के समय, लागत और प्रयास के लिए नियोक्ता को देय हर्जाने के लिए वयाना राशि या निष्पादन सुरक्षा या काउंटर सुरक्षा जब्त कर लेगा, जिसमें ऐसे बोलीदाता के प्रस्ताव पर विचार और मूल्यांकन भी शामिल है।

19.2 एलओए या करार के अंतर्गत नियोक्ता को खण्ड 18 (बीमा) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि किसी बोलीदाता या संविदाकार को नियोक्ता द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान या एलओए जारी होने या करार के निष्पादन के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से किसी निषिद्ध कार्य में संलग्न या लिप्त पाया जाता है, तो जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा ऐसे बोलीदाता या संविदाकार को प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से, किसी निषिद्ध कार्य में संलग्न या लिप्त पाया जाने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए वह बोलीदाता या संविदाकार, नियोक्ता द्वारा जारी किसी भी निविदा या चार्टरिंग के लिए निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

खंड-III: बोली डेटा शीट

खंड-III: बोली डेटा शीट

<table>
<tr><th>संदर्भ</th><th>ब्यौरा</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>आईटीबी 2.1</td><td>नियोक्ता</td><td>अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301</td></tr>
<tr><td>आईटीबी 2.1</td><td>चयन की विधि</td><td>किसी जलयान के लिए उस बोलीदाता का चयन किया जाएगा, जिसने उस जलयान के लिए उच्चतम बोली लगाई है।</td></tr>
<tr><td>आईटीबी 2.2</td><td>समनुदेशन/कार्य का नाम</td><td>आईडब्ल्यूएआई के एक अंतर्देशीय मालवाहक जलयान को किराए पर लेना। (जलयान में दो डंब बार्ज और एक टग शामिल है)</td></tr>
<tr><td>आईटीबी 2.3</td><td>क) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक और समय; और
ख) निविदा शुल्क के लिए पीओए और बोली-प्रतिभूति जमा घोषणा और भुगतान साधन की हार्ड कॉपी जमा करने का पता।</td><td>दिनांक: 03.09.2024
समय: 1500 बजे तक (आईएसटी)
प्रस्तुतिकरण: ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल अर्थात https://eprocure.gov.in/eprocure/appand पर ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
पता: निदेशक (यातायात एवं रसद), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301</td></tr>
<tr><td>आईटीबी 4.0</td><td>बोली-पूर्व बैठक</td><td>बोली-पूर्व कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है</td></tr>
<tr><td>-</td><td>प्रति माह बेयर बोट ड्राई चार्टर का प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार</td><td>
<table>
<tr><th>जलयान का नाम</th><th>प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार (जीएसटी छोड़कर)</th><th>तीन (3) वर्षों के लिए प्रस्तावित न्यूनतम किराया प्रभार (जीएसटी को छोड़कर)</th></tr>
<tr><td>2000 (1000X2) टन के डंब बार्ज "डीबी अजय और डीबी दिखू" टग एमवी त्रिशूल के साथ।</td><td>भारतीय रुपए 6,00,000</td><td>भारतीय रुपए 2,16,00,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>आईटीबी 6.1</td><td>बयाना राशि (बोली का सारांश)</td><td>
<table>
<tr><th>जलयान का नाम</th><th>बयाना राशि</th></tr>
<tr><td>2000 (1000X2) टन के डंब बार्ज "डीबी अजय और डीबी दिखू" टग एमवी त्रिशूल के साथ।</td><td>भारतीय रुपए 4,32,000</td></tr>
</table>
यदि बोलीदाता एक से अधिक (1) (जलयान(ओं) के लिए बोली लगाने का इरादा रखता है, तो बयाना राशि प्रत्येक जलयान की अलग आवश्यकता का</td></tr>
</table>

संदर्भ	ब्यौरा	विवरण
		योग होगी जिसके लिए बोलीदाता बोली प्रस्तुत कर रहा है।
आईटीबी 6.2	निविदा शुल्क	2,500/- रुपये + 18% जीएसटी (अर्थात 2,950/- रुपये)। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग **(एमएसएमई)** द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम **(एमएसई)** या औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) **द्वारा मान्यता** प्राप्त स्टार्ट-अप को भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार दस्तावेजों को जमा करने पर निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की कीमत जमा करने से छूट दी गई है। उपर्युक्त निविदा शुल्क की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई फंड में निम्नलिखित खाते में जमा की जाएगी: **i. बैंक खाते का नाम:** आईडब्ल्यूएआई फंड **ii. बैंक का नाम और पता**: केनरा बैंक, सेक्टर-18, मोरना शाखा, नोएडा **iii. बैंक खाता संख्या: 90622150000086** **iv. आईएफएससी:** सीएनआरबी0018778
आईटीबी 6.3	न्यूनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता	इस निविदा में निर्धारित एक (1) वर्ष के लिए प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया शुल्क का 40% यदि बोलीदाता एक से अधिक (जलयान(ओं) के लिए बोली लगाने का इरादा रखता है, तो बैंक ऋण शोधन क्षमता की अर्हता मानदंड प्रत्येक जलयान के लिए अलग-अलग आवश्यक राशि का योग होगा जिनके लिए बोलीदाता बोली प्रस्तुत कर रहा है।
आईटीबी 6.7	बोली वैधता अवधि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से 120 दिन बाद।
आईटीबी 6.9	जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम	हां, अनुमति है
आईटीबी 10	अधिकृत प्रतिनिधि	**नाम:** निदेशक (यातायात और रसद), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 **ईमेल आईडी:** akbansal@iwai.gov.in
आईटीबी 10.3	संविदा की अवधि	जलयान (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से 3 वर्ष (36 महीने) तक होगी तथा संविदाकार द्वारा कार्य के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर वार्षिक आधार पर दो वर्षों (24 महीने) के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
आईटीबी 15.3	बोली खोलने की दिनांक	**दिनांक:** 04.09.2024 **समय:** 1500 बजे
आईटीबी 17.3	समनुदेशन का स्थान	कोलकाता, पश्चिम बंगाल

संदर्भ	ब्यौरा	विवरण
-	मेक इन इंडिया	भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के अनुसार, "सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017-संशोधन" विषय पर दिनांक 04.06.2020 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे।
-	निष्पादन सुरक्षा	जारी/संपन्न सभी निविदा/संविदा के लिए संविदा के मूल्य का 5%

खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र

प्रपत्र 4क: बोली प्रपत्र

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में,

निदेशक (यातायात एवं रसद)
आईडब्ल्यूएआई, ए-13, सेक्टर-1,
गौतम बुद्ध नगर
नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

विषय: आईडब्ल्यूएआई के **एक** अंतर्देशीय मालवाहक जलयान (जिसमें दो डंब बार्ज और एक टग शामिल है) को किराए पर लेने के लिए निविदा-*(उस जलयान का नाम लिखें जिसके लिए बोलीदाता भाग ले रहा है)।*

महोदय,

1. उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु सूचना और अनुदेश, संविदा की शर्तें, तकनीकी, सामान्य और विस्तृत विनिर्देश, मात्रा का बिल (बीओक्यू) करार और बैंक गारंटी प्रपत्र इत्यादि की जांच करने के बाद, मैं/हम .....(*बोलीदाता का नाम*) इस निविदा दस्तावेज के बीओक्यू में उल्लिखित राशि या संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई अन्य राशि के लिए संविदा की उक्त शर्तों, मात्राओं की अनुसूची के अनुरूप निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत करते हैं।

2. मैं/हम संविदा में सम्मिलित समस्त कार्यों को निविदा में उल्लिखित समय के भीतर पूरा करने और वितरित करने का वचन देते हैं तथा साथ ही निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों, कार्य के दायरे और अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार से कार्य पूरा करने का वचन देते हैं।

3. मैं/हम इस निविदा का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से 120 दिनों की अवधि के लिए निविदा को खुला रखने या आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपेक्षित विस्तार करने तथा इसकी शर्तों में कोई संशोधन न करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

4. मैं/हम सहमत हैं, यदि मैं/हम उपर्युक्त अनुसार निविदा की वैधता को खुला रखने में विफल रहते हैं या मैं/हम अपनी निविदा की शर्तों और नियमों में कोई संशोधन करते हैं, यदि मैं/हम उपर्युक्त अनुसार कार्यों का निष्पादन शुरू करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम अपनी फर्म/कंपनी के निलंबन के लिए उत्तरदायी होऊँगा। यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम इस निविदा की सभी शर्तों और नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं।

5. मैंने/हमने निविदा में दर्शाई गई निश्चित क्षतिपूर्ति की राशि पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है और इस बात से सहमत हैं कि यह समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में आईडब्ल्यूएआई को होने वाली संभावित हानि का उचित अनुमान है।

6. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर अपने/अपने खर्च पर निर्धारित प्रारूप में संविदा संविदा निष्पादित करने का वचन देते हैं। जब तक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह निविदा और उसमें आपकी लिखित स्वीकृति एक बाध्यकारी संविदा होगी।

7. **मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म को प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है।** प्रतिबंधित या काली सूची में डाले जाने से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी निविदा/संविदा के किसी भी चरण में नियोक्ता के संज्ञान में लाई जाती है तो मौजूदा कानून के अंतर्गत दंडनीय होगी और संविदा को रद्द या समाप्त कर दिया जाएगा।

8. मैं/हम समझते हैं कि आईडब्ल्यूएआई निम्नतम या प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार कर सकता है।

9. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा दस्तावेज में निहित नियमों, शर्तों, विनिर्देशों आदि के पूर्णतः अनुरूप है, तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें पूर्वोक्त दस्तावेजों से कोई विचलन नहीं है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

.... के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने उसे प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत

(फर्म का नाम और पता)

मैसर्स ....

टेलीफोन नम्बर.................... फैक्स नम्बर....................

ईमेल आईडी: ....

प्रपत्र 4ख: पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार

(सनदी लेखाकार/सांविधिक लेखापरीक्षक के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**वार्षिक कारोबार भारतीय रुपये में**
1	2019-20	
2	2020-21	
3	2021-22	
4	2022-23	
5	2023-24	
	कुल योग (पाँच वर्षों में से तीन सर्वश्रेष्ठ)	
	औसत वार्षिक कारोबार	*[उपर्युक्त आंकड़ों का योग 3 से भाग देकर दर्शाएं]*

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....*[फर्म का नाम] [पंजीकृत पता]* ने संबंधित वर्षों के लिए ऊपर दर्शाए गए भुगतान प्राप्त किए हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम:

फर्म का नाम:.....

(फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक का हस्ताक्षर मुहर सहित)

टिप्पणी:

यदि बोलीदाता के पास कोई सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं है, तो वह किसी सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र उपलब्ध करा सकता है।

.

प्रपत्र 4ग: पावर ऑफ अटॉर्नी

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत किया जाना चाहिए। स्टाम्प पेपर उस कंपनी के नाम पर होना चाहिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर रही है)

इन प्रस्तुतियों से सभी लोगों को पता रहे, हम, ... *(संगठन का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता)* एतद्द्वारा श्री/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी और वर्तमान में ..... में रह रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ/हमारे द्वारा रखे गए हैं और ....., ... के पद पर हैं, को हमारे सच्चे और वैध अधिवक्ता के रूप में (इसके बाद **"अधिकृत प्रतिनिधि"** के रूप में संदर्भित), वे व्यक्ति को उप-प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ, हमारे नाम और हमारी ओर से, सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें जो "..... *(समनुदेशन का नाम लिखें)"* के लिए हमारी बोली प्रस्तुत करने के संबंध में या उसके लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं, करने के लिए नामित, नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (नियोक्ता) के लिए संविदाकार का चयन, जिसमें सभी आवेदनों, बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोली-पूर्व और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना और नियोक्ता को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, नियोक्ता के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, हमारी बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सभी अनुबंधों और वचनों पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना और सामान्य रूप से उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में नियोक्ता के साथ व्यवहार करना और/या नियोक्ता के साथ संविदा में प्रवेश करने तक हमें उसका पंचाट देना शामिल है।

और, हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके अनुसार हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिपूर्वक किए गए या कराए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

हमने, जिसके साक्ष्य स्वरूप ,..... उपर्युक्त प्रमुख ने आज ..... दिनांक ....., 20 को यह पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।**

के लिए ...

(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

साक्षी:

1.....

2.....

स्वीकृत

(अधिवक्ता का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

टिप्पणियाँ:

1. *पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक (कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उसके अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
2. *जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों जैसे संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।*

प्रपत्र 4घ: बोलीदाता द्वारा घोषणा

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में, **दिनांक:**.....

निदेशक (यातायात एवं रसद),
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301,
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

ध्यानार्थ: निदेशक (यातायात और रसद), आईडब्ल्यूएआई

विषय: बोलीदाता द्वारा घोषणा

निविदा संदर्भ संख्या: …….

महोदय,

यह उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़ के संदर्भ में है। हम इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणाएँ करते हैं:

1.	☐	आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2.	☐	मैं/हमें किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित या डीलिस्ट नहीं किया गया है।
3.	☐	मैं/हम संविदा की शर्तों के भुगतान की शर्तों को स्वीकार करते हैं
4.	☐	मैं/हम इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।
5.	☐	आईटीबी के खंड 8 के अनुसार बोलीदाता द्वारा पावती
6.	☐	मैं/हम पुष्टि करते हैं कि पिछले 03 वर्षों के दौरान न तो हम असफल हुए हैं और न ही हमें किसी भी परियोजना या समझौते से निष्कासित किया गया है
7.	☐	मैं/हम इस निविदा के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में किसी भी गलत घोषणा के लिए हमें अयोग्य घोषित करने और मेरी/हमारी निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने के लिए सहमत हूं/हैं।
8.	☐	मैं/हम इस बात पर सहमत हैं कि यदि आईडब्ल्यूएआई के संज्ञान में यह बात आती है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रस्तुतियां वास्तविक नहीं हैं, तो हम इस निविदा से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे तथा भविष्य में आईडब्ल्यूएआई परियोजनाओं में निविदा देने के लिए काली सूची में डाल दिए जाएंगे।
9.	☐	मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों/प्रस्तुति-पूर्व प्रश्नों के उत्तर आदि को टिप्पणी कर लिया है/अद्यतन कर लिया है तथा उसे सम्मिलित करते हुए बोली प्रस्तुत की गई है।

भवदीय

बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

टिप्पणी: कृपया उपरोक्त तालिका में उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं।

प्रपत्र 4ङ: बोलीदाता सूचना-पत्र

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोलीदाता का नाम: *[पूरा नाम लिखें]*
बोलीदाता का नाम: *[पूरा नाम लिखें]*
बोलीदाता पक्ष का पंजीकरण देश: *[पंजीकरण का देश लिखें]*
बोलीदाता के गठन का वर्ष: *[गठन का वर्ष लिखें]*
गठन के देश में बोलीदाता का कानूनी पता: *[सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश लिखें]*
बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी *नाम: [पूरा नाम लिखें]* पता: [सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश *लिखें*] टेलीफोन/फैक्स नंबर: *[देश और शहर कोड सहित टेलीफोन/फैक्स नंबर भरें]* *ई-मेल पता: [ई-मेल पता लिखें]*
1. मूल दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं ☐ संस्था के अंतर्नियम (या संविधान या कंसोर्टियम के समकक्ष दस्तावेज), और/या ऊपर नामित कानूनी इकाई के पंजीकरण दस्तावेज। ☐ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम या संस्थान के मामले में, कानूनी और वित्तीय स्वायत्तता, वाणिज्यिक कानून के अनुसार संचालन और आश्रित स्थिति की अनुपस्थिति स्थापित करने वाले दस्तावेज। 2. इसमें संगठनात्मक चार्ट, निदेशक मंडल की सूची और लाभकारी स्वामित्व शामिल हैं।

भवदीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

टिप्पणी:

यह प्रपत्र अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान प्रमाण के साथ दिया जाएगा

प्रपत्र 4च: बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोलीदाता का नाम: .....

जमा करने की दिनांक: .....

बोली-पूर्व प्रश्न

क्र. सं.	**निविदा दस्तावेज की खंड संख्या, उप-खण्ड संख्या और पृष्ठ संख्या**	**निविदा खण्ड का विवरण**	**प्रश्न/सुझाव/मांगा गया स्पष्टीकरण**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
.			
.			
.			
.			

भवदीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

प्रपत्र 4छ: कानूनी क्षमता का विवरण

(बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

संदर्भ

दिनांक: .....

सेवा में,

निदेशक (यातायात एवं रसद)
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ए-13, सेक्टर-1,
नोएडा-201 301
उत्तर प्रदेश

महोदय,

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम/ हमारे सदस्य, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम (जिसका गठन बोली में वर्णित किया गया है) में निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं।

हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ..... *(सदस्य का नाम लिखें)* हमारे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करेगें।*

हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ..... *(व्यक्ति का नाम लिखें)* हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगें।* और उन्हें निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को ऐसे पत्र प्रस्तुत करने और उसे प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ दी गई हैं। प्रमुख सदस्य/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सभी कार्रवाइयाँ/प्रतिनिधित्व जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)

.....के लिए और ओर से

*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र 4ज: जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत)

जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ("नियोक्ता") ने **".....**(कार्य का नाम *लिखें*) **(आगे "कार्य" के रूप में संदर्भित)**" के लिए इच्छुक पक्षों से बोलियां आमंत्रित की हैं।

और

जबकि,.....,....., और ..... (सामूहिक रूप से "जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम") जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य होने के नाते परियोजना के संबंध में निविदा दस्तावेज और अन्य संबंधित दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार परियोजना के लिए बोली लगाने में रुचि रखते हैं, और

जबकि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने में से किसी एक को प्रमुख सदस्य के रूप में नामित करें, जिसके पास जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से परियोजना के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली और उसके निष्पादन के संबंध में आवश्यक सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां और अधिकार हों।

इसलिये अब इन प्रस्तुतियों से सब लोगों को पता रहे

हम,.....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है और मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद सामूहिक रूप से "प्रमुखों" के रूप में संदर्भित) एतद्द्वारा मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, और जो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों में से एक है, को जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य और सच्चे और वैध अटॉर्नी के रूप में (इसके बाद "अटॉर्नी" के रूप में संदर्भित) अपरिवर्तनीय रूप से नामित, नामांकित, गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं। हम एतद्द्वारा अटॉर्नी को (उप-प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ) बोली प्रक्रिया के दौरान जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम और हममें से किसी एक की ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने के लिए, और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को संविदा दिए जाने की स्थिति में, परियोजना के निष्पादन के दौरान और इस संबंध में, हमारी ओर से और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से ऐसे सभी या कोई भी कार्य, कर्म या चीजें करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करते हैं जो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की पूर्व-अर्हता और परियोजना के लिए इसकी बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक या अपेक्षित या प्रासंगिक हैं, जिसमें सभी बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोलीदाताओं और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना, प्रश्नों का उत्तर देना, सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करना, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अनुबंधों और उपक्रमों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना और आम तौर पर नियोक्ता और/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी या किसी व्यक्ति के साथ, **"कार्य"** के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली के संबंध में जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी व्यवहारों में, उससे संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में प्रतिनिधित्व करना शामिल है।

और हम एतद्द्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके द्वारा किए गए या करवाए जाने वाले सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि और अनुसमर्थन करने के लिए सहमत हैं और इसके द्वारा यह पुष्टि करते हैं और यह कि हमारे अटॉर्नी द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे/कंसोर्टियम द्वारा की गई मानी जाएंगी और कानूनी रूप से हमारे लिए बाध्यकारी होंगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप हम, ऊपर नामित प्रमुखों ने आज, 20... की दिनांक को यह पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पद)

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पद)

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पद)

साक्षी:

1.

2.

.....

(निष्पादनकर्ता)

(जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाएगा)

टिप्पणियाँ:

- *पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादकों के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उस के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो, तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
- *इसके अलावा, जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड या शेयरधारकों के संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।*

प्रपत्र 4झ: संयुक्त बोली करार

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत)

यह संयुक्त बोली करार ..... (जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का नाम *लिखें*) के पक्ष में, 20 .. .. के इस .....दिन

1. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"प्रथम भाग"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

2. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"द्वितीय भाग"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

3. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"तृतीय पक्ष"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस अभिव्यक्ति में संदर्भ के प्रतिकूल होने तक इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

के बीच किया गया है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय पक्ष के उपर्युक्त पक्षों को सामूहिक रूप से **"पक्ष"** कहा जाता है और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** कहा जाता है।

जबकि,

(क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण **(नियोक्ता)** ने अपने अनुरोध द्वारा बोलियां **(बोलियां)** (.....**"निविदा दस्तावेज"** के लिए ..... (समनुदेशन का नाम *लिखें*)" **("निर्माण कार्य")** आमंत्रित की हैं।

(ख) पक्षों ने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है और वे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के रूप में परियोजना के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने में रुचि रखते हैं और परियोजना के संबंध में निविदा दस्तावेज और अन्य निविदा दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार, और

(ग) निविदा दस्तावेज के अंतर्गत यह आवश्यक शर्त है कि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य संयुक्त बोली करार करेंगे तथा उसकी एक प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करेंगे।

अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. **परिभाषाएँ और व्याख्याएँ**

इस संविदा में, बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निविदा दस्तावेज में दिए गए अर्थ के समान होगा।

2. जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम

2.1 ये पक्ष परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया में संयुक्त रूप से भाग लेने के उद्देश्य से अपरिवर्तनीय रूप से एक जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का गठन करते हैं।

2.2. ये पक्ष केवल इस जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के माध्यम से बोली प्रक्रिया में भाग लेने का वचन देते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से और/या इस परियोजना के लिए गठित किसी अन्य जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या उनके किसी सहयोगी के माध्यम से।

3. वाचाएं

सभी पक्ष यह वचन देते हैं कि यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को चयनित बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसे परियोजना प्रदान की जाती है, तो वे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का गठन करेंगे, जिसकी सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में, चयनित बोलीदाता अर्थात् सभी पक्ष सामूहिक रूप से संविदा अवधि से परे तीन महीने की अवधि के लिए 100% इक्विटी रखेंगे।

4. **पक्षों की भूमिका**

सभी पक्ष नीचे वर्णित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का वचन देते हैं:

(क) प्रथम पक्ष का पक्ष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का प्रमुख सदस्य होगा और बोली प्रक्रिया के दौरान और **"कार्य"** के लिए संविदा पर हस्ताक्षर होने तक जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने के लिए सभी पक्षों से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करेगा, जब सभी दायित्व प्रभावी हो जाएंगे;

(ख) दूसरे और तीसरे पक्ष **"कार्य"** के लिए निविदा के अंतर्गत दिए गए कार्य के पूरे दायरे को पूरा करने के लिए यहां दर्ज तरीके से प्रमुख सदस्य की सहायता करेंगे।

(ग) यदि नियोक्ता द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया के अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है, तो पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करने का प्रयास करेंगे, जो कि निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों तथा नियोक्ता और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के बीच समय-समय पर निष्पादित किए जाने वाले अन्य समझौतों/अनुबंधों/कार्य आदेशों के अनुसार होगा।

5. संयुक्त और अनेक दायित्व

दोनों पक्ष परियोजना से संबंधित सभी दायित्वों और देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होने का वचन देते हैं और **"कार्य"** के लिए निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, उसमें निर्धारित समय तक जिम्मेदार रहेंगे।

6. शेयरधारिता

6.1 ऐसे चयनित बोलीदाता (जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम) के प्रमुख सदस्य संविदा अवधि के दौरान हर समय पक्षों द्वारा परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिए शामिल किए गए सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी के .....% (आईटीबी के खंड 6.9.2 के अनुसार) के बराबर इक्विटी रखेंगे। इसके अलावा, कंसोर्टियम के अन्य सदस्य जिनकी तकनीकी/वित्तीय अर्हता का उपयोग इस निविदा दस्तावेज़ के अंतर्गत अर्हता के उद्देश्य के लिए किया गया है, वे संविदा अवधि के दौरान सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में क्रमशः .....% (आईटीबी के खंड 6.9.3 के अनुसार) इक्विटी रखेंगे; बशर्ते कि नियोक्ता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्य को परामर्शदाता की सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में अपनी इक्विटी शेयरहोल्डिंग [पूरी तरह से/आंशिक रूप से] बेचने की अनुमति दे सकता है।

(क) पक्ष यह वचन देते हैं कि वे **"कार्य"** के लिए निविदा में निर्धारित सभी इक्विटी लॉक-इन आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

7. **पक्षों का प्रतिनिधित्व**

प्रत्येक पक्ष इस समझौते की दिनांक से अन्य पक्षों को यह सूचित करता है कि:

(क) ऐसा पक्ष विधिवत् संगठित है, वैध रूप से विद्यमान है तथा अपने निगमन के कानूनों के अंतर्गत अच्छी स्थिति में है तथा उसके पास इस संविदा में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित सभी शक्तियाँ और प्राधिकार हैं;

(ख) इस समझौते के ऐसे पक्ष द्वारा निष्पादन, वितरण और निष्पादन को सभी आवश्यक और उचित कॉर्पोरेट या सरकारी कार्रवाई द्वारा अधिकृत किया गया है और कंसोर्टियम सदस्य की ओर से इस समझौते को निष्पादित करने के लिए शक्ति और अधिकार के प्रत्यायोजन के लिए इस समझौते को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी के सारांश की एक प्रति बोली के साथ संलग्न की गई है, और वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार नहीं करेगा:

(i) किसी भी सहमति या अनुमोदन की मांग जो पहले से प्राप्त नहीं हुआ हो;

(ii) वर्तमान में प्रभावी और उस पर लागू होने वाले किसी भी लागू कानून का उल्लंघन;

(iii) संस्था के ज्ञापन और अनुच्छेदों, उपनियमों या अन्य लागू संगठनात्मक दस्तावेजों का उल्लंघन;

(iv) किसी मंजूरी, परमिट, रियायत, अनुदान, लाइसेंस या अन्य सरकारी प्राधिकरण, अनुमोदन, निर्णय, आदेश या डिक्री या किसी बंधक समझौते, संविदा या किसी अन्य दस्तावेज का

उल्लंघन, जिसका ऐसा पक्षकार, पक्षकार है या जिसके द्वारा ऐसा पक्षकार या उसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्तियां बंधी हैं या जो अन्यथा ऐसे पक्षकार पर लागू है; या

(iv) ऐसे पक्ष की संपत्ति में या उस पर कोई ग्रहणाधिकार, बंधक, प्रतिज्ञा, दावा, सुरक्षा हित, शुल्क या ऋणभार या दायित्व बनाना या लगाना, सिवाय उन ऋणों के जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऐसे पक्ष की वित्तीय स्थिति या संभावनाओं या व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, जिससे ऐसे पक्ष को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका जा सके;

(ग) यह करार ऐसे पक्ष का कानूनी और बाध्यकारी दायित्व है, जो उसके विरुद्ध इसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(घ) ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं है या, ऐसा कोई मुकदमा होने की आशंका नहीं है, जिसका वह या उसका कोई सहयोगी पक्षकार हो, जो वर्तमान में इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों की पूर्ति में ऐसे पक्ष की वित्तीय स्थिति या संभावनाओं या व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या डालेगा; तथा

(ङ) ऐसे पक्ष ने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है तथा वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऊपर दर्ज उद्देश्यों के लिए इस संविदा को निष्पादित कर रहा है;

8. करार समाप्ति

यह संविदा आज की दिनांक से प्रभावी होगा और परियोजना के जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को दिए जाने की स्थिति में "कार्य" के लिए निविदा के अंतर्गत और उसके अनुसार कार्य पूरा होने तक हर समय पूर्ण शक्ति और प्रभाव में जारी रहेगा। हालाँकि, यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम परियोजना के लिए पूर्व-योग्य नहीं है या परियोजना सोंपने के लिए चयनित नहीं होता है, तो संविदा समाप्त हो जाएगा।

9. विविध

9.1 यह संयुक्त बोली करार भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

9.2 पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पक्षकारों द्वारा इस संविदा में संशोधन नहीं किया जाएगा।

10. जिम्मेदारियों का प्रस्तावित वितरण

इस संविदा के सभी पक्ष इस निविदा दस्तावेज के उद्देश्यों और कार्य की भावना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित शेयरधारिता प्रतिशत और तकनीकी एवं वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए सहमत हैं।

क्र. सं.	जॉइंट वैंचर के सदस्य का नाम	प्रतिशत हिस्सा	तकनीकी जिम्मेदारी	वित्तीय जिम्मेदारी	टिप्पणियाँ
(i)	प्रमुख साझेदार (सदस्य का नाम और पता-1)				
(ii)	सदस्य 2				

क्र. सं.	**जॉइंट वैंचर के सदस्य का नाम**	**प्रतिशत हिस्सा**	**तकनीकी जिम्मेदारी**	**वित्तीय जिम्मेदारी**	**टिप्पणियाँ**
	(सदस्य का नाम एवं पता-2)				

जिसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर वर्णित पक्षों ने ऊपर लिखी गई पहली दिनांक को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

के लिए और उनकी ओर से **मुख्य सदस्य के लिए और उनकी ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

के लिए और की ओर से **द्वितीय पक्ष के लिए और की ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

के लिए और उसकी ओर से **तीसरे पक्ष के लिए और उसकी ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

इनकी उपस्थिति में:

1) _____

2) _____

टिप्पणियाँ:

- *संयुक्त बोली समझौते के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक(कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा अपेक्षित हो, तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
- *इस संयुक्त बोली समझौते के साथ चार्टर दस्तावेजों के अंश तथा जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्य की ओर से इस समझौते को निष्पादित करने के लिए शक्ति और प्राधिकार के प्रत्यायोजन हेतु इस समझौते को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।*

खंड-V: वित्तीय बोलियों के मानक प्रपत्र

प्रपत्र वित्तीय-1: वित्तीय बोली प्रस्तुति प्रपत्र

[स्थान, दिनांक]

सेवा में,

[नाम और नियोक्ता का पता]

महोदय,

हम, अधो हस्ताक्षरकर्ता, आपके दिनांक *[दिनांक लिखें]* के निविदा आमंत्रण नोटिस और हमारी तकनीकी बोली के अनुसार *[समनुदेशन/कार्य का शीर्षक लिखें]* के लिए चार्टरिंग सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। हमारी संलग्न वित्तीय बोली ..... *[शब्दों और आंकड़ों में राशि लिखें]* की राशि के लिए है। यह राशि माल और सेवा कर (जीएसटी) *[राशि शब्दों और आंकड़ों में लिखें]* को छोड़कर सभी प्रकार के करों सहित है। हम स्वीकार करते हैं कि निविदा हमारे द्वारा उद्धृत मूल मूल्य पर सौंपी जाएगी। हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि वित्तीय बोली बिना किसी शर्त के है और हम स्वीकार करते हैं कि वित्तीय बोली से जुड़ी किसी भी शर्त के परिणामस्वरूप हमारी वित्तीय बोली/पूरी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हमारी वित्तीय बोली, संविदा वार्ताओं (यदि कोई हो) के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन, धारा में उल्लिखित बोली की वैधता अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ..... खंड में दर्शाई गई दिनांक से पहले, हमारे लिए बाध्यकारी होगी।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त की गई किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सादर,

अधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण एवं आद्याक्षर]:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम : .....

फर्म का नाम : .....

प्रपत्र वित्तीय-2क: लागत का सारांश

क्र.सं.	**जलयान का नाम और प्रकार**	**मासिक चार्टर किराया शुल्क (अंकों में)**	**मासिक चार्टर किराया शुल्क (शब्दों में)**
1.	2000 (1000X2) टन डंब बार्ज "डीबी अजय और डीबी दिखू" के साथ टीयूजी एमवी त्रिशूल (मूल किराया शुल्क)		
2.	आईडब्ल्यूएआई द्वारा जीएसटी संविदाकार से वसूला जाएगा।		
	कुल योग		

टिप्पणी:

(क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल किराया प्रभार इस जलयान के प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार से कम नहीं होगा।

(ख) वित्तीय बोली मूल्यांकन के दौरान, बोलियों की तुलना के उद्देश्य से, जीएसटी को छोड़कर उद्धृत लागत पर विचार किया जाएगा।

(ग) इसके अलावा, **किसी भी रूप में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत वित्तीय बोली को गैर-उत्तरदायी और तकनीकी रूप से अयोग्य बोली माना जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए उस बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।**

अधिकृत हस्ताक्षर : ……

नाम : ……

पद का नाम : ……

फर्म का नाम : ……

पता : ……

खंड-VI: संदर्भ शर्तें (टीओआर)

1. पृष्ठभूमि

आईडब्ल्यूएआई एक अंतर्देशीय मालवाहक जलयान (जिसमें दो डंब बार्ज और एक टग शामिल है) को बिना चालक दल के 3 वर्ष (36 महीने) की अवधि के लिए किराए पर लेने में रुचि रखता है और यह संतोषजनक निष्पादन के आधार पर वार्षिक (12 महीने) आधार पर अन्य दो वर्षों के लिए विस्तार योग्य है (कुल अवधि पांच वर्ष (60 महीने)। (जलयान(ओं) को एनडब्ल्यू-1 (हल्दिया-वाराणसी), एनडब्ल्यू-2 आईबीपी मार्ग सहित, एनडब्ल्यू-16, एनडब्ल्यू-86 और एनडब्ल्यू-97 में संचालित किया जाना है।

1.1 (जलयान(ओं) की सामान्य विशिष्टताएं नीचे उल्लिखित हैं:

क्र.सं.	जलयान का नाम	डीडब्ल्यूटी (टन में)	निर्माण वर्ष	जीआरटी (टन में)	पावर (बीएचपी)
1.	एमवी त्रिशूल	टीयूजी	2018	159	1318
	डीबी अजय	1000	2018	718	0
	डीबी दिखू	1000	2018	718	0

क्र.सं.	जलयान का नाम	आयाम (मीटर में) ल. x चौ. x ग.	मुख्य इंजन निर्माता और प्रकार	सहायक इंजन निर्माता एवं प्रकार	प्रणोदन का प्रकार
1	एमवी त्रिशूल	26 x 7.75 x 3.2	2 यानमार/ 6AYM-WST (6HA2M)	किर्लोस्कर 4SCSA इन लाइन/4R1040T और 4R1040TA	एजिमुथ थ्रस्टर्स
	डीबी अजय	59.4 x 11.5 x 3.5	कोई नहीं	कोई नहीं	गैर-प्रणोदित
	डीबी दिखू	59.4 x 11.5 x 3.5	कोई नहीं	कोई नहीं	गैर-प्रणोदित

2. समनुदेशन के लिए कार्य का विस्तृत दायरा

जब तक संविदा में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, संविदा के अंतर्गत कार्य-क्षेत्र निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगा:

2.1 संविदाकार को अपने खर्च, लागत और जोखिम पर चार्टर्ड जलयान (जलयान(ओं) को चलाना होगा और चार्टर अवधि के दौरान चालक दल, प्रबंधन, अनुरक्षण, नौपरिवहन, संचालन, बीमा, ईंधन, प्रावधान, आपूर्ति और जब भी आवश्यक हो, जलयान की मरम्मत करनी होगी और संविदाकार निविदा दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुसार इस चार्टर के अंतर्गत जलयान के उपयोग और संचालन से संबंधित हर तरह और प्रकृति के सभी शुल्कों और खर्चों का भुगतान करेगा। सभी उद्देश्यों के लिए जलयान के मास्टर और चालक दल को संविदाकार द्वारा तैनात किया जाएगा।

2.2 संविदाकार को लॉग-बुक में (जलयान(ओं) के दैनिक संचालन और परिचालन का उचित रिकॉर्ड तथा दैनिक आधार पर ढोए जाने वाले सभी कार्गो का भी रिकॉर्ड रखना होगा तथा यह रिकॉर्ड मासिक आधार पर ईआईसी को प्रस्तुत करना होगा।

2.3 (जलयान(ओं) का प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया प्रभार नीचे उल्लिखित है:

क्र.सं.	**जलयान का नाम**	**बेयर बोट ड्राई चार्टर का प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया शुल्क* (जीएसटी छोड़कर)**
1.	2000 (1000X2) टन का डंब बार्ज "डीबी अजय और डीबी दिखू" टीयूजी एमवी त्रिशूल के साथ	भारतीय रुपये 6,00,000/-

टिप्पणी: चार्टर किराया प्रभार के अतिरिक्त, प्रचलित नियमों और विनियमों के आधार पर जीएसटी संविदाकार से वसूला जाएगा।

*जलयानों *के बेयर-बोट चार्टरिंग के* संविदा *को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से अगले दो वर्षों (दो बार 12 महीने) के लिए विस्तार देने का प्रावधान है। विस्तारित अवधि के दौरान मासिक चार्टर किराया शुल्क में विस्तारित अवधि के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आरंभ में दिए गए मासिक चार्टर किराया शुल्क में 7% की वृद्धि की जाएगी।*

2.4 संविदाकार को संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर लागू सभी क़ानूनों और विनियमों का पालन करना होगा, चाहे वह केंद्र या राज्य या किसी स्वायत्त निकाय या स्थानीय स्वशासन द्वारा (जलयान(ओं) के स्वामित्व, अनुरक्षण, रख-रखाव और अन्यथा पर लागू हो। संविदाकार को अंतर्देशीय जल में जलयान चलाने के लिए आवश्यक आईडब्ल्यूटी/विनियामक प्राधिकरण से सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों को समय पर नवीनीकृत करना होगा और इसकी प्रति आईडब्ल्यूएआई को जमा करनी होगी।

2.5 समय-समय पर लागू होने वाले कानूनों और विनियमों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए सभी खर्च वहन संविदाकार को करने होंगे, जिनमें दरें, शुल्क, टोल, कर और अन्य अधिरोप शामिल हैं।

2.6 संविदाकार निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

(क) अपने खर्च पर हर तरह से जलयान का अनुरक्षण करना और करवाना। इस तरह के रख-रखाव में जलयान, उसकी संरचना, मशीनरी उपकरण, फिटिंग और पेंटिंग आदि की सभी मरम्मत और रख-रखाव शामिल होगा और जलयान को चालू, सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए समय-समय पर ज़रूरी कोई भी अन्य व्यय शामिल होगा। इसमें खंड VII: संलग्नक-VII में उल्लिखित “जलयानों की मशीनरी, स्टर्न गियर उपकरण आदि सहित चल रही मरम्मत और रख-रखाव अनुसूची” शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

(ख) यदि किसी जलयान की सांविधिक ड्राई-डॉकिंग, जो हर चार (4) साल में एक बार की जाती है, चार्टर किराए की अवधि के दौरान आती है, तो तदनुसार, संविदाकार ईआईसी को सूचना देने के साथ खंड-VI के खंड-2(छ) में "ड्राई-डॉक मरम्मत के दायरे" में उल्लिखित सांविधिक ड्राई-डॉकिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मरम्मत कार्यों के लिए दावा करने के लिए संविदाकार को ईआईसी को मूल बिल प्रस्तुत करना होगा। ऐसी सांविधिक ड्राई-डॉकिंग मरम्मत की लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

ड्राई डॉकिंग का कार्यक्रम इस प्रकार है:

क्रम सं.	**जलयान का नाम**	**अगले ड्राई डॉक मरम्मत की दिनांक**
1.	2000 (1000X2) टन डंब बार्ज “डीबी अजय और डीबी दिखू” टीयूजी एमवी त्रिशूल के साथ (मूल किराया शुल्क)	जनवरी 2029

(ग) यदि सांविधिक ड्राई-डॉक मरम्मत चार्टर अवधि के अंतर्गत आती है, तो अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए चार्टर किराया प्रभार या ऐसी सांविधिक ड्राई-डॉक मरम्मत की वास्तविक अवधि, जो भी कम हो (समय अवधि में ईआईसी को सूचना के अधीन शिपयार्ड तक आने-जाने का समय भी शामिल है) संविदाकार से नहीं लिया जाएगा।

(घ) संविदाकार निर्धारित दिनांक से कम से कम तीन (3) महीने पहले जलयान की ड्राई डॉकिंग के बारे में ईआईसी को विधिवत सूचित करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) (जलयान(ओं) की ड्राई डॉकिंग से पहले, संविदाकार और ईआईसी के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ-साथ आईआरएस सर्वेक्षक/आईडब्ल्यूटी राज्य विभाग के प्रतिनिधित्व द्वारा संयुक्त रूप से जलयान का ड्राई डॉकिंग सर्वेक्षण किया जाएगा;

(ii) संविदाकार द्वारा ड्राई डॉक मरम्मत प्रस्ताव, जिसमें कार्य का विस्तृत दायरा और मरम्मत की अपेक्षित अवधि के साथ-साथ नियमित शिपयार्ड/मरम्मत कंपनियों से न्यूनतम तीन (3) उद्धरण शामिल होंगे, अनुमोदन के लिए ईआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा;

(iii) कोटेशन की जांच 2.6 (जी) में अधिसूचित कार्य के दायरे को ध्यान में रखते हुए की जाएगी और जांच के बाद, ईआईसी द्वारा न्यूनतम कोटेशन को अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद ही संविदाकार द्वारा ड्राई डॉकिंग की जाएगी;

(ङ) संविदाकार ड्राई डॉकिंग से कम से कम एक महीने (1) पहले ईआईसी को सांविधिक ड्राई डॉकिंग करने के लिए निर्धारित दिनांक और समय के बारे में सूचित करेगा।

(च) ड्राई डॉकिंग के बाद, आईआरएस सर्वेयर द्वारा एक सारांश तैयार किया जाएगा/राज्य के आईडब्ल्यूटी विभाग से प्रतिनिधित्व किया जाएगा और इसके लिए संविदाकार द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा, उसके बाद इसे ईआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(छ) **ड्राई डॉक मरम्मत के अंतर्गत दायरा**

i. एलएसए/एफएफए सर्विसिंग/ओवरहॉलिंग/नवीनीकरण

ii. पानी के नीचे की प्लेटों की मोटाई मापना

iii. पानी के नीचे पतवार की मरम्मत

iv. अंडरवॉटर सिस्टम सहित साइड हॉल की चिपिंग, स्क्रैपिंग, सफाई और पेंटिंग

v. एंकर और चेन सिस्टम की सर्विसिंग मरम्मत

vi पतवार और स्टीयरिंग प्रणाली का निरीक्षण, सेवा और मरम्मत

vii. समुद्री जल एवं पंपों और सीवेज वाल्वों की सर्विसिंग

viii. प्रणोदन प्रणाली, शाफ्ट, सील, स्टर्न ट्यूब, बुश, प्रोपेलर आदि का निरीक्षण, सेवा और मरम्मत।

ix. बो थ्रस्टरों का निरीक्षण, सेवा एवं मरम्मत एवं सेवा।

x. सीवेज की पाइपलाइन प्रणाली का निरीक्षण

xi. कोर्ट-नोजल मरम्मत, यदि लागू हो

xii. गीली निकास प्रणाली की मरम्मत/सेवा

xiii. ऊपर अधिसूचित को छोड़कर मशीनरी, प्रणालियों आदि की सभी मरम्मत ड्राई-डॉकिंग मरम्मत के दौरान की जा सकती है और इसके लिए शुल्क संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ज) उपर्युक्त मदों में मशीनरी की मरम्मत अधिकृत डीलरों, अधिमानतः ओईएम के माध्यम से की जाएगी।

2.7 जनशक्ति

2.7.1 संविदाकार नीचे दी गई तालिका के अनुसार जनशक्ति को नियोजित और तैनात करेगा:

जनशक्ति / **जलयान**	**मास्टर-प्रथम श्रेणी**	**मास्टर - द्वितीय श्रेणी**	**लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर**	**ड्राइवर - प्रथम श्रेणी**	**सीकनी**	**ग्रीसर**	**लास्कर**	**कुक**
एमवी त्रिशूल	1	-1	1	1	1	1	1	1
डीबी अजय							2	
डीबी दिखू							2	

2.7.2 संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित न्यूनतम कार्मिक आवश्यकताओं का हमेशा अनुपालन किया जाए:

क्रम सं.	**पद का नाम**	**आवश्यक अर्हता एवं अनुभव**

1.	मास्टर -प्रथम श्रेणी	i किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से.मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या समकक्ष, ii. मास्टर- I श्रेणी के रूप में अर्हता प्रमाणपत्र, iii. तैराकी आनी चाहिए.
2.	मास्टर - द्वितीय श्रेणी	i. मास्टर द्वितीय श्रेणी में अर्हता का प्रमाणपत्र। ii. तैराकी आनी चाहिए.
3.	लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर	i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या समकक्ष। ii. लाइसेंस प्राप्त इंजन चालक के रूप में अर्हता का प्रमाणपत्र iii. तैराकी आनी चाहिए.
4.	ड्राइवर - प्रथम श्रेणी	i. चालक प्रथम श्रेणी में अर्हता प्रमाणपत्र। ii. तैराकी आनी चाहिए।
5.	इलेक्ट्रीशियन	i. मैट्रिकुलेशन के समकक्ष ii. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र। iii. 2 वर्ष का अनुभव। iv. तैराकी का ज्ञान।
6.	सीकनी	i. सीकनी आईडब्ल्यूटी प्रशिक्षित या नौसेना का पूर्व कर्मी या मर्चेंट शिपिंग डेक साइड या अंतर्देशीय जलयान में प्रशिक्षित और लस्कर के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव। ii. कम से कम एक भाषा में पढ़ना और लिखना आना चाहिए iii. तैराकी आनी चाहिए
7.	ग्रीसर	i. आईडब्ल्यूटी प्रशिक्षित या नौसेना का पूर्व कर्मी या मर्चेंट शिपिंग इंजन साइड या अंतर्देशीय जलयान में प्रशिक्षित न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव। ii. कम से कम एक भाषा में पढ़ना और लिखना आना चाहिए iii. तैराकी आनी चाहिए
8.	लस्कर	i. आईडब्ल्यूटी प्रशिक्षित या नौसेना का पूर्व कर्मी या व्यापारी (जलयान(ओं)/अंतर्देशीय जलयान में प्रशिक्षित या जलयान में एक वर्ष का अनुभव। ii. कम से कम एक भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। iii. तैराकी आनी चाहिए
9.	कुक	i. आठवीं कक्षा पास की हो ii. किसी प्रतिष्ठित संगठन में खानपान का 2 वर्ष का अनुभव।

		iii. तैराकी आनी चाहिए iv. जलयान पर यात्रा का अनुभव

खंड-VII: संविदा की शर्तें

खंड-VII: संविदा की शर्तें

1. सामान्य

1.1 **परिभाषाएं**:

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस निविदा दस्तावेज़ में जब भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:

1.1.1 **"नियोक्ता"** का तात्पर्य अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 और उसके उत्तराधिकारी से है।

1.1.2 **"प्राधिकरण"** का तात्पर्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से है

1.1.3 **"संविदाकार/चार्टर"** का तात्पर्य किसी भी संस्था या व्यक्ति या व्यक्तियों के कंसोर्टियम से है जो संविदा के अंतर्गत नियोक्ता को सेवाएं प्रदान करता है।

1.1.4 **"संविदा/करार"** का अर्थ है पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा और सभी संलग्न दस्तावेज़ अर्थात संविदा की शर्तें, परिशिष्ट और उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमत कोई भी संशोधन। "करार" या "संविदा" या "संविदा करार" शब्द परस्पर विनिमय योग्य हैं

1.1.5 **"एनआईटी"** का तात्पर्य ई-निविदा आमंत्रण सूचना से है।

1.1.6 **"समनुदेशन/कार्य"** का अर्थ इस संविदा के अनुसार संविदाकार द्वारा निष्पादित/प्रदान किया जाने वाला कार्य/सेवाएं है।

1.1.7 **"लागू कानून"** का तात्पर्य भारत में कानूनों के समान बल रखने वाले कानून और कोई अन्य साधन से है, जो समय-समय पर जारी और प्रभावी हो सकते हैं।

1.1.8 **"स्वीकृत"** का अर्थ है नियोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित।

1.1.9 **"निविदा"** शब्द **"बोली"** का पर्याय है, और "निविदाकर्ता" "बोलीदाता" का पर्याय है।

1.1.10 **"नियोक्ता के प्रतिनिधि"** का तात्पर्य नियोक्ता द्वारा नियुक्त/अधिकृत प्रतिनिधि से है।

1.1.11 **प्रभारी अभियंता (ईआईसी)** वह व्यक्ति है जिसे नियोक्ता की ओर से कार्यों का निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रभारी होने के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है।

1.1.12 **ईआईसी के प्रतिनिधि** का अर्थ है ईआईसी की ओर से कार्यों का निर्देशन और पर्यवेक्षण करने के लिए ईआईसी द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी।

1.1.13 **"बोलीदाता या निविदाकर्ता"** का तात्पर्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत गठित एक निजी कंपनी/साझेदारी से है और जो आईटीबी के खंड 3.1 के अनुसार इस निविदा के लिए आवेदन करता है।

1.1.14 **"आईएनआर",** रुपये का मतलब भारतीय रुपये है

1.1.15 **"जनशक्ति"** का तात्पर्य संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पेशेवर स्टाफ/चालक दल आदि से है

1.1.16 **"पक्ष"** का अर्थ नियोक्ता या संविदाकार है, जैसा भी मामला हो, और पक्षों का अर्थ उन दोनों से है

1.1.17 **"तृतीय पक्ष"** का अर्थ नियोक्ता और संविदाकार के अलावा किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था है।

1.1.18 **"बोली या निविदा"** का तात्पर्य इस निविदा दस्तावेज़ के अंतर्गत उल्लिखित तकनीकी और

वित्तीय बोलियों से है

1.1.19 **"संदर्भ शर्तें" (टीओआर)** का अर्थ खंड VI के अंतर्गत शामिल दस्तावेज है जो संविदा के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों, कार्य के दायरे, गतिविधियों और विनिर्देशों/सीमाओं/प्रक्रियाओं आदि के साथ किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट करता है।

1.1.20 **"चेयरपर्सन/चेयरमैन"** का तात्पर्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष/अध्यक्ष से है

1.1.21 **"कार्य आदेश"** का अर्थ आईडब्ल्यूएआई द्वारा जारी किया गया संविदा स्वीकृति-पत्र (एलओए) है, जो उसमें बताई गई शर्तों के अधीन निविदा/प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

1.1.22 **"संविदा मूल्य"** का अर्थ है एलओए के अनुसार तीन (3) वर्षों के लिए सहमत और स्वीकृत संचयी चार्टर किराया शुल्क जिसमें सभी लागू कर शामिल हैं लेकिन जीएसटी को छोड़कर

1.1.23 **"दिन"** का अर्थ है मध्य रात्रि से शुरू होने वाला और समाप्त होने वाला कैलेंडर दिवस

1.1.24 **"सप्ताह"** का अर्थ लगातार सात कैलेंडर दिन है।

1.1.25 **"माह"** का अर्थ एक कैलेंडर महीना है

1.1.26 **"अनुसूचित सेवा"** राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में अनुसूचित मूल और गंतव्य के बीच संचालित एक यात्रा है जैसाकि इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है।

1.2 **सीमांत शीर्षक**

इन शर्तों में प्रत्येक खंड के सीमांत शीर्षकों या टिप्पणियों को उसका भाग नहीं माना जाएगा या उनकी या संविदा की व्याख्या या निर्माण में उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.3 **व्याख्या**

(क) संविदा की इन शर्तों की व्याख्या करते समय, एकवचन का अर्थ बहुवचन भी होता है, पुरुष का अर्थ स्त्री या तटस्थ भी होता है और इसके विपरीत भी। शीर्षकों का कोई महत्व नहीं है। जब तक विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, संविदा की भाषा के अंतर्गत शब्दों का सामान्य अर्थ होता है।

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज संविदा का अभिन्न अंग होंगे:

i. संविदा करार;

ii. सत्यनिष्ठा करार;

iii. कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड पत्र/नोटिस;

iv. संविदा की शर्तें;

v. मूल्य बोली की अनुसूची;

vi. तकनीकी बोली;

vii.परिशिष्ट/शुद्धिपत्र;

viii. बैठक का विवरण; और

ix. संविदा डेटा में संविदा का हिस्सा बनने के रूप में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़

(ग) निविदाओं और अनुबंधों के लिए इन विनियमों को संविदा की शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा, जिनका यहां उल्लेख किया गया है और वे संविदा की विशेष शर्तों और/या निविदा प्रपत्र से संलग्न विशेष विनिर्देशों (यदि कोई हो) द्वारा संशोधन, परिवर्धन, दमन के अधीन होंगे।

(घ) **पक्ष**

(i) संविदा के पक्षकार संविदाकार और नियोक्ता हैं

(ii) **संविदाकार की ओर से संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले संविदाकार के प्रतिनिधि:**

संविदाकार की ओर से संविदा के संबंध में निविदा या किसी अन्य दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को बोली प्रस्तुत करते समय विधिवत नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए संविदाकार की सहमति नहीं थी, तो नियोक्ता किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को रद्द/समाप्त कर सकता है।

(iii) **संविदाकार का पता और नियोक्ता की ओर से नोटिस और संचार:**

संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए, जिसमें मध्यस्थता भी शामिल है, सभी संचार निविदा में उल्लिखित संविदाकार के पते पर और संविदाकार को संबोधित कर भेजे जाएंगे, जब तक कि संविदाकार ने किसी अन्य संचार वाले अलग पत्र द्वारा परिवर्तन को अधिसूचित नहीं किया हो और मूल रूप में या ई-मेल द्वारा भेजा गया हो:

अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सेक्टर-1

नोएडा-201301

ईमेल: iwaich@nic.in

वेबसाइट: www.iwai.nic.in

उपरोक्त मामले में पते में परिवर्तन की सूचना न देने के परिणाम की जिम्मेदारी पूरी तरह से संविदाकार की होगी।

संविदा के संबंध में ईआईसी द्वारा नियोक्ता की ओर से कोई भी संचार या नोटिस, संविदाकार को जारी किया जा सकता है, और ऐसे संचार और नोटिस संविदाकार को ईमेल या फैक्स या कूरियर या पंजीकृत डाक या डाक प्रमाणपत्र के अंतर्गत या साधारण डाक द्वारा या ईआईसी के विकल्प पर हाथ से पहुँचाये जा सकते हैं।.

(ङ) **आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष की शक्तियां:**

संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए**,** जिसमें उसके अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही भी शामिल है, आईडब्ल्यूएआई की ओर से अध्यक्ष, नियोक्ता के सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने का पात्र होगा।

1.5 **संविदा की शर्तों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:**

संविदाकार नीचे उल्लिखित स्वीकृत बोली और निविदा शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा:

(i) ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे कार्य के दायरे, प्रकृति, अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता, वांछित परिणाम देने के लिए संपर्क आदि को स्वयं समझें और उसका मूल्यांकन करें।

(ii) जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम से संबंधित निविदा दस्तावेज के आईटीबी 6.9, खंड II के अनुसार,

कार्य सौंपे जाने के बाद और संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। इसलिए, कंपनी के रजिस्ट्रार के अंतर्गत कंपनी के निगमन की औपचारिकता (संयुक्त बोली समझौते के अनुसार) जिसमें प्रयोज्य निष्पादन बैंक गारंटी, सुरक्षा जमा बैंक गारंटी, पैन, जीएसटी पंजीकरण और पंजीकृत कंपनी के पक्ष में कोई अन्य आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करना शामिल है, नियोक्ता को एलओए जारी होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर ये सभी जमा कराने होंगे।

जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बोलीदाता के लिए,पक्षों को एलओए जारी होने के 45 दिनों के भीतर संविदा समझौते में प्रवेश करना होगा और एकल इकाई बोलीदाता के लिए, पार्टियों को एलओए जारी होने के 28 दिनों के भीतर संविदा समझौते में प्रवेश करना होगा। संविदा करार बोली के साथ संलग्न प्रारूप में होगा। संविदा समझौते और अखंडता समझौते में प्रवेश के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टांप शुल्क और इसी तरह के शुल्क (यदि कोई हो) की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) निविदा की स्वीकृति का अधिकार नियोक्ता के पास रहेगा तथा वह बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iv) बिना कोई कारण बताए कार्य देने, कार्य को विभाजित करने तथा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार भी नियोक्ता के पास सुरक्षित है।

(v) संविदाकार द्वारा किसी भी परिस्थिति में जलयान को किसी दूसरे को किराए पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जलयान को दूसरे को किराए पर देना या दूसरे को किराए पर देने का कोई भी प्रयास संविदा की शर्तों और नियमों का एक बड़ा उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता के पास जलयान को तुरंत अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

(vi) संविदा की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को ईआईसी के ध्यान में लाया जाएगा और ईआईसी उसके बारे में नियोक्ता को सूचित करेगा। हालांकि, संविदाकार को तथ्य स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन आईडब्ल्यूएआई को संविदाकार के काम को पूरा या आंशिक रूप से वापस लेने का अधिकार है।

(vii) संविदाकार को इस परियोजना पर काम करने वाले अपने सभी कर्मियों का बीमा कराना होगा तथा सभी देनदारियों और हानियों आदि से आईडब्ल्यूएआई की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

(viii) संविदाकार द्वारा उद्धृत मूल्य बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक के बाद 120 दिनों और विस्तारित अवधि (यदि कोई हो) के लिए वैध रहेगी।

(ix) ईआईसी को संविदा में उल्लिखित के अलावा, कार्य के लिए चार्टर द्वारा सभी अनुपालन करने होंगे।

2. प्रारंभ, समापन, विस्तार, संशोधन आदि

2.1 **संविदा का प्रारंभ और समापन**

2.1.1 संविदा पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से 7 दिनों के भीतर, जलयान (जलयान(ओं) के संविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधियों और नियोक्ता के ईआईसी के साथ-साथ आईआरएस सर्वेक्षक द्वारा संरचनात्मक/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक/आउटफिटिंग और जलयान पर लगे स्टोर और पुर्जे और पीओएल के स्टॉक सहित अन्य परिशिष्ट सहित जलयान(तों) की भौतिक स्थिति(यों) का निर्धारण करने के लिए संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

ईआईसी के परामर्श से "ऑन-हायर" सर्वेक्षण के लिए आईआरएस की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे "ऑन-हायर" निरीक्षण का व्यय संबंधित संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा और जलयान (जलयान(ओं) की सामान्य स्थिति दोनों पक्षों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षरों के अंतर्गत दर्ज की जाएगी। जलयान (जलयान(ओं) को संविदाकार को कोलकाता में या कार्य सौंपने के समय एनडब्ल्यू-1/एनडब्ल्यू-2 में उस स्थान पर जहां जलयान खड़ा है, सौंप दिया जाएगा

2.1.2 संविदाकार जलयान (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से सेवाएं प्रदान करना शुरू करेगा।

2.1.3 (क) संविदा की अवधि जलयान (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से छतीस (36) महीने के लिए होगी और संविदा अपने कार्यकाल की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है। जलयान (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से लेकर जलयान (जलयान(ओं) की वापसी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके नियोक्ता को जलयान (जलयान(ओं) की वापसी की दिनांक तक संविदाकार के अधीन माना जाएगा। यदि जलयान (जलयान(ओं) की ड्राई डॉकिंग की नियत दिनांक चार्टरिंग अवधि के भीतर आती है, तो चार्टर की अवधि में ड्राई-डॉकिंग अवधि शामिल होगी। खंड-VI "संदर्भ शर्तें" का खंड-2.6 देखें।

(ख) कार्य सौंपे जाने के बाद, संविदा की अवधि के दौरान चार्टरर की ऋण शोधन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, चार्टरर कार्य सौंपे जाने की दिनांक से शुरू होने वाली चार्टर सेवा के प्रत्येक 12 महीने के बाद संबंधित बेअर-बोट (बोटों) के लिए एक वर्ष के लिए संचित मासिक चार्टर दर के 40 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए ऋण शोधन क्षमता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा। ऋण शोधन क्षमता सर्टिफिकेट भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के नब्बे दिनों से पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए।

2.1.4 चार्टर किराये की संविदा अवधि पूरी होने पर या संविदा के पहले निर्धारण पर, यदि कोई हो, ईआईसी द्वारा जलयान (जलयान(ओं) को अपने अधीन लेने से पहले, संविदाकार और प्राधिकरण के ईआईसी द्वारा आईआरएस सर्वेक्षक के साथ संयुक्त रूप से जलयान (जलयान(ओं) का निरीक्षण किया जाएगा, ताकि जलयान (जलयान(ओं) की संरचनात्मक/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक/आउट फिटिंग और ऑन बोर्ड स्टोर और स्पेयर और पीओएल के स्टॉक सहित अन्य उपकरणों सहित जलयान (जलयान(ओं) की भौतिक स्थिति का निर्धारण किया जा सके। *"ऑफ-हायर"* सर्वेक्षण के लिए आईआरएस सर्वेक्षक की नियुक्ति ईआईसी के परामर्श से की जाएगी। ऐसे *"ऑफ-हायर"* निरीक्षण का खर्च संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा और जलयान (जलयान(ओं) की सामान्य स्थिति को ऊपर बताए अनुसार संयुक्त हस्ताक्षरों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। जलयान (जलयान(ओं) की वापसी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके कोलकाता में आईडब्ल्यूएआई द्वारा जलयान (जलयान(ओं) का अधिग्रहण किया जाएगा।

जलयान (जलयान(ओं) को वापस करने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके ईआईसी द्वारा

अपने अधीन ले लिया जाएगा। संविदा की समाप्ति से जुड़े गैर-अनुपालन के मामले में या संविदा पूरा होने के बाद, संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि जलयान ईआईसी को सुचारू रूप से सौंपा जाये। यदि जलयान निर्धारित समय पर नहीं सौंपा जाता है, तो नीचे दिए गए खंड 2.2 में परिभाषित किराया शुल्क लगाने के अलावा, ईआईसी कानूनी उपाय के माध्यम से जलयान सहित सभी बकाया राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा और भारत सरकार की उचित वसूली प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को संदर्भित कर सकता है।

2.2 **संविदा अवधि का विस्तार/संकुचन**

2.2.1 इस संविदा की शर्तों के अनुसार छत्तीस (36) महीने की अवधि पूरी होने से पहले संविदा समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते संविदाकार द्वारा जलयान (जलयान(ओं) को प्राधिकरण के ईआईसी को जलयान (जलयान(ओं) की वापसी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके सौंप दिया जाए। यदि संविदाकार पार्टियों के बीच लिखित समझौते के अनुसार विस्तार अवधि सहित चार्टर किराये की अवधि से परे जलयान (जलयान(ओं) को रोके रखता है, तो संविदाकार के इस कृत्य को "सरकारी संपत्ति का अवैध कब्जा" कहा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 या समय-समय पर संशोधित के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। ईआईसी तत्काल प्रभाव से एक नोटिस जारी करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 या समय-समय पर संशोधित के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

2.2.2 (जलयान(ओं) को किराए पर लेने का संविदा संविदाकार द्वारा काम के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर सालाना आधार पर अगले 2 वर्षों (24 महीने) के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, संविदाकार को चार्टर की मूल अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति से कम से कम तीन (3) महीने पहले ईआईसी को एक अनुरोध देना होगा। यदि नियोक्ता जलयानों को किराए पर लेने की अवधि के ऐसे विस्तार के लिए सहमत होता है, तो किराया शुल्क खंड-VI में खंड 2.3 और नियमों और शर्तों के अनुसार ऐसी दर से बढ़ाया जाएगा, जो नियोक्ता के विवेक पर होगा। संविदाकार द्वारा ईआईसी को उपरोक्त अनुरोध भेजने मात्र से संविदाकार को ऐसा विस्तार पाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ऐसे सभी मामलों में, नियोक्ता का निर्णय अंतिम और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

2.3 **आवधिक निरीक्षण**

संविदाकार को जलयान (जलयान(ओं) का अनुरक्षण करना होगा और उसे सौंपे जाने के समय या उससे बेहतर स्थिति में रखना होगा। संविदाकार ईआईसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को हर तीन महीने में जलयान (जलयान(ओं) का आवधिक संयुक्त निरीक्षण करने की अनुमति देगा और ऐसा निरीक्षण संविदाकार और ईआईसी के अधिकृत प्रतिनिधि या ईआईसी के किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जलयान (जलयान(ओं) की भौतिक स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, नियोक्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी जलयान का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और संविदाकार इस उद्देश्य के लिए नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि को अपना पूरा सहयोग देने के लिए बाध्य होगा। संविदाकार ईआईसी को हर महीने एक दोष सूची और सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और जलयान पर एक इतिहास रजिस्टर बनाए रखेगा। संविदाकार और

आईडब्ल्यूएआई प्रतिनिधि द्वारा हर तीसरे महीने एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के बाद 7 दिनों के भीतर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और निरीक्षण की दिनांक से 30 दिनों के भीतर ईआईसी को सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

2.4 **संशोधन या बदलाव**

इस संविदा के नियमों और शर्तों में कोई भी संशोधन या बदलाव, जिसमें सेवाओं के दायरे या संविदा मूल्य में कोई भी संशोधन या बदलाव शामिल है, केवल पक्षों के बीच लिखित आपसी समझौते द्वारा किया जा सकता है, जिसे संविदा की शर्तों के अनुसार निपटाया जाएगा।

2.5 **अप्रत्याशित घटना**

2.5.1 **परिभाषा**

(क) इस संविदा के प्रयोजनों के लिए, अप्रत्याशित घटना का अर्थ एक ऐसी असाधारण घटना या परिस्थिति है, जो किसी पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, जो अपरिहार्य है और जो ऐसी घटनाओं से प्रभावित होने का दावा करने वाले पक्ष द्वारा या उसके कहने पर नहीं लाई गई है और जिसके कारण निष्पादन में देरी हुई है और जो पक्ष के लिए इसके दायित्वों के निष्पादन को असंभव या इतना अव्यावहारिक बनाती है कि उसे परिस्थितियों में असंभव माना जा सके, और इसमें युद्ध, दंगे, नागरिक अशांति, भूकंप, आग, सुनामी, विस्फोट, तूफान, बाढ़ या अन्य अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, महामारी, हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई (सिवाय इसके कि जहां ऐसा पक्ष रोकने के लिए अप्रत्याशित घटना का आह्वान करता है), जब्ती या सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(ख) अप्रत्याशित घटना में ऐसी (i) कोई घटना शामिल नहीं होगी जो किसी पक्ष या ऐसे पक्ष के एजेंटों या कर्मचारियों की लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण हुई हो, (ii) कोई घटना जिसे एक मेहनती पक्ष से उचित रूप से इस संविदा के समापन के समय ध्यान में रखने और इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में टालने या दूर करने की अपेक्षा की जा सकती थी।

2.5.2 किए जाने वाले उपाय

(क) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगा तथा अप्रत्याशित घटना के परिणामों को न्यूनतम करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा।

(ख) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्ष, दूसरे पक्ष (प्राधिकरण के लिए ईआईसी और संविदाकार के लिए अधिकृत प्रतिनिधि) को ऐसी घटना की सूचना यथाशीघ्र किसी भी स्थिति में ऐसी घटना के घटित होने के चौदह (14) दिन के भीतर देगा, जिसमें ऐसी घटना की प्रकृति और कारण का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा और इसी प्रकार, यथाशीघ्र सामान्य स्थिति की बहाली की लिखित सूचना भी देगा।

(ग) कोई भी अवधि, जिसके भीतर कोई पार्टी, इस संविदा के अनुसार, अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप अपनी सेवाएं देने में असमर्थ होती है, उस समय के बराबर अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके दौरान अप्रत्याशित घटना चल रही थी, जिसमें सात (7) दिनों से

अधिक की अतिरिक्त गतिशीलता अवधि भी शामिल है, हालांकि, संविदा की कुल अधिकतम अवधि किसी भी मामले में साठ महीने से अधिक नहीं होगी।

(घ) किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता की अवधि के दौरान, संविदाकार, ईआईसी के माध्यम से नियोक्ता के निर्देश पर या तो:

(i) वियोजन करेगा; या

(ii) जहां तक संभव हो सेवाएं जारी रखेगा

(ङ) अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व या सीमा के संबंध में पक्षों के बीच असहमति की स्थिति में, मामले का निपटारा विवाद समाधान/मध्यस्थता के खंड के अनुसार किया जाएगा।

(च) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, अप्रत्याशित घटना संविदा के अंतर्गत दूसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए किसी भी पक्ष के दायित्वों पर लागू नहीं होगी।

2.6 **निलंबन**

यदि संविदाकार इस संविदा के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो ईआईसी संविदाकार को लिखित निलंबन नोटिस द्वारा सेवाओं को निलंबित कर सकता है बशर्ते कि निलंबन की ऐसा नोटिस (i) विफलता की प्रकृति को निर्दिष्ट करेगी और ii) संविदाकार को निलंबन के ऐसे नोटिस की प्राप्ति के बाद तीस (30) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, यदि सुधारा जा सकता है, तो ऐसी विफलता को ठीक करने की अनुमति देगा। हालांकि, संविदाकार को लापरवाही के कारण सुधार योग्य विफलता के खिलाफ निलंबन के इस खाते पर मासिक चार्टर किराया शुल्क का भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा।

2.7 **परिसमाप्त क्षति (एलडी)**

2.7.1 **चालू मरम्मत एवं अनुरक्षण**

(क) यदि संविदाकार संलग्नक VII, खंड VIII में निर्धारित समयावधि या किसी विस्तारित अवधि के भीतर **"जलयान (जलयान(ओं) की चालू मरम्मत और अनुरक्षण"** (जैसाकि संलग्नक VII, खंड VIII में सूचीबद्ध है) निष्पादित करने में विफल रहता है, तो संविदाकार ऐसे चूक के कारण ईआईसी के किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा अवधि के लिए जलयान के चार्टर किराया प्रभार के कुल मूल्य पर गैर-अनुरक्षण और गैर-चालू मरम्मत अवधि के दौरान 0.1% प्रति सप्ताह या सप्ताह के हिस्से की दर से मुआवजे (जुर्माने के रूप में नहीं) का भुगतान करेगा।

(ख) **सांविधिक ड्राई-डॉकिंग**

यदि संविदाकार खंड VI: संदर्भ शर्तों के खंड 2.6 (घ और ङ) और खंड VIII: संलग्नक VII (चालू मरम्मत और अनुरक्षण अनुसूची) के खंड 3 (ड) या किसी विस्तारित अवधि में निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो वह (संविदाकार) ऐसी चूक के कारण ईआईसी के किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा अवधि के लिए जलयान के चार्टर किराया प्रभार के कुल मूल्य पर 0.1% प्रति दिन की दर से मुआवजे (जुर्माने के रूप में नहीं) का भुगतान करेगा।

(ग) खंड 2.7.1 (क) और 2.7.1 (ख) के अनुसार कटौती की जाने वाली अधिकतम एलडी, छत्तीस

(36) महीने या उसके विस्तार के लिए संविदाकार द्वारा बेयर बोट पर लिए गए जलयान (जलयान(ओं) के कुल चार्टर किराया प्रभार के 10% तक सीमित होगी।

2.7.2 यदि संविदाकार द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे निष्पादन सुरक्षा और प्रति सुरक्षा या प्राधिकरण के साथ इस या किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय या भुगतान योग्य किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित, रोका, काटा या संभंजित किया जा सकता है।

2.7.3 ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान संविदाकार को कार्य पूरा करने के दायित्व से या संविदा के अंतर्गत उसके किसी अन्य दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगा।

2.8 **संविदा समाप्ति**

2.8.1 **"नियोक्ता" द्वारा:** इस खंड के अनुच्छेद (क) से (छ) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने की स्थिति में नियोक्ता ईआईसी के माध्यम से इस संविदा को समाप्त कर सकता है:

(क) यदि संविदाकार अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता का समाधान करने में विफल रहता है, जैसाकि निलंबन की सूचना में निर्दिष्ट है, तो निलंबन की ऐसी सूचना जारी होने के तीस (30) दिनों के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसे नियोक्ता ने बाद में लिखित रूप में मंजूरी दे दी हो।

(ख) यदि संविदाकार मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी अंतिम निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहता है।

(ग) यदि संविदाकार, नियोक्ता के निर्णय के अनुसार, इस संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या इसे निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में लिप्त है।

(घ) यदि संविदाकार नियोक्ता को कोई झूठा विवरण प्रस्तुत करता है जिसका नियोक्ता के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर भौतिक प्रभाव पड़ता है।

(ङ) यदि संविदाकार अपने को हितों के टकराव की स्थिति में डालता है या हितों के टकराव के बारे में नियोक्ता को तत्काल बताने में विफल रहता है।

(च) यदि संविदाकार अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप साठ (60) दिनों से कम अवधि के लिए सेवाओं के किसी महत्वपूर्ण भाग को निष्पादित करने में असमर्थ है।

(छ) यदि नियोक्ता ने अपने विवेकानुसार तथा किसी भी कारण से इस संविदा को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें संविदा को पहले समाप्त करना भी शामिल है।

ऐसी स्थिति में, नियोक्ता ईआईसी के माध्यम से संविदाकार को समाप्ति का कम से कम एक (1) महीने का लिखित नोटिस देगा।

2.8.2 **संविदाकार द्वारा:** संविदाकार इस खंड के अनुच्छेद (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने की स्थिति में, ईआईसी को कम से कम एक (1) महीने का लिखित नोटिस देकर इस संविदा को समाप्त कर सकता है:

(क) यदि संविदाकार अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप साठ (60) दिनों से कम अवधि के लिए सेवाओं के किसी महत्वपूर्ण भाग को निष्पादित करने में असमर्थ है।

(ख) यदि नियोक्ता मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी अंतिम निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहता है।

(ग) केवल 5 महीने से कम अवधि के लिए संविदा के सफल समापन के बाद।

2.8.3 **सेवाओं की समाप्ति:** संविदा की शर्तों के खंड 2.8.1 और 2.8.2 के अनुसार नोटिस द्वारा इस संविदा को समाप्त करने पर, संविदाकार ऐसे नोटिस के प्रेषण या प्राप्ति पर तुरंत, त्वरित और व्यवस्थित तरीके से सेवाओं को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और इस उद्देश्य के लिए व्यय को न्यूनतम रखने के लिए हर उचित प्रयास करेगा।

2.8.4 **समाप्ति की घटनाओं के बारे में विवाद:** यदि कोई भी पक्ष इस बात पर विवाद करता है कि खंड 2.8.1 के अनुच्छेद (क) से (छ) में निर्दिष्ट कोई घटना घटित हुई है या नहीं, तो ऐसा पक्ष दूसरे पक्ष से समाप्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद पैंतालीस (45) दिनों के भीतर मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।

3. निष्पादन और प्रति प्रतिभूतियाँ

3.1 सफल बोलीदाता(ओं) को भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से जारी अपरिवर्तनीय इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी **(कागज में जारी बैंक गारंटी तभी प्रभावी होगी जब एसएफएमएस के माध्यम से प्रेषित बैंक गारंटी सलाह सलाहकार बैंक द्वारा लाभार्थी को सलाह दी जाती है)** के रूप में निष्पादन सुरक्षा जमा करनी होगी, जो चार्टर/संविदा की अवधि तक छत्तीस महीने या उसके विस्तार के लिए वैध होगी और संविदाकार द्वारा नियोक्ता को जलयान (जलयान(ओं) की वापसी की दिनांक से आगे के बारह (12) महीनों के लिए दावा अवधि वैध होगी। यह बैंक गारंटी एकल इकाई बोलीदाता के मामले में एलओए जारी होने के 15 दिनों के भीतर और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बोलीदाता के मामले में एलओए जारी होने के 30 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। बैंक गारंटी का प्रारूप खंड VIII: संलग्नक II में संलग्न है। सलाहकार बैंक का विवरण निम्नानुसार है;

बैंक का नाम : केनरा बैंक

शाखा का नाम और पता : मोरना, नोएडा, बी16/17, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-18, नोएडा (201301), उत्तर प्रदेश

आईएफएससी कोड : CNRB0018778

प्रत्येक जलयान के लिए निष्पादन सुरक्षा के रूप में निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी:

क्र. सं.	जलयान का नाम	निष्पादन सुरक्षा
(क)	2000 (1000X2) टन डंब बार्ज "डीबी अजय और डीबी दिखू" के साथ टीयूजी एमवी त्रिशूल	छत्तीस (36) महीने के संचयी चार्टर किराया शुल्क (कुल संविदा मूल्य) का 5%

3.2 सफल बोलीदाता को अपरिवर्तनीय इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के रूप में एक अतिरिक्त काउंटर सुरक्षा भी जमा करनी होगी **(कागज में जारी बैंक गारंटी केवल तभी प्रभावी होगी जब सलाहकार बैंक द्वारा एसएफएमएस के माध्यम से प्रेषित बैंक गारंटी सलाह लाभार्थी को दी जाती है)** भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से, जलयान के चार्टर किराया शुल्क (चार्टरर द्वारा प्रस्तावित मूल्य) के तीन (3) महीने के बराबर राशि के लिए जारी की जाएगी और इसकी वैधता छत्तीस महीने या उसके विस्तार तक होगी। चार्टर/संविदा की अवधि और दावा अवधि संविदाकार द्वारा नियोक्ता को जलयान की वापसी की दिनांक से अगले बारह (12) महीनों के लिए वैध है। यह बीजी एलओए जारी

करने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। बैंक गारंटी का प्रारूप खंड VIII: संलग्नक IX में संलग्न है। सलाह देने वाले बैंक का विवरण निम्नानुसार है;

बैंक का नाम : केनरा बैंक

शाखा का नाम और पता : मोरना, नोएडा, बी16/17, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-18, नोएडा (201301), उत्तर प्रदेश

आईएफएससी कोड : CNRB0018778

3.3 संविदाकार द्वारा ईआईसी को जलयान (जलयान(ओं) को वापस करने के एक (01) वर्ष बाद तक, निष्पादन सुरक्षा और काउंटर सुरक्षा नियोक्ता के पास रहेगी, बशर्ते कि नियोक्ता इस बात से संतुष्ट हो कि संविदाकार के खिलाफ कोई मांग बकाया नहीं है।

3.4 यदि संविदाकार संविदा के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने में उपेक्षा करता है या पूरा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता के लिए संविदाकार द्वारा प्रदान की गई निष्पादन सुरक्षा और काउंटर सुरक्षा को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त करना वैध होगा। हालाँकि, यदि संविदाकार सभी प्रकार से संविदा को विधिवत निष्पादित करता है और पूरा करता है और पूर्ण रूप से "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करता है, तो नियोक्ता नियोक्ता द्वारा किए गए लागत और खर्चों और सभी हानि और क्षति सहित अन्य राशि की कटौती के बाद संविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और काउंटर सुरक्षा वापस कर देगा, जिसे नियोक्ता संविदाकार से वसूलने का पात्र है।

3.5 संविदा या किसी अन्य संविदा या किसी भी अन्य खाते की शर्तों के अंतर्गत संविदाकार द्वारा देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि, उसकी सुरक्षा के पर्याप्त हिस्से की बिक्री से या किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है या भुगतान की जा सकती है जो किसी भी खाते में नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय हो सकती है या हो सकती है। इसके अलावा, यदि संविदाकार की निष्पादन सुरक्षा और/या काउंटर सुरक्षा ऐसी कटौती या बिक्री से कम हो जाती है, तो ईआईसी से मांग का नोटिस जारी होने के दस (10) दिनों के भीतर संविदाकार को अपनी निष्पादन सुरक्षा और/या काउंटर सुरक्षा में कमी को पूरा करना होगा।

4. किराया शुल्क

4.1 इच्छुक बोलीदाता को प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए प्रत्येक जलयान के लिए शुद्ध चार्टर किराया प्रभार उद्धृत करना होगा, जिसे वे जलयान की मरम्मत, अनुरक्षण और रख-रखाव की लागत, परिचालन लागत, बीमा की लागत और नियमित अनुरक्षण डाउनटाइम आदि, सभी सर्वेक्षण शुल्क और ऐसे अन्य लागत और व्यय को ध्यान में रखने के बाद नियोक्ता को भुगतान करने के लिए सहमत होंगे, जो जलयान के चार्टर किराये की पूरी अवधि के दौरान संविदाकार द्वारा वहन किए जा सकते हैं, और जिन्हें संविदाकार को वहन करना होगा। किराया शुल्क (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से संविदाकार द्वारा ईआईसी को (जलयान(ओं) की वापसी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक तक प्रभावी होगा। इसके अलावा, नियमित निरीक्षण और अनुरक्षण कार्यक्रम के हस्तक्षेप से जलयान का परिचालन कार्यक्रम बाधित नहीं होगा।

4.2 प्रत्येक जलयान के लिए बेअर बोट चार्टर किराया शुल्क की गणना कैलेंडर महीने के आधार पर की जाएगी। हालाँकि, संविदाकार को जलयान सौंपने के समय और ईआईसी द्वारा अधिग्रहण के समय, किराया शुल्क उस महीने के चार्टर किराए के दिनों की संख्या के लिए

देय होगा और इसकी गणना मासिक चार्टर किराया शुल्क (प्रासंगिक कैलेंडर महीने पर विचार करते हुए) के आनुपातिक आधार पर जाएगी। इस संबंध में, संविदाकार ऊपर खंड-VII के खंड-3.2 में उल्लिखित अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में एक काउंटर सुरक्षा प्रस्तुत करेगा। बैंक गारंटी का प्रारूप संलग्नक IX, खंड VIII: संलग्नकों में दिया गया है।

4.3 किसी भी संबंधित महीने के लिए बनाए गए चालान/बिल का भुगतान उस महीने के लिए अग्रिम होगा और महीने की पहली दिनांक को देय होगा। ईआईसी द्वारा संविदाकार को जलयान (जलयान(ओं) को किराए पर देने के लिए हर महीने की पहली दिनांक या चालान बनाने के 10 दिन बाद चालान बनाया जाएगा और संविदाकार को उस महीने की 10 दिनांक तक चालान का भुगतान करना होगा। संविदाकार द्वारा चालान/बिल के भुगतान में चूक की स्थिति में निम्नलिखित लागू होंगे:

(क) यदि संविदाकार द्वारा चार्टरिंग अवधि (यदि लागू हो तो विस्तार अवधि सहित) के दौरान किसी भी संबंधित महीने के लिए भुगतान में पहली बार देरी की जाती है, तो चालान/बिल के भुगतान की नियत दिनांक से दस (10) दिनों से अधिक के लिए, ईआईसी तुरंत संविदाकार को एक लिखित नोटिस जारी करेगा, जिससे संविदाकार को ऐसी विफलता को तुरंत और ईआईसी द्वारा इस तरह के नोटिस के जारी होने से दस (10) दिनों की अनधिक से ठीक करने की अनुमति मिल सके। इसके बाद, यदि देय भुगतान बकाया रहता है, तो ईआईसी बकाया राशि के लिए काउंटर सिक्योरिटी बैंक गारंटी को लागू करके बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और उसके बाद, ईआईसी खंड-VII के खंड 3.5 के अनुसार संविदाकार को उसकी काउंटर सिक्योरिटी बैंक गारंटी में कमी को पूरा करने के लिए मांग पत्र जारी करेगा।

(ख) इसके बाद, यदि चार्टरिंग अवधि (यदि लागू हो तो विस्तार अवधि सहित) के दौरान किसी भी संबंधित महीने के लिए चालान/बिल का भुगतान संविदाकार द्वारा दूसरी बार दस (10) दिनों से अधिक के लिए विलंबित किया जाता है, तो ईआईसी तुरंत संविदाकार को लिखित "निलंबन का नोटिस" जारी करेगा और सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देगा और संविदाकार को ऐसी विफलता को ठीक करने के लिए ईआईसी द्वारा निलंबन के ऐसे नोटिस जारी करने से तुरंत दस (10) दिनों से अनधिक अवधि की नोटिस जारी करेगा। हालांकि, यदि भुगतान में और देरी होती है तो ईआईसी तत्काल संविदाकार द्वारा प्रस्तुत शेष काउंटर सुरक्षा बैंक गारंटी को लागू करेगा और खंड VII के खंड 2.8 के अनुसार संविदा को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा और इस संविदा के खंड-VII के खंड-6 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा जलयान का अधिग्रहण किया जाएगा।

4.4 संविदाकार और नियोक्ता के बीच आईडब्ल्यूएआई के (जलयान(ओं) के चार्टर किराए के लिए हुए लिखित समझौते के अनुसार (जलयान(ओं) को बिना कर्मचारियों के संविदाकार को सौंप दिया जाएगा। (जलयान(ओं) के संचालन के लिए होने वाले सभी खर्चों का वहन संविदाकार को करना होगा, जिसमें (जलयान(ओं) के संचालन के लिए आवश्यक ईंधन तेल और चिकनाई तेल, समुद्री गियर, स्टोर और सुरक्षा गियर/उपकरण, संचार उपकरण आदि

की लागत शामिल है। किसी भी परिस्थिति में, प्राधिकरण इन खातों पर किसी शुल्क का वहन नहीं करेगा।

4.5 संविदाकार को जलयान के संचालन के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंस और/या निकासी प्रमाणपत्र और/या परमिट प्राप्त करना होगा। संविदा की अवधि पूरी होने और/या संविदा के पहले निर्धारण पर ईआईसी द्वारा संविदाकार को जलयान सौंपने की लागत और ईआईसी द्वारा जलयान को अपने कब्ज़े में लेने की लागत का वहन संविदाकार को करना होगा। इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ संविदाकार द्वारा तैयार किए जाएँगे।

4.6 संविदाकार को जलयान सौंपने के दौरान जलयान में मौजूद ईंधन/समुद्री डीजल तेल और स्नेहक की लागत की प्रतिपूर्ति संविदाकार द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर नियोक्ता को अलग से की जाएगी जैसाकि खंड VIII: संलग्नक-VII में दर्शाया गया है। डीजल और विभिन्न प्रकार के स्नेहक की इकाई दर, जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, हैंडओवर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक की दर होगी। इसी प्रकार नियोक्ता द्वारा ईआईसी द्वारा जलयान के अधिग्रहण के समय जलयान में मौजूद समुद्री डीजल और स्नेहक की लागत की भी चार्टरर को अधिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक की दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

निर्माता विनिर्देश के अनुसार नियमित अनुरक्षण कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए, साथ ही स्नेहक तेल को बदलना, जलयान और सहायक उपकरणों की वार्षिक पेंटिंग भी करनी होगी। यह कार्यक्रम खंड VIII: संलग्नक-VII में संलग्न है। इन्हें संविदाकार के खर्च पर किया जाएगा और इस संबंध में अनुरक्षण लॉग ईआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा (इसके लिए एक कार्यक्रम खंड VIII: संलग्नक VIII में संलग्न है)। जलयान का निरीक्षण ईआईसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त खंड 2.3 के अनुसार किया जाएगा।

4.7 संविदाकार को प्रत्येक जलयान के लिए लाइसेंस/परमिट (आवश्यकतानुसार), सभी आवश्यक सर्वेक्षण, एलएसए (जीवन रक्षक उपकरण) और एफएफए (अग्निशमन उपकरण) की व्यवस्था स्वयं की लागत और जिम्मेदारी पर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में, ऐसे आवश्यक दस्तावेजीकरण और सर्वेक्षण कार्य के लिए जलयान का पूर्ण स्वरूप और स्वामित्व नहीं बदला जा सकता। संविदाकार एलओए जारी होने के तुरंत बाद ईआईसी को सभी प्रासंगिक लाइसेंस/दस्तावेजों की सत्य प्रतियां प्रस्तुत करेगा और जलयान (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के समय ईआईसी के पास जमा करेगा। लाइसेंस की देरी से प्राप्ति संविदा की देरी से शुरू होने का कारण नहीं होगी।

4.8 खंड-2.7 के खंड-VI के अनुसार संविदाकार को जलयान पर हमेशा आईडब्ल्यूटी/समुद्री नियमों के अनुसार आवश्यक पर्याप्त संख्या में प्रमाणित चालक दल तैनात करने होंगे। संविदाकार को जलयान पर तैनात सभी प्रमाणित चालक दल का विस्तृत बायो-डेटा तीन (3) महीने के अंतराल पर/या जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है, जो भी पहले हो, ईआईसी को प्रस्तुत करना होगा।

4.9 चार्टर किराये की अवधि के दौरान जलयान के संचालन के लिए संरक्षण, पायलटेज, बर्थिंग

शुल्क, बंदरगाह शुल्क आदि से संबंधित सभी सांविधिक शुल्क संविदाकार को वहन करने होंगे और बिना चूके सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। संविदाकार को चार्टर किराये की पूरी अवधि के दौरान उपरोक्त प्राधिकरणों के किसी भी बकाया राशि के विरुद्ध प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्राधिकरण के निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा।

5. किसी भी हानि **या क्षति के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा**

5.1 चार्टर की अवधि के दौरान, ऐसे मामलों में लागू प्रासंगिक मुआवजा अधिनियम/नियमों के अनुसार जलयान पर कार्यरत किसी भी चालक दल को होने वाले किसी भी हानि या चोट या मृत्यु की भरपाई करने के लिए संविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। संविदाकार जलयान के संचालन के लिए लागू सभी अधिनियमों, नियमों और विनियमों आदि का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5.2 संविदाकार या उनके एजेंटों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों आदि की ओर से, क़ानून के किसी भी उल्लंघन के लिए किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले क़ानून के अंतर्गत किसी भी रूप में लगाए गए किसी भी जुर्माना, दंड, लेवी या किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान संविदाकार करेगा और कराएगा। संविदाकार ऐसे सभी मामलों में किसी भी वित्तीय शुल्क, निवारक या दंडात्मक कार्रवाई या किसी अन्य परिणाम के विरुद्ध प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करेगा, जो संविदाकार की ओर से ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप हो सकता है, जहाँ जलयान चल सकता है और जलयान को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर नियोक्ता के निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार इस आशय का क्षतिपूर्ति बांड जमा करेगा। हालाँकि, संचालन पर रोक लगाने के बाद नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी निषेधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई संविदाकार को मासिक चार्टर किराया शुल्क से छूट नहीं देगी।

5.3 संविदाकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए सभी मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं, अधिनियमों का पालन करेगा और साथ ही उन नियमों, प्रक्रियाओं, अधिनियमों का भी पालन करेगा जो भविष्य में उन स्थानों पर लागू किए जा सकते हैं जहां जलयान चल सकते हैं।

5.4 (जलयान(ओं) के चार्टर के अंतर्गत रहने पर, सभी सांविधिक भुगतानों के लिए संविदाकार उत्तरदायी होगा और परमिट/लाइसेंस के साथ भुगतान के ऐसे सभी दस्तावेज नियमित रूप से तीन (3) महीने के अंतराल पर ईआईसी को प्रस्तुत करने होंगे जहां जलयान चल सकते हैं।

5.5 संविदाकार को बेअर बोट चार्टर किराए पर लिए गए आईडब्ल्यूएआई के (जलयान(ओं) के संचालन के दौरान, जहाँ भी उपलब्ध हो, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए आईडब्ल्यूएआई के टर्मिनलों और कानून के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर अनुमत अन्य जेटी/टर्मिनलों का उपयोग करना होगा। संविदाकार(ठेकेदारों) को जलयान और संबंधित बुनियादी ढांचे को हानि पहुँचाए बिना केवल लदान/उतारने की अनुमति है।

5.6 प्राधिकरण के जलयान को किसी गंतव्य स्थान पर रवाना करने से पहले, जलयान की सुरक्षित यात्रा के लिए और किसी भी तरह के ग्राउंडिंग या दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक जल ड्राफ्ट, वायु ड्राफ्ट और अन्य सुरक्षा मापदंडों की उपलब्धता की जांच करना

पूरी तरह से संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। ग्राउंडिंग के दौरान जलयान को हुए हानि की लागत की प्रतिपूर्ति संविदाकार द्वारा नियोक्ता को ग्राउंडिंग की अवधि के दौरान जलयान के किराये के शुल्क के अलावा की जाएगी। क्षति की लागत आईआरएस सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर ईआईसी द्वारा तय की जाएगी। संविदाकार ईआईसी को जलयान के स्थान, उसकी स्थिति के बारे में मासिक रूप से ट्रिप-टू-ट्रिप आधार पर सूचित और अद्यतन करेगा। किसी भी धोखाधड़ी के मामले में, ईआईसी निष्पादन सुरक्षा और/या काउंटर सुरक्षा को जब्त करने और/या बेअर बोट चार्टर किराये के समझौते के शीघ्र निर्धारण की सीमा तक उचित और आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है क्योंकि इसे उक्त समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

5.7 बेअर-बोट चार्टरर जलयान पर सवार अपने चालक दल की सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकरण के (जलयान(ओं) पर किसी भी प्रयोजन के लिए अठारह (18) वर्ष से कम आयु के किसी भी दल को काम पर नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को ऐसे (जलयान(ओं) के संचालन का अपेक्षित अनुभव होना चाहिए।

6. जलयान (जलयान(ओं) की वापसी

6.1 चार्टर की अवधि पूरी होने पर या जैसा भी मामला हो, संविदाकार को खंड VIII: संलग्नक-VII में उल्लिखित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रचलित सभी मशीनरी, उपकरण, फिटिंग, सामान आदि के साथ ही चार्टर की अवधि के दौरान जलयान पर प्रदान किए गए अतिरिक्त सामान/उपकरण जलयान को कोलकाता में ईआईसी को या एनडब्ल्यू-1 या एनडब्ल्यू-2 में नियोक्ता द्वारा वांछित स्थान पर चालू/प्रचालन स्थिति में वापस करना होगा।

6.2 यदि उपरोक्त खंड 2.1 के अनुसार निरीक्षण के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं दिखता (सामान्य टूट-फूट और स्टील संरचनाओं और प्लेटों के सामान्य क्षरण को छोड़कर), तो ईआईसी जलयान को स्वीकार करेगा और संविदाकार द्वारा ईआईसी को जलयान की भौतिक डिलीवरी पर अधिग्रहण के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके लिखित रूप में इस स्वीकृति को सूचित करेगा। जलयान का यह अधिग्रहण प्राधिकरण के ईआईसी और संविदाकार द्वारा जलयान के अधिग्रहण के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से माना जाएगा।

6.3 संविदाकार अपने चालक दल या प्रतिनिधि की किसी कार्रवाई के कारण जलयान को होने वाले किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी होगा और उसे हानि/क्षति की भरपाई करनी होगी। प्राधिकरण जलयान को होने वाले ऐसे हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई के लिए, ऊपर खंड 2.7 में परिभाषित अनुसार उचित रूप से एलडी लगाया जाएगा।

6.4 यदि संविदाकार जलयान को, पक्षों के बीच लिखित समझौते के अनुसार चार्टर किराये की अवधि से परे रोके रखता है, तो संविदाकार के इस कृत्य को संविदाकार द्वारा सरकारी संपत्ति का अवैध/अनधिकृत कब्ज़ा माना जाएगा और उस पर आईपीसी, सीआरपीसी और समय-समय पर संशोधित किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत

मुकदमा चलाया जाएगा। ईआईसी तत्काल प्रभाव से एक नोटिस जारी करेगा और प्रचलित या समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक कानून के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।.

6.5 उपर्युक्त खण्ड-6.4 के अतिरिक्त, जब तक संविदाकार द्वारा (जलयान(ओं) को सौंपने/अधिग्रहण करने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके (जलयान(ओं) को वैध रूप से ईआईसी को नहीं सौंपा जाता है, तब तक संविदाकार को मूल चार्टर किराया दर के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) की दर से मासिक किराया-प्रभार का भुगतान करना होगा।

7. बीमा

7.1 संविदाकार विषयगत जलयान (जलयान(ओं) का उनके निर्धारित मूल्यांकन के लिए विषयगत जलयान (जलयान(ओं) को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद नियोक्ता के नाम पर बीमा कराने की व्यवस्था करेगा जिसमें नदी और/या टर्मिनलों और/या किसी अन्य स्थान पर जलयान के चलने और/या लंगर डालने से संबंधित किसी भी स्थिति से उत्पन्न कुल/आंशिक हानि या क्षति के लिए किसी तीसरे पक्ष को देय कोई भी दावा शामिल है, जहां जलयान (जलयान(ओं) की मरम्मत की जा सकती है या रखा जा सकता है या उन्हें ऐसे उद्देश्य के लिए रखा जा सकता है, जो सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से/ उन्हें वापस करने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक तक ईआईसी द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता/सर्वेक्षक की सहायता से अनुमानित मूल्य के लिए है। बीमा पॉलिसी को सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से शुरू होकर वापस करने/जलयान को अपने कब्जे में लेने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक तक चार्टर किराये की पूरी अवधि के लिए वैध रखा जाएगा। यह पॉलिसी वापसी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके जलयान (जलयान(ओं) के ईआईसी को वापस किए जाने तक लागू रहेगी। बीमा पॉलिसी नियोक्ता के पक्ष में जारी की जाएगी, जो जलयान (जलयान(ओं) का कानूनी मालिक है और मूल पॉलिसी संविदाकार द्वारा सौंपने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के दस (10) दिनों के भीतर ईआईसी को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी बीमा पॉलिसी को साल-दर-साल या ऐसी अवधि के लिए नवीनीकरण द्वारा जारी रखा जाएगा जो आवश्यक हो और बीमा कंपनी द्वारा समय-समय पर ऐसे नवीनीकरण के लिए जारी किए गए समर्थन को संविदाकार द्वारा बीमा पॉलिसी की वैधता की समाप्ति से पहले मूल रूप में ईआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा। बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी से प्राप्त की जाएगी।

संविदाकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से बीमा किया जाएगा:

(क) जलयान जिसमें पतवार और मशीनरी शामिल है;

(ख) व्यापक बीमा, जिसमें मलबा हटाना भी शामिल है; और

(ग) संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति बीमा

संविदाकार को जलयान पर ले जाए जा रहे चालक दल के सभी सदस्यों के लिए अपने खर्च पर व्यक्तिगत और दुर्घटना बीमा भी करवाना होगा, ताकि चार्टरिंग अवधि के दौरान होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना या हादसे को कवर किया जा सके। प्राधिकरण को ऐसी किसी भी घटना या दुर्घटना या हादसे की क्षतिपूर्ति की जाएगी और वह ऐसी किसी भी घटना या उसके प्रभावों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

संविदाकार को परिचालन शुरू करने से पहले, ईआईसी को उपरोक्त सभी बीमों का

दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

10. मध्यस्थता

8.1 यदि इस निविदा दस्तावेज के संबंध में या इससे संबंधित या इसके अधीन पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो पक्षकार शीघ्रतापूर्वक और सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे ताकि उपर्युक्त विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका सौहार्दपूर्ण समाधान और करार हो सके।

पीड़ित पक्ष विवादों का निपटारा करने के लिए आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष (अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी) से एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकता है। आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष पीड़ित पक्ष को अपने पैनल से मध्यस्थों के तीन नामों का विकल्प प्रदान करेंगे। पीड़ित पक्ष 15 दिनों के भीतर मध्यस्थों में से किसी एक को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की सहमति दे सकता है। यदि पीड़ित पक्ष किसी मध्यस्थ की सहमति देने में विफल रहता है, तो आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष सुझाए गए पैनल से एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो अंतिम होगा। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है या अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अपना पद खाली कर देता है, तो पूर्वोक्त तरीके से एक अन्य एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति संदर्भ को उस चरण से आगे बढ़ाने का पात्र होगा जिस पर इसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।

मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी, जिस पर मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 या उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ पढ़ा जाए और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और वर्तमान में लागू नियम इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

इस संविदा की यह भी शर्त है कि मध्यस्थ केवल उन्हीं विवादों का निपटारा करेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे गए हैं तथा उसे भेजे गए प्रत्येक विवाद और दावे के लिए अलग-अलग निर्णय देगा। मध्यस्थ अपने निर्णय के लिए कारण बताएगा।

किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ संविदा के मामले में, निम्नलिखित मध्यस्थता खंड लागू होगा: "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/पोर्ट ट्रस्टों के बीच और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों (रेलवे, आयकर और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच वाणिज्यिक संविदा (अनुबंधों) के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे विवाद या मतभेद को एएमआरसीडी के माध्यम से समाधान के लिए उठाया जाएगा जैसाकि डीपीई ओएम संख्या 4 (1)/2013-डीपीई (जीएम)/एफटीएस-1835 दिनांक 22 मई 2018 में उल्लिखित है।"

11. संविदा को शासित करने वाले कानून

9.1 इस संविदा पर भारत के कानून लागू होंगे।

9.2 जिन विवादों को संविदा में विवाद समाधान प्रावधान के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सका हो, ऐसे संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार उस क्षेत्र के माननीय उच्च न्यायालय के पास होगा जिस क्षेत्र में (आईडब्ल्यूएआई के संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों के अंतर्गत) जलयान परिचालन में हैं।

12. अन्य प्रावधान

10.1 बेयर बोट चार्टर पर दिया गया प्रत्येक जलयान अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अंतर्गत परिभाषित और संशोधित सभी नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित होगा। इसके अलावा, संविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में निर्धारित राष्ट्रीय जलमार्ग विनियम, 2002 और राष्ट्रीय जलमार्ग, नौवहन और नौवहन सुरक्षा विनियम, 2002 पर टकराव की रोकथाम के सभी नियमों और विनियमों का हमेशा पालन किया जाए। उपरोक्त अधिनियमों के किसी भी नियम और विनियमन का उल्लंघन करने की स्थिति में, अधिनियमों में उल्लिखित दंड संविदाकार द्वारा देय होगा। जलयान को सुरक्षित संचालन के लिए हमेशा पर्याप्त अंडर कील क्लीयरेंस के साथ संचालित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, संविदाकार जलयान की पंजीकृत क्षमता से अधिक कोई भार नहीं ले जाएगा, न ही वे चार्टर पर दिए गए प्राधिकरण के (जलयान(ओं) में कोई विस्फोटक सामग्री, रसायन और/या प्रतिबंधित/विघटित सामग्री ले जाएंगे। (जलयान(ओं) का उपयोग केवल मालवाहक जलयान के रूप में किया जाएगा तथा डेक कार्गो की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.2 केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन प्रकृति या अन्यथा राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए जारी किए गए जलयान (जलयान(ओं) के अधिग्रहण के किसी भी आदेश के मामले में, ईआईसी संविदाकार को कोई नोटिस दिए बिना तुरंत जलयान (जलयान(ओं) को अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि, राष्ट्र के हित में ऐसी आवश्यकता पूरी होने पर, संविदा की शेष अवधि के लिए जलयान (जलयान(ओं) को ईआईसी द्वारा संविदाकार को फिर से सौंप दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस अवधि के लिए जलयान वापस लिया जाएगा, उसे संविदा की अवधि में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, संविदाकार ईआईसी द्वारा जलयान (जलयान(ओं) के कब्जे के समय और ईआईसी से जलयान (जलयान(ओं) के कब्जे के समय उपलब्ध बोर्ड स्टोर, स्पेयर और पीओएल आदि के स्टॉक की एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर अंतर राशि निर्धारित की जाएगी।

10.3 संविदाकार ईआईसी की पूर्व लिखित और स्पष्ट अनुमति के बिना जलयान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्धन/परिवर्तन नहीं करेगा।

10.4 अपने माल की सुरक्षा, परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग आदि की पूरी जिम्मेदारी संविदाकार की होगी। ईआईसी के जलयान में ले जाए जाने वाले माल की किसी भी क्षति और/या कमी के लिए पूरी तरह से संविदाकार जिम्मेदार होगा। प्राधिकरण किसी भी परिस्थिति में और किसी भी तरह से माल की किसी भी हानि और/या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10.5 इस संविदा में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पक्षकारों के बीच स्वामी और सेवक या प्रधान और एजेंट का संबंध स्थापित करती या बनाती है।

10.6 संविदाकार को उनकी स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन के बारे में नियोक्ता को सूचित

करना चाहिए, विशेष रूप से, जहां ऐसा परिवर्तन इस संविदा के अंतर्गत दायित्वों के उनके निष्पादन को प्रभावित करेगा।

10.7 संविदाकार कार्य के निष्पादन के लिए नियोक्ता के प्रति सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा।

10.8 संविदाकार अपने (संविदाकार के) कर्मचारियों या एजेंटों या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा संविदाकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी कार्रवाई, चूक या संचालन के परिणामस्वरूप हुई किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ हमेशा नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

10.9 ऑपरेटर द्वारा (जलयान(ओं) में आईडब्ल्यूएआई जलयान ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

10.10 ऑपरेटर को मासिक आधार पर किए गए आवागमन का विवरण आईडब्ल्यूएआई , कोलकाता को प्रस्तुत करना होगा।

13. अनुसूचित सेवा

11.1 बेयर-बोट चार्टर पर दिया गया प्रत्येक जलयान प्रत्येक बारह (12) महीने में दो बार अनुसूचित-सेवा के अंतर्गत नीचे उल्लिखित किसी भी एक क्षेत्र में संचालित होगा:

क) भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से सागर-द्वीप/हल्दिया/कोलकाता और पटना/वाराणसी/पांडु/धुबरी/करीमगंज,

ख) कोई अन्य सेक्टर जिसमें एनडब्ल्यू-1, एनडब्ल्यू-2, एनडब्ल्यू-16, एनडब्ल्यू-86 और एनडब्ल्यू-97 में मूल और गंतव्य जोड़ी की दूरी 500 किलोमीटर हो या ओ-डी जोड़ी नियोक्ता द्वारा तय की गई हो।

11.2 संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पूर्व-योजना बनाए और अनुसूचित-सेवा के विवरण के साथ अनुसूचित-सेवा के शुरू होने से 45 दिन पहले ईआईसी को उक्त के बारे में सूचित करे। ईआईसी संविदाकार को संबंधित अनुसूचित-सेवा शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से आवश्यक कार्रवाई करेगा। ईआईसी संविदाकार को ऊपर उल्लिखित ओ-डी जोड़ियों के बीच अनुसूचित सेवा को पूरा करने में लिए गए दिनों की वास्तविक संख्या या एक (01) महीने, जो भी कम हो, के अनुपात में अनुसूचित-सेवा की अवधि के लिए किराया-प्रभार से छूट देगा।

खंड-VIII: संलग्नक

संलग्नक-I सत्यनिष्ठा करार

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और संविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित तथा आईडब्ल्यूएआई की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सक्षम नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित)

यह सत्यनिष्ठा करार आज दिनांक..... माह..... 20 को

इनके बीच किया गया है।

सचिव, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा के माध्यम से अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

आईडब्ल्यूएआई, (जिसे आगे 'नियोक्ता' कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

.....

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता) के माध्यम से ..... (इसके बाद (विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण) "बोलीदाता/संविदाकार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और यह अभिव्यक्ति, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

प्रस्तावना:

जबकि नियोक्ता ने निविदा (एनआईटी सं.: आईडब्ल्यूएआई/.....) (जिसे आगे "निविदा/बोली" कहा जाएगा) जारी की है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत, ".....(कार्य का नाम *लिखें*)" के लिए संविदा प्रदान करने का इरादा रखता है।

और जबकि नियोक्ता देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और अपने बोलीदाताओं और परामर्शदाता के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और जबकि उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (जिसे आगे सत्यनिष्ठा संधि या करार कहा जाएगा) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसके नियम और शर्तें भी पार्टियों के बीच निविदा/बोली दस्तावेजों और संविदा के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ी जाएंगी।

अब, अतः इस समझौते में निहित पारस्परिक अनुबंधों पर विचार करते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं और यह करार निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

<u>अनुच्छेद 1: प्रमुख/मालिक की प्रतिबद्धता</u>

1) नियोक्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

(क) नियोक्ता का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, निविदा के संबंध में या संविदा के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई

भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से पात्र नहीं है।

(ख) नियोक्ता निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ न्यायोचित और उचित व्यवहार करेगा। नियोक्ता, विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या संविदा निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त कर सके।

(ग) नियोक्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा हो।

2) यदि नियोक्ता को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है या इसमें वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन है या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो नियोक्ता मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

<u>अनुच्छेद 2: बोलीदाता/संविदाकार की प्रतिबद्धता</u>

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/संविदाकार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और निविदा प्रक्रिया के दौरान और बातचीत या संविदा प्रदान करने के दौरान धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की सूचना आईडब्ल्यूएआई को दें, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है या पता चलता है।

2. बोलीदाता/संविदाकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और संविदा निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

(क) बोलीदाता/संविदाकार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन में शामिल नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव, वादा या पेशकश नहीं करेंगे, जिसका वह कानूनी रूप से पात्र नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ख) बोलीदाता/संविदाकार अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक अघोषित करार या संविदा नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या गैर-प्रस्तुतीकरण या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में गुटबाजी करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

(ग) बोलीदाता/संविदाकार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा बोलीदाता/संविदाकार अनुचित तरीके से (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) उपयोग नहीं करेंगे, या किसी अन्य को नहीं देंगे, जिसमें नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप

में योजनाओं, तकनीकी बोलियों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है।

(घ) विदेशी मूल के बोलीदाता/संविदाकार भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/संविदाकार विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। विदेशी प्रमुख की ओर से भारतीय एजेंट या विदेशी प्रमुख सीधे निविदा में बोली लगा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई एजेंट एक निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है, उसे उसी वस्तु के लिए बाद की/समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) बोलीदाता/संविदाकार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, संविदा प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए गए या किए जाने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

3. बोलीदाता/संविदाकार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगे या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

4. बोलीदाता/संविदाकार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के कार्य में लिप्त नहीं होंगे, जैसे कि जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छोड़ना या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, ताकि सार्वजनिक अधिकारी को उन पर भरोसा करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसका उद्देश्य दूसरों के न्यायोचित हितों को हानि पहुंचाना या अनुचित लाभ प्राप्त करना और/या सरकार/नियोक्ता के हितों को हानि पहुंचाने के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करना हो।

5. बोलीदाता/संविदाकार सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से बलपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे (जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने, किसी कार्रवाई को मजबूर करने या धमकी, भय या बल के प्रयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय को प्रभावित करने का कार्य, जहां किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति हो सकती है, ताकि निविदा प्रक्रिया में उनकी साझेदारी को प्रभावित किया जा सके)।

<u>अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम</u>

कानून या संविदा या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियोक्ता को उपलब्ध किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) द्वारा इस सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(रों) नियोक्ता के पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने को स्वीकार करते हैं और वचनबद्ध हैं:

1. यदि बोलीदाता/संविदाकार(कों) ने, संविदा देने से पहले या उसके निष्पादन के दौरान, उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या भरोसे पर प्रश्नचिह्न लगा हो, तो नियोक्ता के पास संविदाकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(रों) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या

संविदा को समाप्त/निर्धारित करने या यदि पहले से ही निष्पादित हो चुका है या बोलीदाता/संविदाकार को भविष्य की संविदा पंचाट प्रक्रियाओं से बाहर करने का अधिकार होगा। बहिष्कार की अवधि और अवधि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर और नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए या नियोक्ता द्वारा तय की गई सीमित अवधि के लिए हो सकता है।

2. **काउंटर सिक्योरिटी और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती:** काउंटर सिक्योरिटी और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती: यदि नियोक्ता ने संविदा सौंपने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या संविदा को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार संविदा को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित कर लिया है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, जो नियोक्ता को प्राप्त हो सकता है, अपनी सुविचारित राय में बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) की बयाना जमा राशि , निष्पादन प्रतिभूति, काउंटर सिक्योरिटी की पूरी राशि जब्त कर सकता है।

3. **आपराधिक दायित्व:** यदि नियोक्ता को किसी बोलीदाता या संविदाकार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता या संविदाकार के सहयोगी के किसी ऐसे आचरण की जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के अर्थ में भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि नियोक्ता को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो नियोक्ता आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद 4: पिछला अपराध

1. बोलीदाता/संविदाकार यह घोषणा करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उनसे किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाला या भारत में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके।

2. यदि बोलीदाता/संविदाकार इस विषय पर गलत बयान देते हैं, तो उन्हें निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता/संविदाकार के व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने/छुट्टियों की सूची बनाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

3. यदि बोलीदाता/संविदाकार यह साबित कर सकें कि उन्होंने अपने द्वारा की गई क्षति की भरपाई कर ली है तथा उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो नियोक्ता अपने विवेक से बहिष्कार को समय से पूर्व ही रद्द कर सकता है।

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

1. बोलीदाता/संविदाकार अपने किसी भी उप-विक्रेता द्वारा इस समझौते/संधि में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2. नियोक्ता सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर समझौते करेगा।

3. नियोक्ता उन बोलीदाताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा, जो नियोक्ता और बोलीदाताओं/ठेकेदारों के बीच विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते को निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं करते हैं या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

अनुच्छेद 6: समझौते की अवधि

यह करार दोनों पक्षों द्वारा कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होता है। यह संविदा के अंतर्गत काम पूरा होने के 18 महीने बाद समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा तथा ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस समझौते की समाप्ति के बावजूद तब तक वैध बना रहेगा, जब तक कि नियोक्ता द्वारा उसे समाप्त/निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

अनुच्छेद 7: अन्य प्रावधान

1. यह करार भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र उस नियोक्ता के प्रभाग का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।
2. परिवर्तन और अनुपूरक लिखित रूप में किए जाने चाहिए।कोई अतिरिक्त करार नहीं किया गया है।
3. यदि संविदाकार साझेदारी या कंसोर्टियम है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या सभी साझेदारों और कंसोर्टियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले एक या अधिक साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; तब भी इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
5. इस नियम और शर्त पर सहमति है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते/संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद और इस सत्यनिष्ठा संविदा/संधि या उसकी व्याख्या के अनुसार नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

अनुच्छेद 8: अन्य विनियमन का अनुपालन:

बोलीदाता/संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों के सभी लागू कानूनों, यथा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और उसके अंतर्गत कोई भी संशोधन, श्रम समझौते, सुरक्षा नियम और पीएफ/ईएसआई अनुपालन, काम करने की स्थिति और तकनीकी कोड और समय-समय पर लागू आवश्यकता के विनियमों के सख्त अनुपालन में लागू किया जाएगा। उपर्युक्त विनियमों/अधिनियमों का अनुपालन न करना बोलीदाताओं/ठेकेदारों की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा।

अनुच्छेद 9: कानूनी और पूर्व अधिकार

इस समझौते के अंतर्गत पक्षों के सभी अधिकार और उपचार संविदा और/या कानून के अंतर्गत ऐसे पक्षों से संबंधित सभी अन्य कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और उन्हें पूर्वोक्त कानूनी अधिकारों और उपचारों का विकल्प न मानकर संचयी माना जाएगा। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस अखंडता समझौते के अंतर्गत शामिल किसी भी प्रावधान के संबंध में इस अखंडता समझौते को निविदा/संविदा दस्तावेजों पर वरीयता दी जाएगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित स्थान और दिनांक पर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे निष्पादित किया है:

.....

(नियोक्ता के लिए एवं उसकी ओर से)

.....

(बोलीदाता/संविदाकार की ओर से)

साक्षी:

1. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

2. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

स्थान:.....

दिनांक:.....

संलग्नक-II: निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र का प्रारूप

सेवा में,

अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

ए-13, सेक्टर-1, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन- 201301

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ..... (इसके बाद **"नियोक्ता"** कहा जाएगा), मैसर्स ..... (इसके बाद **"संविदाकार"** कहा जाएगा) के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के विचार से, नियोक्ता द्वारा ".....(समनुदेशन का नाम *लिखें*)" के लिए जारी किए गए अवार्ड पत्र संख्या .....दिनांक के अनुवर्ती के रूप में, **संविदाकार** के अनुरोध पर, भारतीय रुपये ..... (रुपये ..... मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा के प्रस्तुत करने पर, हम, **(बैंक)** नियोक्ता को किसी भी चूक या नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा को निष्पादित करने में संविदाकार की ओर से विफलता या उक्त संविदा के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ ..... (रुपये ---------- मात्र) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

1. हम (**बैंक**), केवल नियोक्ता की मांग पर बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जिसमें कहा गया हो कि दावा की गई राशि नियोक्ता को हुई हानि या क्षति के कारण देय है या नियोक्ता को उक्त **संविदा** या उक्त समय सीमा में निहित किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण या **संविदाकार** द्वारा उक्त संविदा को निष्पादित करने में विफलता के कारण हुई हो। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा देय और बकाया राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये..... (केवल रुपये.....) से अनधिक की राशि तक सीमित होगी।

2. हम **(बैंक)** किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में **संविदाकार** द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद, नियोक्ता को मांगी गए किसी भी राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, इसके अंतर्गत देयता पूर्ण और स्पष्ट है। इस गारंटी के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अंतर्गत भुगतान के हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और ऐसे भुगतान करने के लिए **संविदाकार** का हमारे खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

3. हम **(बैंक)** इस बात पर भी सहमत हैं कि इस गारंटी में निहित गारंटी, संविदा की शर्तों और कार्य सौंपने के पत्र के अनुसार नियोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए परियोजना कार्य पूरा होने तक पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त संविदा के अंतर्गत या उसके आधार पर नियोक्ता के सभी बकाया की वसूली और उसके दावे की संतुष्टि नहीं हो जाती या यह संविदा के अनुसार कार्य पूरा होने की निर्धारित दिनांक तक लागू रहेगी। हम **(बैंक)** इस बात पर विचार करेंगे कि उक्त संविदा की शर्तों और नियमों का उक्त संविदाकार द्वारा पूरी तरह और उचित तरीके से पालन किया गया है और तदनुसार उक्त संविदा की समाप्ति अवधि के 180 दिन बाद इस गारंटी को समाप्त कर देंगे, जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा बैंक को लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, जिस स्थिति में यह

बैंक के खिलाफ लागू होगी, भले ही इसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद या विस्तारित अवधि के बाद लागू किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

4. हम **(बैंक)** नियोक्ता के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि नियोक्ता को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या उक्त **संविदाकार** द्वारा समय-समय पर समय या निष्पादन बढ़ाने या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त **संविदाकार** को दिए गए किसी भी ऐसे परिवर्तन या विस्तार के कारण या नियोक्ता की ओर से किसी भी रोक, कार्य या चूक या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** को किसी भी तरह की छूट या किसी भी ऐसे मामले या बात के कारण हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो जमानत से संबंधित कानून के अंतर्गत, प्रावधान के बिना, हमें राहत देने का प्रभाव रखती है।

5. नियोक्ता के लिए बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले **संविदाकार** के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी, भले ही नियोक्ता ने **संविदाकार** से बैंक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के समय कोई भी प्रतिभूति प्राप्त की हो या प्राप्त करता है, जो बकाया हो या वसूल न की गई हो।

6. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये.....(केवल रुपये.....) तक सीमित है और यह नियोक्ता द्वारा विस्तारित दिनांक तक या अन्यथा लागू रहेगी। जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत विस्तारित दिनांक को या उससे पहले हमारे पास कोई दावा या मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और बैंक को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

7. यह गारंटी बैंक या **संविदाकार** के संविधान में परिवर्तन होने पर भी समाप्त हो जाएगी।

8. हम **(बैंक)** अंत में यह वचन देते हैं कि नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

दिनांक....., 2024

के लिए .....

(बैंक का नाम *लिखें*)

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम .....

(बड़े अक्षरों में)

पद का नाम

कोड संख्या .....

बैंक और शाखा का नाम (मुहर)

संलग्नक-III: संविदा प्रपत्र

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और संविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित तथा आईडब्ल्यूएआई की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सक्षम नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित)

.....(समनुदेशन का नाम *लिखें*)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

और

संविदाकार

के बीच करार

यह करार आज दो हजार.....की .....दिनांक को किया गया, जिसमें एक पक्ष के तौर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश (इसके बाद इसे **"आईडब्ल्यूएआई"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) और दूसरे पक्ष के तौर पर मैसर्स .....जिसका कार्यालय .....में है (इसके बाद इसे **"संविदाकार"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत नियुक्त व्यक्ति और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

जबकि आईडब्ल्यूएआई दिनांक .....के कार्य आदेश संख्या के अनुसार संदर्भ शर्तों (टीओआर) और संविदा की शर्तों के अनुसार ".....(समनुदेशन का नाम *लिखें*) **("कार्य")"** देने का इच्छुक है, जो इस समझौते का हिस्सा बनेंगे।

जबकि संविदाकार ने इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर **"कार्य"** करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इसलिए ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और इसके द्वारा पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है, घोषित किया जाता है:

1. इस संविदा में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें संदर्भित संविदा दस्तावेजों में दिए गए हैं।
2. संविदाकार कार्य आदेश संख्या .....दिनांक .....के अनुसार **"कार्य"** करेगा, जो संविदा की शर्तों और इसके साथ संलग्न नियमों के अनुसार होगा, जो इस समझौते का हिस्सा होंगे।
3. निम्नलिखित दस्तावेजों को समझौते के भाग के रूप में माना, पढ़ा और समझा जाएगा, अर्थात:
   (क) संविदा प्रपत्र
   (ख) सत्यनिष्ठा करार
   (ग) कार्य सौंपने का पत्र/कार्य आगे बढ़ाने का नोटिस
   (घ) संविदा की शर्तें

(ङ) मूल्य बोली की अनुसूची

(च) तकनीकी बोली

(छ) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र

(ज) बोली-पूर्व बैठक का विवरण

(झ) सभी पत्राचार

एतद्द्वारा "संविदाकार" आईडब्ल्यूएआई के साथ संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रकार से "कार्यों" को पूरा करने और बनाए रखने का वचन देता है।

"आईडब्ल्यूएआई" इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, सभी मशीनरी, उपकरण, फिटिंग, स्टोर आदि के साथ चालू/परिचालन स्थिति में जलयान को किराए पर लेने का वचन देता है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस करार को भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार ऊपर दर्शाए गए दिन, माह और वर्ष को निष्पादित किया है।

के लिए एवं की ओर से **(भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)**	**के लिए एवं की ओर से** **(संविदाकार)**
हस्ताक्षर _____	हस्ताक्षर_____
नाम एवं पदनाम_____	नाम एवं पदनाम_____
मुहर	मुहर
साक्षी-I	**साक्षी-I**
1) हस्ताक्षर _____	1) हस्ताक्षर _____
2) नाम एवं पदनाम_____	2) नाम एवं पदनाम_____
साक्षी-II	**साक्षी-II**
1) हस्ताक्षर _____	1) हस्ताक्षर _____
2) नाम एवं पदनाम_____	2) नाम एवं पदनाम_____

संलग्नक-IV: बैंक खाते का विवरण

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

परियोजना का नाम:_____

हम _____(बोलीदाता का नाम) निम्नलिखित अनुसार अपने खाते का विवरण घोषित करते हैं।

बैंक खाता संख्या : _____

आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएफएससी कोड : _____

बैंक का नाम : _____

बैंक की शाखा का पता : _____

शाखा कोड : _____

खाता प्रकार

(बचत/चालू/अन्य) : _____

इसके साथ एक खाली चेक (रद्द) संलग्न है।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

दिनांक:

स्थान:

संलग्नक-V: बैंक प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त लाभार्थी का हमारी शाखा में बैंक खाता संख्या ..... है तथा उपर्युक्त बैंक विवरण सही है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक: **प्राधिकरण संख्या_____**

नाम:_____

आधिकारिक मुहर/स्टाम्प

संलग्नक-VI: निविदा दस्तावेज़ की स्वीकृति पत्र

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में, **दिनांक:**

निदेशक (यातायात एवं रसद),
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,
ए-13, सेक्टर - 1, नोएडा-201 301,
जिला:- गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

विषय: निविदा की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

निविदा संदर्भ संख्या:…….

निविदा/कार्य का नाम:- ……*(कार्य का नाम लिखें)*

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त 'निविदा/कार्य' के लिए वेबसाइट (वेबसाइटों) अर्थात: www.iwai.nic.in या https://eprocure.gov.in/eprocure/app से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिया है,
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या _____ से _____ तक (संलग्नक(कों), अनुसूची(ओं) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) संपूर्ण नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, जो संविदा समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।
3. इस कार्य के लिए इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण/प्रश्नों (यदि कोई हो) और/या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के उत्तर को भी ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/स्पष्टीकरणों के उत्तर/प्रश्नों (यदि कोई हो)/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की निविदा शर्तों को बिना शर्त समग्रता/संपूर्णता में स्वीकार करते हैं।
5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना इस निविदा/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें आईडब्ल्यूएआई में भविष्य की बोली के लिए हमारी फर्म/कंपनी को निलंबित करना भी शामिल है।

भवदीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

संलग्नक-VII: चालू मरम्मत और अनुरक्षण अनुसूची

1. चार्टर किराये की संविदा अवधि शुरू होने से पहले, संविदाकार के प्रतिनिधि और आईडब्ल्यूएआई के प्रतिनिधि द्वारा, पंजीकृत मरीन/जलयान सर्वेक्षक के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और जलयान पर मौजूद प्रत्येक चल और अचल वस्तु का लेखा-जोखा लिया जाएगा और उसे संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाएगा और उनकी सामान्य स्थितियों को रिकॉर्ड के लिए टिप्पणी किया जाएगा। इसी तरह, चार्टर किराये की संविदा अवधि के अंत में, संविदाकार के प्रतिनिधि, आईडब्ल्यूएआई के प्रतिनिधि और अनुमोदित मरीन/जलयान सर्वेक्षक द्वारा एक अन्य संयुक्त "ऑफ-हायर" निरीक्षण के माध्यम से उपरोक्त सूचियों की दोबारा जांच की जाएगी। यदि कोई वस्तु गायब पाई जाती है या ऐसी स्थिति में होती है जिसे उस स्थिति की तुलना में सामान्य टूट-फूट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसमें उसे सौंपा गया था, तो आईडब्ल्यूएआई द्वारा अनुसूची/प्रचलित दर के अनुसार संपत्ति को हुए ऐसे हानि/क्षति की लागत का आकलन किया जाएगा। संविदाकार को बिना किसी आपत्ति के आईडब्ल्यूएआई को उसके द्वारा निर्धारित लागत का भुगतान करना होगा, अन्यथा इसे संविदाकार द्वारा आईडब्ल्यूएआई के पास जमा निष्पादन सुरक्षा से वसूल किया जाएगा। इस "ऑन-हायर" और "ऑफ-हायर" संयुक्त निरीक्षण की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी। उपर्युक्त दोनों मामलों में, समुद्री/जलयान सर्वेक्षक को प्राधिकरण के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

2. संविदाकार को जलयान सौंपते समय, उपभोग्य सामग्रियों (विशेष रूप से ईंधन तेल और स्नेहक) के संबंध में एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। संविदाकार द्वारा जलयान को अपने अधीन लेने के समय जलयान पर उपलब्ध ईंधन तेल और स्नेहक की लागत की संविदाकार द्वारा सौंपने के प्रोटोकॉल/ अधिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की दिनांक के अनुसार आईडब्ल्यूएआई को प्रतिपूर्ति करनी होगी।

3. जलयान के सामान्य अनुरक्षण और रख-रखाव में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे, जिन पर मूल्य बोली प्रस्तुत करते समय उचित रूप से विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि नीचे दी गई सूची केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण सूची नहीं है। ऐसे सभी कार्य जो नियमित, सामान्य अनुरक्षण और रख-रखाव प्रकृति के हैं, संविदाकार के खाते में होंगे और आईडब्ल्यूएआई की इसके लिए कोई भी वित्तीय देयता नहीं होगी।

(क) पतवार, डेक, सुपर-स्ट्रक्चर, बल्क-हेड्स, केसिंग, पाइपलाइन, बिल्ज, सीढ़ियाँ, वेंट पाइप आदि में उजागर स्टील प्लेट और संरचनाओं के सभी जंग लगे क्षेत्रों को, जिसमें बाहरी पतवार से लेकर जलयान की लोड वॉटर लाइन तक शामिल है, हर 6 (छह) महीने के अंतराल पर नियमित रूप से प्राइमर के दो कोट और फिनिशिंग पेंट के दो कोट से चिप, स्क्रैप, वायर ब्रश, साफ और टच अप करना आवश्यक होगा। ऐसे पेंट्स को बर्जर, शालीमार, जोटुन आदि जैसे प्रतिष्ठित निर्माताओं से खरीदा जाना चाहिए।

(ख) सभी बिल्ज को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय बिल्ज के अंदर कोई ठोस कण न हो। सभी टैंकों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और रिसाव रोधी होने के लिए उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए और कॉक, गेज, ग्लास, वाल्व आदि जैसी सभी फिटिंग की मरम्मत की और आवश्यकतानुसार अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) संपूर्ण संस्तुति, मार्ग, डेक, गलियाँ, इंजन कक्ष, फर्श, फोर्ड और पिछाड़ी, स्टोर स्पेस, स्टोर गैली, बाथरूम और शौचालय जिसमें स्टीयरिंग कम्पार्टमेंट भी शामिल है, सभी को हमेशा सभी प्रकार के कचरे से साफ किया जाना चाहिए। सभी लाइट, पंखे, दरवाज़े के ताले, नल, बेसिन, सिंक को हमेशा चालू हालत में रखा जाना चाहिए।

(घ) जलयान के कुशल और सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यकतानुसार फेंडर की आवश्यक मरम्मत की जानी चाहिए।

(ङ) मुख्य इंजन और अल्टरनेटर इंजन

मुख्य प्रणोदन इंजन और वैकल्पिक इंजन की जांच की जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सभी उपभोज्यों का नवीनीकरण/प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए।

ल्यूब ऑयल के प्रतिस्थापन के समय फिल्टर तत्वों को एक साथ बदलना होगा। हर 500 घंटे चलने के बाद ईंधन तेल फिल्टर को बदलना होगा। हर 500 घंटे चलने के बाद इंजेक्टर परीक्षण किया जाना चाहिए। एयर क्लीनर तत्व को 100 घंटे चलने के बाद साफ किया जाना चाहिए और 1000 घंटे के बाद बदला जाना चाहिए। इसके अलावा-

(i) एलओ फिल्टर तत्वों को प्रत्येक 250 घंटे चलने के बाद नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

(ii) 250 घंटे चलने के बाद एलओ की निकासी और नवीनीकरण किया जाएगा।

(iii) इंजेक्टर अंशांकन और परीक्षण प्रत्येक 1000 घंटे चलने के बाद किया जाएगा।

(iv) प्रत्येक 150 घंटे चलने के बाद सिलेंडर हेड नट को कसना होगा।

(v) प्रत्येक 1500 घंटे चलने के बाद सिलेंडर हेड वाल्व ग्राइंडिंग और ईंधन इंजेक्टर पंप का डी-कार्बोनाइजेशन किया जाना चाहिए।

(vi) प्रत्येक 3000 घंटे चलने के बाद टॉप ओवरहालिंग की जाएगी।

ईंधन पंप और इंजेक्टरों का आवधिक अंशांकन, निकास इकाइयों का डी-कार्बोनाइजेशन किया जाना चाहिए और सभी चालू पुर्जों को उचित समय पर नियमित रूप से बदला जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से इंजन कक्ष में एक लॉग बुक रखी जानी चाहिए और किसी भी समय आईडब्ल्यूएआई के प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए नियमित रूप से प्रविष्टियाँ की जानी चाहिए। हीट एक्सचेंजर्स की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए, आवश्यकतानुसार सफाई और डीस्केल किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार कूल को बदलना भी शामिल है। पंप और अन्य सभी उपकरणों को उनके उचित कामकाज के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

(च) गियर बॉक्स

गियर बॉक्स का नियमित अनुरक्षण किया जाना चाहिए और प्रतिदिन दो बार निरीक्षण के दौरान ल्यूब ऑयल का दबाव और तापमान लॉग बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। ल्यूब ऑयल को भी हर 1000 घंटे चलने के बाद निकाला/साफ किया जाना चाहिए और ल्यूब ऑयल फिल्टर तत्वों के साथ नए ल्यूब ऑयल से फिर से भरना चाहिए।

(छ) एयर कंप्रेसर सिस्टम

वायु कम्प्रेसरों के वाल्वों, पाइपलाइनों और वायु बोतलों आदि की वायु-तंगता की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।

(ज) स्टर्न गियर

स्टर्न गियर्स की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए, स्टर्न ग्रंथियों की आवश्यकतानुसार देखभाल की जानी चाहिए तथा स्टर्न गियर सिस्टम की उचित कूलिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्टर्न ट्यूब ऑयल के रिसाव की जाँच की जानी चाहिए तथा पहले ही प्रयास में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। दिन में दो बार ऊपर उल्लिखित मशीनों जाँच की जानी चाहिए तथा उनकी स्थिति को आईडब्ल्यूएआई के प्रतिनिधि की जाँच के लिए इंजन कक्ष में रखी गई लॉग बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि उपरोक्त मशीनरी में से कोई भी ठीक से काम नहीं कर रही है या यदि कोई असामान्य अवलोकन किया जाता है जो नियमित अनुरक्षण और रख-रखाव के कारण नहीं है, तो उसे पहले प्रयास में आईडब्ल्यूएआई के ध्यान में लाया जाना चाहिए। असामान्य व्यवहार के कारण का आईडब्ल्यूएआई के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा चार्टरर द्वारा यथाशीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

इंजन कक्ष में सभी पंपों, मुख्य रूप से शीतलन पंप, बिल्ज पंप, जीएस पंप, ट्रांसफर पंप, फायर पंप आदि की समय-समय पर जांच की जाएगी और संचालन के दौरान उनके उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

(झ) विद्युत उपकरण

सभी विद्युत उपकरण जैसे मुख्य स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, कंसोल, इलेक्ट्रिक मोटर, गैलरी उपकरण (विद्युत रूप से संचालित) और घरेलू उपकरणों सहित सभी अन्य इलेक्ट्रिक फिटिंग की समय-समय पर जांच की जाएगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं। इन्सुलेशन का रिकॉर्ड हर 6 (छह) महीने के अंतराल पर आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ञ) डेक की मशीनरी

निवारक अनुरक्षण के लिए विंड ग्लास, कैपस्टन, डेविट, वेंटिलेशन फैन आदि जैसी डेक की सभी मशीनों की नियमित रूप से जाँच की जाएगी। इनमें से कुछ मद जिनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, उनकी उचित कार्यप्रणाली की जाँच करने के लिए समय-समय पर ड्रिल की जाएगी।

(ट) स्टीयरिंग गियर

स्टीयरिंग गियर यूनिट की नियमित जांच की जाएगी। समय-समय पर हाइड्रोलिक तेल को बदलना, हाइड्रोलिक वाल्वों की मरम्मत और अनुरक्षण, पतवार कोण सूचक, पाइपलाइनों, फिल्टर की सफाई आदि की जानी चाहिए ताकि जलयान का सामान्य संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ठ) यदि जलयान के संचालन/अनुरक्षण में चार्टरर/उसके चालक दल की गलती के कारण जलयान की पानी के नीचे मरम्मत/ड्राई डॉकिंग की आवश्यकता होती है, तो मरम्मत की जिम्मेदारी चार्टरर की होगी और किराया शुल्क समझौते के अनुसार देय होगा।

(ड) किसी भी मालवाहक जलयान की सांविधिक ड्राई-डॉकिंग हर 4-5 साल में एक बार की जाएगी। जिसकी लागत आईडब्ल्यूएआई द्वारा वहन की जाएगी। हालांकि, जब ऐसी सांविधिक ड्राई डॉक मरम्मत की आवश्यकता होगी, तो संविदाकार को कम से कम तीन (3) महीने पहले आईडब्ल्यूएआई को सूचित करना होगा ताकि सांविधिक ड्राई डॉक मरम्मत के लिए अनुमान और व्यवस्था की जा सके। ऐसी सांविधिक सर्वेक्षण मरम्मत की सटीक अवधि के लिए चार्टर किराया शुल्क आईडब्ल्यूएआई द्वारा माफ कर दिया जाएगा।

(ढ) संविदाकार को प्रत्येक जलयान के इंजन कक्ष लॉग, ब्रिज लॉग और अनुरक्षण और मरम्मत (इंजन साइड और डेक साइड दोनों) का रिकॉर्ड मासिक आधार पर आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत करना होगा।

4. संविदाकार को उन सभी जोखिमों के लिए जलयान का बीमा करना होगा जो विभिन्न कार्यों को करने में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए जलयान को तैनात किया जाएगा और आईडब्ल्यूएआई तीसरे पक्ष के दावों या किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

जलयान को वापस करने/अधिग्रहण करने के समय, सौंपने/अधिग्रहण करने से पहले संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा जिसमें संविदाकार के प्रतिनिधि, आईडब्ल्यूएआई के प्रतिनिधि के साथ आईडब्ल्यूटी सर्वेक्षक/सरकारी सर्वेक्षक की उपस्थिति में ड्राइवरों द्वारा पानी के नीचे निरीक्षण शामिल होगा ताकि जलयान , विभिन्न मशीनरी और उपकरणों की सामान्य स्थिति का आकलन किया जा सके और इसे संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत दर्ज किया जा सके। तैरती हालत में, आईडब्ल्यूएआई द्वारा व्यवस्थित गोताखोरों द्वारा पानी के नीचे निरीक्षण किया जाएगा, हालांकि, लागत संविदाकार को वहन करनी होगी। यदि कोई वस्तु गुम या दोषपूर्ण पाई जाती है और जलयान की सामान्य स्थिति सामान्य टूट-फूट से अधिक खराब पाई जाती है, तो उसकी लागत प्रचलित दर पर संविदाकार को चुकानी होगी और आईडब्ल्यूएआई को निष्पादन बैंक गारंटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से भुनाने और आवश्यकतानुसार लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

5. संविदाकार को केवल ओईएम द्वारा अनुशंसित पुर्जों का ही उपयोग करना चाहिए। किसी भी आपातकालीन आवश्यकता के मामले में, स्थानीय निर्मित वस्तुओं का उपयोग केवल आईडब्ल्यूएआई की अनुमति से किया जा सकता है, हालाँकि उन्हें जल्द से जल्द ओईएम पुर्जों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण घटक के संबंध में ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

संलग्नक-VIII: नियमित अनुरक्षण के लिए लॉग शीट

क) प्रारंभिक शीट

मद	द्वारा जारी	समाप्ति की दिनांक
पंजीकरण प्रमाणपत्र		
श्रेणी प्रमाणपत्र		
सर्वेक्षण प्रमाणपत्र		
न्यूनतम मैनिंग प्रमाणपत्र		
मास्टर और ड्राइवर की अर्हता का प्रमाणपत्र		

ख) विस्तृत शीट

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
संचार प्रणाली डब्ल्यू/एच और ई/आर, डब्ल्यू/एच और स्टीयरिंग गियर कक्ष, डब्ल्यू/एच और रेडियो कक्ष	नेविगेशन ब्रिज और मशीनरी नियंत्रण स्थिति और स्टीयरिंग स्थितियों के बीच संचार के साधनों के संतोषजनक संचालन क्रम की जाँच करना। (इलेक्ट्रिक फोन, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, ध्वनिक ट्यूब, आदि)	मासिक	
आपातकालीन जनरेटर	संचालन परीक्षण 1. आपातकालीन डीजल जनरेटर का, जहां लागू हो, कम से कम 20 मिनट तक मैनुअल और स्वचालित दोनों मोड में परीक्षण करना। 2. डिब्बे को साफ-सफाई, वेंटिलेशन की संतोषजनक स्थिति में रखा जाता है तथा अंदर कोई भी सामग्री अनुचित तरीके से संग्रहित नहीं की जाती है। 3. टैंक में ईंधन का स्तर पर्याप्त है और बैटरियां चार्ज हैं। 4. आपातकालीन स्विचबोर्ड पर आपातकालीन जनरेटर का युग्मन, 5. संचालन और सभी आपातकालीन कार्य संतोषजनक हैं।	साप्ताहिक	
मुख्य वायु पंप और आपातकालीन अग्नि पंप के संचालन द्वारा अग्निशमन प्रणाली का निर्वहन परीक्षण	संचालन परीक्षण। पर्याप्त वितरण दबाव। अलगाव वाल्व प्रचालन योग्य है। अग्नि लाइनों में कोई रिसाव नहीं।	हर 2 महीने में	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	आपातकालीन अग्नि पंप इंजन के लिए एफओ टैंक स्तर की पुष्टि। चालक दल द्वारा संचालन आसान है। स्थायी अग्निशमन प्रणाली का निरीक्षण एवं परीक्षण: 1. पाइपलाइनें संतोषजनक स्थिति में हैं, उनमें जंग या रिसाव का कोई निशान नहीं है। 2. स्थान के बाहर वितरण वाल्व परिचालन स्थिति में हैं। 3. पानी के नोजल का यादृच्छिक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि वे ठीक हैं। 4. दृश्य और श्रव्य अलार्म स्वचालित सक्रियण कार्य कर रहा है।		
स्टीयरिंग गियर (एस/जी) सिस्टम बंदरगाह से प्रस्थान से 12 घंटे पहले जांच और परीक्षण।	मुख्य और सहायक का एस/जी संचालन। (पतवार की पूरी गति)। दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली आपातकालीन बिजली आपूर्ति वास्तविक स्थिति के संबंध में पतवार कोण संकेतक। अलार्मों का परीक्षण स्वचालित पृथककरण व्यवस्था (यदि कोई हो) एस/जी और कनेक्टिंग लिंकेज का दृश्य निरीक्षण। डब्ल्यू/एच, एस/जी कक्ष में ब्लॉक आरेख के साथ संचालन निर्देश।	प्रत्येक प्रस्थान से पहले/ प्रत्येक 3 महीने में	
आपातकालीन स्टीयरिंग गियर ड्रिल (प्रत्येक 3 माह में) यदि लागू हो, तो	आपातकालीन स्टीयरिंग प्रक्रिया का अभ्यास (प्रत्यक्ष नियंत्रण, संचार, वैकल्पिक शक्ति सहित)। 2. आपातकालीन स्टीयरिंग स्थिति पर कम्पास की स्थिति संतोषजनक पाई गई। 3. मुख्य स्टीयरिंग स्थिति और आपातकालीन स्टीयरिंग स्थिति के बीच संचार प्रणाली संतोषजनक पाई गई।	हर 3 महीने में	
इको साउंडर	1. परिचालन स्थिति संतोषजनक। 2. पानी की उपलब्ध गहराई को मापता और	दैनिक दिनचर्या	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	प्रदर्शित करता है।		
पतवार कोण, प्रोपेलर आरपीएम (पिच और साइड थ्रस्टर्स) के लिए संकेतक	1. संकेतक उपलब्ध हैं और संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।	दैनिक दिनचर्या	
सभी नेविगेशनल लाइट्स	1. मुख्य और आपातकालीन पावर सेवा और रिजर्व लाइट्स के लिए उपलब्ध हैं: क) आगे और पीछे मास्टहेड लाइट ख) साइड लाइट ग) स्टर्न लाइट घ) एंकर लाइट्स ङ) नियंत्रण में न आने वाली लाइटें च) वितरण पैनल 1. ऑडियो और विज़ुअल अलार्म संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।	दैनिक दिनचर्या	
जीवन रक्षक उपकरण (एलएसए) (जलयान(ओं) आदि के लिए लाइफबॉय।	नियमानुसार मार्किंग और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप के साथ लाइफबॉय। सेल्फ़-इग्नाइटिंग लाइट (एसआईएल) और स्मोक सिग्नल से जुड़े क्विक रिलीज़ गियर के साथ ब्रिज विंग्स पर दो बॉय। एसआईएल का प्रकाश। स्मोक सिग्नल की वैधता। रिलीज गियर का संचालन। - प्रत्येक तरफ एस.आई.एल. युक्त एक बोया। एस.आई.एल. का प्रकाश। - प्रत्येक पक्ष की लम्बाई 27.5 मीटर की उत्प्लावन रेखा वाला एक बोया। - प्रत्येक तरफ बिना किसी लगाव के एक बोया।	मासिक	
लाइफ जैकेट	- जलयान पर सवार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लाइफ जैकेट, जिस पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे होंगे। - निगरानी करने वाले व्यक्तियों तथा जीवन रक्षा शिल्प स्टेशनों के उपयोग के लिए अतिरिक्त जीवन जैकेट। - प्रत्येक लाइफजैकेट में एक सीटी और लाइट होगी।	मासिक	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
सामान्य आपातकालीन अलार्म	अलार्म का संचालन	मासिक	
फायर डैम्पर	1. बंद करने की व्यवस्था, जिसमें स्वतः बंद करने के साधन शामिल हैं, संतोषजनक स्थिति में हैं। क्षेत्रों में: - कार्गो होल्ड - इंजन कक्ष - आवास स्थान - नियंत्रण स्टेशन - अन्य स्थान - "बंद-खुला" का स्पष्ट अंकन	साप्ताहिक	
मुख्य अग्नि पंप और आपातकालीन अग्नि पंप	- संतोषजनक ढंग से संचालित होते हैं। - उचित दबाव बनाए रखा गया। - दबाव मापने वाले गेज अच्छी स्थिति में हों।	साप्ताहिक	
अग्नि मुख्य पाइपिंग	अग्नि मुख्य पाइपिंग का निरीक्षण और परीक्षण: 1. दबाव के अंतर्गत अग्नि मुख्य का निरीक्षण और हथौड़ा परीक्षण, विशेष रूप से ध्यान देने के साथ: क. ऐसे क्षेत्र जहां गंदगी जमा हो सकती है (हैच कोमिंग, स्टेज़ के रास्ते में फंसे हुए क्षेत्र ...) ख. संक्षारण से प्रभावित क्षेत्र (पाइप के निचले हिस्से, कॉमिंग स्टे का क्रॉसिंग, कॉलर के क्षेत्र, आदि) 2. मशीनरी के स्थान में अग्नि मुख्य खंड को परिचालन क्रम में अग्नि मुख्य के अन्य अनुभागों से अलग करने वाले वाल्व।	मासिक	
हाइड्रेंट	डेक पर अग्नि कैबिनेट, आवास और मशीनरी स्थान में; हाइड्रेंट का सामान्य निरीक्षण 1. हाइड्रेंट और होज़ कपलिंग की पर्याप्तता 2. वाल्व हैंडल साप्ताहिक रूप से परिचालन स्थिति में	साप्ताहिक	
होज़, कैबिनेट	होज़ और कैबिनेट: 1. अग्नि कैबिनेट और होज़ व्हील संतोषजनक स्थिति में हैं। प्रत्येक अग्नि कैबिनेट में	साप्ताहिक	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	स्पैनर कुंजी प्रदान की गई है। 2. सभी होज़ अपनी जगह पर और संतोषजनक स्थिति में हैं। 3. होज़ की संख्या अग्नि नियंत्रण योजना के अनुरूप है। होज़ रिंग सील संतोषजनक स्थिति में हैं।		
नोजल	1. अग्नि नली (फायर होज) के आस-पास उपलब्ध कराया गया है। 2. सभी नोजल चालू हालत में हैं। 3. नोजल की पर्याप्तता। 4. दोहरे उद्देश्य वाले प्रकार के (स्प्रे/जेट) सभी नोजल जिसमें शट-ऑफ शामिल है	साप्ताहिक	
पोर्टेबल अग्निशामक (फोम, सीओ2, सूखा पाउडर)	1. अग्नि नियंत्रण योजना के अनुसार प्रत्येक प्रकार के पोर्टेबल अग्निशामकों की संख्या। 2. सिलेंडर अच्छी स्थिति में हैं, उनमें गंभीर जंग नहीं लगी है। 3. अग्निशामक यंत्र: 4. अग्नि नियंत्रण योजना के अनुसार सभी अग्निशामक यंत्रों की संख्या और प्रकार। 5. हाथ से तौलकर सामग्री का आकलन। 6. अगली सर्विसिंग की नियत दिनांक और लेबल को सही तरीके से पोस्ट किया गया है।	मासिक	
आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था	1. बैटरी पावर स्रोत और आपातकालीन जनरेटर पावर स्रोत पर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का परीक्षण, जैसा लागू हो। 2. सभी आपातकालीन लाइटें अच्छी स्थिति में हैं।	साप्ताहिक	
बचाव (निकास) के रास्ते	1. बचाव के रास्ते अवरोध रहित हों, सीढ़ियाँ और रेलिंग संतोषजनक स्थिति में हों और प्रकाश व्यवस्था ठीक से काम कर रही हो।	साप्ताहिक	
वीएचएफ की स्थापना	1. अन्य (जलयान(ओं) पर नियमित परीक्षण कॉल और अन्य ज्ञात स्टेशनों पर सुनने की घड़ियों का उपयोग करके निर्धारित चैनल पर वीएचएफ स्थापना का संचालन।	प्रति दिन	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
सुपरस्ट्रक्चर एंड बल्कहेड	अपव्यय की सीमा के भीतर, कोई भारी जंग, छेद नहीं। गास्केट और क्लैम्पिंग डिवाइस की स्थिति अच्छी है। जंग, विरूपण और फ्रैक्चर की अनुपस्थिति की जांच करना, विशेष रूप से सुपरस्ट्रक्चर और डेक हाउस की दीवारों के निचले हिस्से पर ध्यान देना।	हर 3 महीने पर	
प्रवेश द्वार और मशीनों के स्थान के रास्ते	भारी जंग और विकृतियों की अनुपस्थिति के लिए समग्र स्थिति की जाँच करना। प्रभावी जल-तंगता की जाँच करना: जाँच करना कि गास्केट कठोर या पेंट किए हुए तो नहीं हैं; चैनल बार और संपीड़न बार की स्थिति, जाँच करना कि कोई डॉग गायब तो नहीं है और वे सभी स्वतंत्र हैं। संक्षारण और फ्रैक्चर की अनुपस्थिति के लिए हैच कोमिंग की स्थिति की जांच करना और यह जांचना कि उनमें अस्थायी रूप से भी छेद नहीं किया गया है (पाइप का अनधिकृत मार्ग, ढीले विद्युत केबल, आदि)	हर 3 महीने पर	
कार्गो हैच	प्रभावी है कि क्या कसाव अच्छी स्थिति में है हैच कोमिंग अच्छी स्थिति में है, कोई भारी बर्बादी, छेद नहीं है। कवर के क्लैम्पिंग उपकरणों पर गैस्केट की स्थिति अच्छी स्थिति में है। बोर्ड पर बैटन और वेज अच्छी स्थिति में उपलब्ध हैं। हैच कवर की संतोषजनक स्थिति की जाँच, जंग, विरूपण और फ्रैक्चर की अनुपस्थिति के लिए क्लैम्पिंग डिवाइस, रिटेनिंग डिवाइस, क्लीटिंग: - चेन या रस्सी पुली - गाइड, गाइड रेल और ट्रैक व्हील, स्टॉपर,	प्रत्येक कार्गो संचालन के बाद मासिक	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	आदि। - तार, चेन, जिप्सी, टेंशनिंग डिवाइस - बंद करने और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हाइड्रोलिक सिस्टम - सुरक्षा लॉक और रिटेनिंग डिवाइस		
मैनहोल फ्लश स्कटल्स	विरूपण की अनुपस्थिति के लिए कवर की जाँच करना। यह जाँच करना कि स्टड और नट पूरे हैं और संतोषजनक स्थिति में हैं।	हर 3 महीने पर	
वेंटिलेटर	जंग, छेद और विकृति की अनुपस्थिति के लिए कोमिंग और कवर की स्थिति की जांच, यह जांचना कि बंद करने वाले उपकरण/डैम्पर्स बंद या गायब तो नहीं हैं; जाँच करना कि गास्केट और क्लोजिंग डिवाइस सही क्रम में हैं।	प्रत्येक कार्गो संचालन के बाद मासिक	
एयर पाइप	कोमिंग अच्छी स्थिति में हैं, कोई भारी जंग या छेद नहीं है। एयर पाइप हेड अच्छी स्थिति में हैं, कोई भारी जंग या बर्बादी नहीं है। हेड्स में फ्लोट अच्छी स्थिति में हैं। वायर गॉज अच्छी स्थिति में हैं।	प्रत्येक कार्गो संचालन के बाद मासिक	
फ्रइंग पोर्ट्स	जल निकासी व्यवस्था को अच्छे क्रम में रखना।	प्रत्येक कार्गो संचालन के बाद मासिक	
बल्कवार्क और स्टे, गार्ड रेलिंग, लाइफलाइन गैंगवे, पैसेज	जंग, विकृति, फ्रैक्चर की अनुपस्थिति के लिए स्थिति की जांच, बल्कवार्क स्टे के सिरों पर विशेष ध्यान देना	हर 3 महीने पर	
मुख्य डेक प्लेटिंग, क्रॉस डेक प्लेटिंग	अच्छी स्थिति में, कोई भारी बर्बादी, जंग, दरारें नहीं	हर महीने	
फोकल डेक प्लेटिंग, पूप डेक प्लेटिंग	स्थिति अच्छी है, कोई भारी बर्बादी, क्षरण, दरार नहीं	हर महीने	
कार्गो होल्ड्स	बल्कहेड्स, फ्रेम, टैंक टॉप प्लेटिंग अच्छी स्थिति में हैं। कोई भारी जंग, बर्बादी, छेद या दरारें नहीं।	हर महीने	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	प्रवेश सीढ़ियाँ, पाइपिंग अच्छी स्थिति में, कोई भारी बर्बादी, छेद नहीं		
मुख्य इंजन और सहायक उपकरण	यह सुनिश्चित करना कि मुख्य इंजन और सहायक इंजन सुरक्षित परिचालन स्थिति में, स्वच्छ और रिसाव से मुक्त रखे जाएं, साथ ही निम्नलिखित प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाए: - रिमोट और आपातकालीन स्टार्टिंग सिस्टम बिना हवा के रिसाव के ठीक से काम कर रहा हो (यदि लागू हो), जिसमें सुरक्षा वाल्व और दबाव गेज आदि की परिचालन स्थिति शामिल है। - ईंधन तेल और चिकनाई तेल प्रणाली (पंप, फिल्टर, हीट एक्सचेंजर्स और पाइपिंग सहित) को संतोषजनक स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए, किसी भी रिसाव से मुक्त होना चाहिए। - ताजे और समुद्री पानी की प्रणालियों को बिना किसी रिसाव, पैच आदि के रखा जाना चाहिए। - निकास गैस प्रणाली को ठीक से इन्सुलेट किया जाना चाहिए और किसी भी रिसाव से मुक्त होना चाहिए। निकास गैस का रंग टिप्पणी किया जाना चाहिए। - सुरक्षा उपकरण चालू होने चाहिए। - स्थानीय और दूरस्थ निगरानी प्रणाली और तापमान/दबाव गेजिंग सिस्टम को संतोषजनक परिचालन स्थिति में रखा जाना चाहिए। - मशीनरी नियंत्रण कक्ष उपकरण और संकेतक, अलार्म आदि को संतोषजनक परिचालन स्थिति में रखा जाना चाहिए।	दैनिक दिनचर्या	
पाइपिंग	भारी जंग और रिसाव नहीं। सभी वाल्व संतोषजनक ढंग से काम करते हैं क्लैम्प गायब होना, पाइपलाइनों में कंपन, कोई	साप्ताहिक	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	भी ढीला कनेक्शन आदि।		
ई/आर की सफाई	साफ होनी चाहिए, उसमें कूड़ा या अपशिष्ट तेल नहीं होना चाहिए।	दैनिक दिनचर्या	
ई/आर, एक्सेस स्पेस, नियंत्रण स्टेशन, कार्य कक्ष और अन्य स्थानों में प्रकाश व्यवस्था।	यह जाँच करना कि सभी स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था है और प्रकाश उपकरणों को संतोषजनक स्थिति में रखा गया है, ताकि बिजली के झटकों से बचा जा सके। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ मरम्मत की जानी चाहिए (जैसे कि गायब या टूटी हुई लाइटें, गायब या क्षतिग्रस्त सुरक्षात्मक कवर, असुरक्षित स्विच पैनल या जंक्शन बॉक्स, असुरक्षित/ढीले विद्युत केबल, क्षतिग्रस्त केबल ग्रंथियाँ और विद्युत कनेक्शन, आदि)	साप्ताहिक	
एंकर, चेन और केबलें	1. एंकर, चेन और केबल की स्थिति अच्छी पाई गई: क. भारी बर्बादी, दरारें, गायब स्टड और चिह्नों का अभाव। ख. भंडारण की स्थिति ठीक है। 2. चेन लॉकर की स्थिति संतोषजनक पाई गई। 3. बिटर एंड उचित रूप से सुरक्षित है।	मासिक	
विंडलैस	विंच और क्लच की परिचालन स्थिति अच्छी है। - ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक कंट्रोल, ब्रेक बैंड की स्थिति अच्छी है - विंडलैस फाउंडेशन और ग्रेटिंग की स्थिति अच्छी है।	मासिक	
मूरिंग प्रणाली	1. चरखी की परिचालन स्थिति संतोषजनक पाई गई; और 2. चरखी और कैप्स्टन की नींव की स्थिति संतोषजनक पाई गई। 3. फेयरलीड्स, बोलार्ड्स और मूरिंग बिट्स संतोषजनक स्थिति में पाए गए।	मासिक	
सेनिटरी इकाइयां और शॉवर कक्ष, वॉशबेसिन	1. शौचालय साफ-सुथरे हैं, फ्लश काम कर रहे हैं और लीक नहीं कर रहे हैं और फर्श की टाइलें अच्छी स्थिति में हैं। 2. दरवाजे ठीक से बंद हो सकते हैं और उन्हें	साप्ताहिक	

मद	जांच बिंदु (चेक प्वाइंट)	आवधिकता	निष्कर्ष
	लॉक किया जा सकता है। 3. फर्श की जल निकासी अच्छी स्थिति में है। 4. स्वच्छता संबंधी स्थानों में पर्याप्त रोशनी, हीटिंग और वेंटिलेशन है। 5. जहां एक कम्पार्टमेंट में एक से अधिक शौचालय हैं, वहां गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से स्क्रीन किया गया है। 6. धुलाई के सभी स्थानों में गर्म और ठंडा बहता हुआ ताजा पानी उपलब्ध है।		
गैली	1. गैली, पेंट्री और भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र साफ हैं और कोई अवरुद्ध नाली, क्षतिग्रस्त फर्श या टाइलिंग नहीं है। 2. फ्रिज चालू हालत में हों, साफ हों और नियमित रूप से डीफ्रॉस्ट किए जाते हों। भोजन और पेयजल के भंडारण और रख-रखाव के लिए सभी स्थान और उपकरण; तथा भोजन की तैयारी और सेवा के लिए गैली और अन्य उपकरण।		

संलग्नक-IX: काउंटर सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी फॉर्म का प्रारूप

सेवा में

अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा (उत्तर प्रदेश)

पिन-201301

..... (जिसे आगे **"नियोक्ता"** कहा जाएगा) को ..... (जिसे आगे **"संविदाकार"** कहा जाएगा) के साथ नियोक्ता द्वारा ".....*(समनुदेशन का नाम लिखें)"* के लिए जारी किए गए अवार्ड पत्र संख्या .....दिनांक ..... के अनुवर्ती के रूप में एक समझौते में प्रवेश करने के विचार, ... संविदाकार के अनुरोध पर, भारतीय रुपये ..... (रुपये ..... मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में काउंटर सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए, ... (रुपये ..... मात्र) के लिए, **संविदाकार** के अनुरोध पर, हम, **(बैंक)** एतद्द्वारा नियोक्ता को नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा को निष्पादित करने के लिए नियोक्ता द्वारा जारी/उत्पन्न मासिक चालान/बिलों के लिए संविदाकार के चार्टर किराया शुल्क के भुगतान में किसी भी चूक या विफलता या उक्त समझौते के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ ..... (रुपये ---------- मात्र) से अनधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

1. हम **(बैंक)** केवल नियोक्ता की मांग पर जिसमें कहा गया है कि दावा की गई राशि नियोक्ता को हुई हानि या क्षति के कारण देय है या नियोक्ता को उक्त **संविदा** या उक्त समय सीमा में निहित किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण या **संविदाकार** द्वारा उक्त संविदा को निष्पादित करने में विफलता के कारण हुई होगी, बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं। बैंक पर की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा देय और बकाया राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये..... (मात्र रुपये.....) से अधिक नहीं की राशि तक सीमित होगी।

2. हम **(बैंक)** किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में **संविदाकार** द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद, नियोक्ता को मांगे गए किसी भी पैसे का भुगतान करने का वचन देते हैं, इस वर्तमान के अंतर्गत देयता पूर्ण और स्पष्ट है। इस गारंटी के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अंतर्गत भुगतान के लिए हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और संविदाकार के पास ऐसे भुगतान करने के लिए हमारे खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

3. हम **(बैंक)** इस बात पर भी सहमत हैं कि इस गारंटी में निहित गारंटी संविदा की शर्तों और अवार्ड पत्र के अनुसार नियोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए परियोजना कार्य पूरा होने तक पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त संविदा के अंतर्गत या उसके आधार पर नियोक्ता के सभी बकाया पूरे नहीं हो जाते और उसके दावे को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता या संविदा के अनुसार कार्य पूरा होने की निर्धारित दिनांक तक लागू रहेगी। हम **(बैंक)** इस बात पर विचार करेंगे कि उक्त संविदा की शर्तों और नियमों का उक्त संविदाकार द्वारा पूरी तरह और उचित तरीके से

पालन किया गया है और तदनुसार उक्त संविदा की समाप्ति अवधि के 365 दिन बाद इस गारंटी को समाप्त कर देंगे, जब तक कि नियोक्ता द्वारा इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग या दावा बैंक को लिखित रूप में नहीं दिया जाता है, लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, जिस स्थिति में यह बैंक के खिलाफ लागू होगी, भले ही इसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद या विस्तारित अवधि के बाद लागू किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

4. हम **(बैंक)** नियोक्ता के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि नियोक्ता को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या उक्त **संविदाकार** द्वारा समय-समय पर समय या निष्पादन बढ़ाने या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त **संविदाकार** को दिए गए किसी भी ऐसे परिवर्तन या विस्तार के कारण या नियोक्ता की ओर से किसी भी रोक, कार्य या चूक या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** को किसी भी तरह की छूट या किसी भी ऐसे मामले या चीज के कारण हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के अंतर्गत, प्रावधान के बिना, हमें राहत देने का प्रभाव रखती है।

5. नियोक्ता के लिए बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले **संविदाकार** के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी, भले ही नियोक्ता ने **संविदाकार** से बैंक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के समय कोई भी प्रतिभूति प्राप्त की हो या प्राप्त करता है, जो बकाया हो या वसूल न की गई हो।

6. ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये.....(केवल रुपये.....) तक सीमित है और नियोक्ता द्वारा विस्तारित दिनांक तक या अन्यथा लागू रहेगी। जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत कोई दावा या मुकदमा हमारे पास विस्तारित दिनांक को या उससे पहले दायर नहीं किया जाता है, तब तक गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और बैंक को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

7. बैंक या **संविदाकार** के संविधान में परिवर्तन होने पर भी यह गारंटी समाप्त हो जाएगी।

8. हम **(बैंक)** अंत में यह वचन देते हैं कि नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

2024 की.....दिनांक

..... के लिए

(बैंक का नाम लिखें)

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम .....

(बड़े अक्षरों में)

पदनाम

कोड संख्या .....

बैंक और शाखा का नाम

(मुहर)

संलग्नक-X: ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है:

https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

पंजीकरण

1) बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है, जो निःशुल्क है।

2) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा तथा अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।

3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।

4) नामांकन के समय, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे सिफी/एनकोड/ईमुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ श्रेणी III प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करना होगा।

5) एक बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी.एस.सी. पंजीकृत होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने डी.एस.सी. को दूसरों को उधार न दें, जिससे उसका दुरुपयोग हो सकता है।

6) इसके बाद बोलीदाता अपना यूजर आईडी/पासवर्ड तथा डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग इन करेगा।

निविदा दस्तावेज खोजना

1) सीपीपी पोर्टल में कई खोज विकल्प बनाए गए हैं, ताकि बोलीदाताओं को कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं को खोजने में सुविधा हो। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, दिनांक, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए संगठन का नाम, संविदा का प्रारूप, स्थान, दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि जैसे कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं।

2) बोलीदाताओं ने एक बार अपनी रुचि के अनुसार निविदाएं चुन लीं, तो वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा अनुसूचियां डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर्स' फ़ोल्डर में ले जाया जा

सकता है। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम होगा, यदि निविदा दस्तावेज में कोई सुधार जारी किया गया हो।

3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए निर्धारित विशिष्ट निविदा आईडी को टिप्पणी कर लेना चाहिए, ताकि यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहें तो वे ऐसा कर सकें।

बोलियों की तैयारी

1) बोलीदाता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

2) कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें ताकि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों को समझ सकें। कृपया ध्यान दें कि बोली दस्तावेज़ों को कितने लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत किया जाना है, कितने दस्तावेज़ों की संख्या-प्रत्येक दस्तावेज़ के नाम और सामग्री सहित जिन्हें प्रस्तुत किया जाना है। इनमें से किसी भी विचलन के कारण बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

3) बोलीदाता को पहले से ही निविदा दस्तावेज/अनुसूची में बताए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए और आम तौर पर वे पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यूएफ/जेपीजी प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ काले और सफेद विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में मदद करता है।

4) हर बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिटर प्रमाणपत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए अपने पास उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है, और उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

टिप्पणी: *माई डॉक्यूमेंट्स स्पेस केवल बोलीदाताओं के लिए अपलोडिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिया गया एक संग्रह है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेज़ माई डॉक्यूमेंट्स स्पेस में अपलोड किए हैं, तो यह स्वचालित रूप से यह सुनिश्चित नहीं करता है कि ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली का हिस्सा हैं।*

बोलियों की प्रस्तुति

1) बोलीदाता को बोली जमा करने से पहले ही साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दर्शाए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों पर एक-एक करके डिजिटल हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा।

3) बोलीदाता को निविदा शुल्क/बयाना राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ़लाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण का विवरण दर्ज करना होगा।

4) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उन्हें अपनी वित्तीय बोलियाँ अनिवार्य रूप से दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी चाहिए तथा कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली की कीमत निविदा दस्तावेज के साथ मानक बीओक्यू (BoQ) प्रारूप के रूप में दी गई है, तो उसे डाउनलोड करके सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करके उसे खोलना होगा तथा सफ़ेद रंग की (असुरक्षित) खानों में अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) भरना होगा। अन्य खानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। विवरण पूर्ण हो जाने के पश्चात, बोलीदाता को इसे फ़ाइल का नाम बदले बिना सहेजकर ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा बीओक्यू फ़ाइल में कोई परिवर्तन पाया जाता है, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

5) सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने, बोलियां खोलने आदि की समयसीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।

6) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेज़ों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को बोली खुलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128-बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा संग्रहण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज़ सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वालों की सार्वजनिक कुंजियों का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन होती है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

7) अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज पढ़ने योग्य होंगे।

8) बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुतीकरण पर (अर्थात पोर्टल में “बोली प्रस्तुतिकरण पर रोक” पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुतिकरण संदेश देगा और बोली संख्या के साथ बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा और बोली प्रस्तुत करने की दिनांक और समय के साथ अन्य सभी प्रासंगिक विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।

9) बोली सारांश को प्रिंट करके बोली जमा करने की पावती के तौर पर रखना होगा। इस पावती का उपयोग बोली खोलने वाली किसी भी बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

1) निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों व शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संबंधित संपर्क व्यक्ति से संपर्क किया जाना चाहिए।

2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर पूछे जा सकते हैं।

****